खण्ड-252, अंक-1
शुक्रवार, 6 भाद्रपद, शक संवत् 1886
(28 अगस्त, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 252 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३६
प्रश्नों के संबंध में जानकारी	३६–३७
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप-प्रमुखों का निर्वाचन तथा निर्वाचन विवादों के निपटारे की नियमावली, १९६२ एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (समितियों का निर्माण) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	३७
साहित्य वितरण सम्बन्धी व्यवस्था (जारी)	३७–३८
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६४ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	३८
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६४ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	३८
उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार (संशोधन) विधेयक, १९६३ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	३८
साहित्य वितरण सम्बन्धी व्यवस्था	३८–३९
बाराबंकी जिले के विकास खण्ड, त्रिवेदीगंज के अन्तर्गत श्रमदान द्वारा बनाई गयी सड़क को पक्का करने के संबंध में याचिका (याचिका समिति को निर्दिष्ट)	३९
अध्यक्ष, जिला परिषद्, देवरिया द्वारा अध्यापकों से नेहरू कोष का चन्दा जबरदस्ती वसूल करने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृत)	४०
मथुरा जिले की माट तहसील के गांव जलमग्न होने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	४०
प्रदेश के विभिन्न जिलों की खाद्य स्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	४०–४१
कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी	४१–४२
नियम ३१५ के अन्तर्गत कार्यसूची में अंकित कार्य क्रम को स्थगित करने एवं असरकारी विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव (अस्वीकृत)	४२–५१
राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्यों द्वारा अपनी तथा अपने परिवार की चल तथा अचल सम्पत्ति की घोषणा के संबंध में संकल्प (जारी)	५१–९१
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४ (मेज पर रखा गया)	९१
नत्थियां	९२–१०४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

R-A
4080

शुक्रवार, २८ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६८

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हुसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस०जी०दत्त, श्री
ए०सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड०ए० अहमद, श्री
जे०पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री

पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानूप्रतापसिंह, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलसिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कँथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री

रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रमरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह,कुंवर
श्रीराम, श्री

श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २८ अगस्त १९६४

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मेंटीनेंन्स डिवीजन के कर्मचारियों को बढ़ा महंगाई भत्ता

*१—श्री कल्पनार्थासिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि अभी मई या जून में कोई ऐसा आदेश मुख्य अभियन्ता द्वारा दिया गया है कि मेन्टीनेन्स डिवीजन जो विधायक निवास, विधान भवन आदि में करने के लिये हैं उसे पांच रुपया मासिक बढ़ोत्तरी न दी जाय? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और यदि नहीं, तो क्या इन कर्मचारियों को पांच रुपया माहवारी बढ़ोत्तरी मिलती है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

(क) जी नहीं।

(ख) आदेश केवल सड़क तथा भवन इत्यादि के गैंगों में कार्य करने वालों पर लागू हैं।

*२—श्री कल्पनार्थासिंह—

क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों ने कई बार इस संबंध में प्रार्थन-पत्र दिया कि इन्हें पांच रुपया की बढ़ोत्तरी अविलम्ब दी जाय? यदि हां, तो क्या सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इन्हें वह बढ़ोत्तरी देने की शीघ्र प्रबन्ध करेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत---

प्रार्थनापत्रों पर विचार हो रहा है ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

मैं जानना चाहता हूं कि जब सड़कों और इमारतों के मेन्टीनेन्स में काम करने वाले कर्मचारियों का एक ही नेचर आफ वर्क है तो इन कर्मचारियों पर यह आदेश लागू क्यों नहीं हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

ऐसा है कि जो सड़क और भवनों पर गैंग काम करते हैं उनकी मद अलग होती है और मेन्टिनेन्स ग्रान्ट की मद अलग होती है । इसलिये उस पर विचार किया गया और फैसला लेकर बढ़ोत्तरी कर दी गयी और मेन्टीनेन्स ग्रान्ट की मद में जो लोग आते हैं उन पर अलग से विचार हो रहा है ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

मंत्री जो जो विचार कर रहे हैं मेंटीनेन्स डिवीजन के कर्मचारियों को ५ रु० बढ़ोत्तरी देने के लिये यह विचार किस किस बात पर हो रहा है और उसमें देर होने का कारण क्या है जिसकी वजह से जल्दी फैसला नहीं लिया जा सका ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

विचार केवल इस बात पर हो रहा है कि इसमें जो रुपया लगेगा वह रुपया कैसे निकाला जाय। जहां तक लोगों की आर्थिक अवस्था का संबंध है मुझे इस बात का पूरा अहसास है कि लोगों को पैसे की जरूरत है और पैसा उन्हें मिलना चाहिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

इस बात को देखते हुये कि महंगाई चरम सीमा पर है, ५ रु० अगर सरकार नहीं देती तो कुछ बढ़ोत्तरी मीनव्हाइल मंत्री जो करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

नहीं देने का प्रश्न नहीं है। ५ रु० ही देने की कोशिश करेंगे। जितनी जल्दी हो सके रुपया निकालने की कोशिश करेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

मंत्री जो बतायेंगे कि प्रार्थना-पत्र उनके पास कब आया है और उसका निर्णय हो जाने के बाद जो बढ़ोत्तरी और कर्मचारियों की हुई है उसी महीने से इनको भी लागू की जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

ये सब बातें तो तभी तय होंगी जब देख लें कि कितना पैसा निकल पाता है । तभी यह भी तय होगा कि कब से देंगे।

*३---श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

[३ सितम्बर, १९६४ के लिये प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४---श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

[हटा दिया गया ।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

अकबरपुर तहसील में लेखपाल के विरुद्ध शिकायत

*१—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती) तथा श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हल्का हुसैनपुर, सकखरी तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद का लेखपाल अपने हल्के के तमाम ऊसर और बंजर भूमि का जिसपर कि लोग खेती करते हैं जिसका कि खसरा तथा खतौनी में कोई रिकार्ड नहीं है, उसका लगान लोगों से वसूल कर अपनी जेब में रखता है ? यदि हां, तो उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

माल मंत्री के सभा-सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

जांच से आरोप सही नहीं पाये गये ।

श्री रणबहादुरसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी हुसेनपुर, और सकखरी गांवों में जांच करवायेंगे कि इन गांवों में बंजर भूमि पर लोग खेती करते हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जांच की गई है । हर गांव का ब्योरेवार भी दिया हुआ है ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

गोचर भूमि और बंजर भूमि पर जो अनधिकृत रूप से काबिज हैं और सरकार उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है तो क्या माननीय मंत्री जी जिलाधीशों को कोई आदेश जारी करेंगे कि हर लेखपाल से एक फेहरिस्त तैयार करायी जाय कि कितने लोग बंजर और गोचर भूमि पर अनअथोराइज्ड काबिज हैं ? और उनको बेदखल करने की कृपा करेंगे ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

बेदखली का प्राविधान जनींदारी एबोलीशन ऐक्ट में है और मैं समझता हूं कि जिलाधीश उस पर अमल करेंगे ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

कहीं कोई अमल नहीं करते । मैंने खुद कम्पलेंट की है ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

इसका दफा २११ में प्राविधान है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है ।

श्री मंगलदेव—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह जांच मौके पर हुयी है और किस अधिकारी के द्वारा हुयी है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

नायब तहसीलदार द्वारा ।

आजमगढ़ जिले में घाघरा का कटाव

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की घोसी एवं सगड़ी तहसील के किन-किन ग्रामों की कितनी-कितनी आबादी, खेती की भूमि अब तक घाघरा नदी के पेटे में जा चुकी ह ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुयी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९२ पर)

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन ग्रामों के जिन परिवारों की पूरी खेती की भूमि एवं घर घाघरा में विलीन हो गये हैं उनके बच्चों को बढ़ाने तथा परिवार की रोजी के लिये क्या व्यवस्था हुई है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

ऐसे परिवारों के बच्चों की स्कूल फीस व किताबों की व्यवस्था हेतु ३,००० रु० की राशि संबंधित शिक्षण संस्थाओं के पास जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से रखी गई । रोजी की व्यवस्था हेतु गांवों की पटाई तथा बंधों के निर्माण कार्य प्रारम्भ किये गये। भूमिहीन लोगों को गांव समाज से तथा सम्भव रिक्त भूमि प्राप्त करने की व्यवस्था की गई ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी भविष्य में इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि जिस क्षेत्र में बाढ़ हो या जमीन कटी हो और आप सहायता पहुंचाना चाहते हों तो ऐसी तालिका मंगाये कि इस प्रकार के कितने विद्यार्थी हैं जिनको सहायता देना जरूरी है ? क्या उसके अनुसार सहायता देने की व्यवस्था पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसा ही करेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो छात्रों को ३ हजार की धनराशि फीस और किताबों के सम्बन्ध में दी गयी है वह कितने विद्यार्थियों को दी गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसकी सूचना नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों में जमीन कटी है उन गांवों में सहायता देने के लिये कहा है कि बांध और पटाई का काम किया गया है । तो उस काम में सरकार का कितना रुपया लगा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मुझे अफसोस है कि एग्जेक्ट फीगर्स नहीं बता सकूंगा ।

श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ३ हजार रुपया दिया है वह किस आधार पर दिया गया है और वितरण का क्या हिसाब है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उस वक्त जो जरूरत महसूस हुई तब दिया गया ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के पास भूमि नहीं रह गयी है उनके बच्चों को सहायता दी गयी है या जिनके प्रार्थना-पत्र थे उनको दी गयी है । इस वितरण का क्या आधार था जिस आधार पर यह धनराशि दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्रीमन्, लोगों ने भी कहा और हमने भी जरूरी समझा तो भेज दिया ।

श्री मंगलदेव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन गांवों की जमीन या पूरे गांव जो नदी के पेटे में चले गये हैं वहां के निवासियों को बसाने के लिए क्या प्रबंध किया गया है ? क्या यह सही है कि सैकड़ों लोग वर्षों से बांधों के ऊपर झोपड़ी डाल कर बसे हुये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्रीमन्, २४ गांवों में ऐसा हुआ है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, जब सवाल स्थगित किया गया था तो यह पूछा गया था कि कितना रुपया बांधों और गांवों की पटाई में लगा है तो जवाब दिया गया था सूचना नहीं है । अब फिर जब सप्लीमेंटरी करते हैं तो कहते हैं कि सूचना नहीं है तो श्रीमन्, इससे क्या फायदा होता है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के सिलसिले में जो सहायता घोसी और सगड़ी तहसील के लिये दी गई, उसकी हजारों की तादाद में सूची है । वह कई पन्नों की हैं । माननीय सदस्य चाहें तो देख सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि सूची मौजूद है, आप तकलीफ करें तो देख सकते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि कितना रुपया खर्च किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसका टोटल हम मंगा लेंगे ।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन गांवों की जमीन कट गई है वहां के किसानों को बसाने के लिये खीरी-लखीमपुर में जो जमीन तोड़ी जा रही है उसमें से देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अभी तो आजमगढ़ में ही रखना चाहते हैं । कहीं न कहीं देंगे, जब नहीं मिलेगी तो देखेंगे ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार को मालूम है कि खेती वाली भूमि जो नदी में चली गई है उस पर काश्तकार लगान अदा करते हैं ? यदि नहीं, तो इस सूचना के आधार मान कर ऐसे आदेश जारी करेंगे कि रिकार्ड ठीक करा दें ताकि उनको मालगुजारी न देनी पड़े ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

ऐसी सूचना नहीं है। लेकिन हम करा देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, तालिका देखने से पता चलता है कि १,१०,१८० एकड़ जमीन कटी है तो मैं जानना चाहता हूं कि किसानों को कितनी जमीन दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मेरे पास ५-७ पेज की लिस्ट है। उसका टोटल करके बाद में भेज दूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ३ हजार रुपया जो दिया गया है वह जनसंख्या के आधार पर दिया गया है या बिना आधार के दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मैंने तो अन्दाजन दे दिया है।

कानूनगो सर्किल, मधुबन के लेखपालों के विरुद्ध शिकायत

*४--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के कानूनगो सर्किल, मधुबन के कौन-कौन लेखपाल ऐसे हैं जिन्हें एक स्थान पर रहते हुये सात वर्ष के करीब हो गये हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

सर्वश्री राजेन्द्रप्रसाद राय और दीपनारायण क्रमशः सन् १९५३ और १९५४ से, सर्वश्री शिवराम सिंह और मंगला प्रसाद सन् १९५५ से और सर्वश्री वंशराज, नूरुल हुदा और रामजी लाल सन् १९५६ से एक ही हल्के में कार्य कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मंत्री जी पता लगायेंगे कि जिन लेखपालों के खिलाफ उनके पास या जिलाधीशों या परगना हाकिमों के पास गलत इंदराज करने और रिश्वत आदि लेने की शिकायतें आईं तो उनकी इंक्वायरी किस अधिकारी द्वारा कराई गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जहां तक मुझे याद है मेरे पास तो नहीं आयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या सरकार जिलाधीश से यह जानकारी हासिल करेगी कि इन लेखपालों के ज्यादा दिनों तक एक स्थान पर रहने से उस इलाके में आपसी गुटबन्दी, गलत इन्दराज और घूसखोरी की शिकायतें आती हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

यह सारी जांच जिलाधीशों के द्वारा ही हुई है लेकिन कोई शिकायत नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, मंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना देता हूं क्योंकि मेरे कार्यालय में वह कागज है जिसमें उसके यहां के दस्तखत हैं कि उनको पत्र प्राप्त हो गया है और वे यहां पर जान-बूझकर उस तथ्य को छिपा रहे हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

पहले जब पटवारियों की तनख्वाह कम थी तब यह नियम था कि उनके ट्रांन्सफर्स न किये जायं लेकिन अब जब उनकी तनख्वाहें बढ़ गयी हैं तब क्या सरकार कोई ऐसा नियम बनवायेगी कि अन्य सरकारी अधिकारियों की भांति उनको भी ट्रांन्सफर एक स्थान पर ३ साल तक रहने के बाद अवश्य कर दिया जाये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

उसमें एक दिक्कत आती है, रेजीडेंस की, जहां पर ट्रांसफर हों वहां मकान नहीं मिलते। वैसे उनके ट्रांन्फर के लिये कोई अवधि मुकर्रर नहीं है। जब शिकायत होगी ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड्स पर उनको भी हर रोज हटाया जा सकता है ?

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)--

क्या लेखपाल सरकारी कर्मचारी नहीं हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हैं।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

क्या ये लेखपाल जो एक स्थान पर ८-८, १०-१० साल रहते हैं उसका एक कारण यह भी है कि वे एक निश्चित रकम वहां के कानूनगो और एस० डी० ओ० को देते हैं और उनके दौरे पर आने पर उनके लिये मुर्गा और दूसरी जरूरी चीजों का प्रबन्ध मुफत कर देते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

क्या सरकार कोई नियम बनायेगी कि किसी मुकर्रर अवधि के बाद लेखपाल अपने क्षेत्र से अवश्य ट्रांसफर कर दिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

अभी कोई ऐसा विचार नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

जो पुराना लेखपाल ट्रांसफर किया जायगा उसकी जगह जो दूसरा लेखपाल आयेगा उसका मकान तो उसको मिल जायगा। इसलिये आवास की कोई कठिनाई नहीं है। तो क्या सरकार ३ साल से ज्यादा जो लेखपाल एक स्थान पर रह चुका है तो उसका वहां से ट्रांसफर करने पर विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

उसमें दिक्कत उसे आ सकती है अगर हाउस ओनर इस नये आये हुये लेखपाल को अपना मकान नहीं देता। यह जरूरी नहीं है कि उसे मकान मिल ही जाय।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

क्या चौधरी चरणसिंह जी के समय पुराने पटवारियों ने इस्तीफा दिया था और नये लेखपाल नियुक्त हुये थे वह इसी आधार पर था कि उनका ट्रांसफर भी उसी भांति होना चाहिये जैसा कि अन्य सरकारी अधिकारियों का होता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

इस वक्त तो यही नियम है और चौधरी साहब ने क्या किया था वह मुझे ज्ञात नहीं है।

नार्मल ट्रेनिंग में मनोनीत अभ्यर्थी

*५--श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष (१९६३-६४) प्रत्येक जिले में नार्मल ट्रेनिंग (एच० टी० सी०) में सरकार द्वारा कितने-कितने विद्यार्थी मनोनीत किये गये ? उनमें से कितने-कितने नाम जिला परिषदों द्वारा प्राप्त हुये ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

सरकार द्वारा सन् १९६३-६४ में मनोनीत अभ्यर्थियों एवं जिला स्तरीय चुनाव समिति द्वारा प्राप्त नामों की संख्या जिलेवार संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९३-९७ पर)

*६--श्री रक्षपालसिंह--

सरकार द्वारा उक्त ट्रेनीज के मनोनयन का पहले क्या आधार था और इस वर्ष उसमें परिवर्तन का क्या कारण था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

शासकीय मनोनयन हेतु अभ्यर्थी पहले सीधे शासन को आवेदन पत्र भेजते थे। बालक अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या होने के कारण सुविधा की दृष्टि से १९६३-६४ में इनकी मनोनयन प्रणाली में परिवर्तन कर दिया गया था, परन्तु बालिका अभ्यर्थियों के मनोनयन की प्रणाली पूर्ववत ही रही थी।

श्री रक्षपालसिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो ५४ जिले हैं उनमें से ४९ जिलों का जो मनोनयन किया गया वह तो जिला परिषदों से सूची आई उसमें से किया गया परन्तु यह जो ५ जिले हैं शाहजहांपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर और चमोली इनके जितने मनोनीत किये गये हैं उससे अधिक संख्या में जिला परिषद् से प्राप्त हुये हैं परन्तु कोई भी नहीं किया गया, अगर किया गया है तो १ या २ किया गया है तो इसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इसके लिये कोई निश्चित नहीं है कि वह वहीं वाले भेजें। वहां से भी सीधे नाम आते हैं और यहां वाले भी किये गये हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो अभ्यर्थी एच० टी० सी० के लिये मनोनीत किये गये हैं उनमें कोई ऐसा भी है जो संस्कृत की मध्यमा या प्रथमा पास हो ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री जगन्नाथ राव--

इसके पूर्व जो शिक्षार्थी जाते थे उनमें विधान सभा के सदस्यों द्वारा मनोनीत भी १, २ अभ्यर्थी लिये जाते थे। अब उसमें परिवर्तन करके जिला परिषदों से नाम मंगाने का क्या कारण उपस्थित हो गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

वह तो मैंने निवेदन किया कि बहुत ज्यादा संख्या हो जाती थी इसी कारण उनसे यह मांग लिये गये ।

श्री रघुनाथसिंह--

जिला परिषदों से अभ्यर्थियों की जो सूची मांगी जाती है उस सूची के मनोनयन में परिवर्तन करना या उस सूची में मनोनयन करने का क्या आधार माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बनाया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

उसमें अधिक नाम मांगे जाते हैं उसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें जिनको हम चाहें अपनी डिस्क्रिशन पर ले लेते हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस वर्ष कोई विद्यार्थी केवल जूनियर हाई स्कूल पास करके सरकार द्वारा नामजद किया गया है ? यदि हां, तो वे कितने हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह तो आप १९६३-६४ का पूछ रहे हैं। इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों से जो लिस्ट आती है उसमें जिनको मनोनीत किया जाता है उनके मनोनीत करने का क्या आधार है ? यदि मनमाने तरीके से मनोनीत करते हैं तो क्या यही आधार है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जो हम जिला परिषदों से नाम मंगाते हैं उसके अन्दर ही लिखा हुआ है ? वह आधार यह है कि वे शिड्यूल्ड कास्ट के हों, पोलिटिकल सफरर हों, या ऐसी माइनरिटी के जिनको बराबरी के मुकाबले में स्थान नहीं मिल सकता है, वही नाम भेजे जाते हैं। उनके अन्दर से यहां पर चुनकर रख लिये जाते हैं ।

श्री रक्षपालसिंह--

१९६३-६४ में जो सरकार ने लाइन बरती है उसमें सरकार ने कोई बदलाव किया है, यदि किया है, तो वह क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे उस पर भी विचार किया जा सकता है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि भविष्य में जब वह एच० टी० सी० के लिये मनोनीत करें उसमें संस्कृत के विद्यार्थियों का भी कोई अनुपात निश्चित करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

अनुपात का प्रश्न नहीं है। उनको भेजिये जो योग्य होंगे उनको भी लेने का प्रयत्न किया जायगा ।

श्री रघुनाथ सिंह--

क्या मंत्री जी को पता है कि संस्कृत ऐसा विषय है कि जो आठवीं कक्षा तक अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है इसलिये संस्कृत के विद्यार्थियों के लिये क्या वे कोई कोटा निश्चित करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

केशरीप्रसाद जी का प्रश्न संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बारे में था। यह प्रश्न तो बोर्ड की परीक्षा के संबंध में है ।

अकबरपुर तहसील के कुर्क अमीन, राजकरणसिंह के खिलाफ शिकायत

*७--श्री रियासत हसैन (जिला मुरादाबाद) तथा श्री मंगलदेव--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पाभीपुर, थाना बसखारी, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में श्री राजकरन सिंह, कुर्क अमीन ने तकावी की वसूली में किन-किन काश्तकारों की कटी हुई फसल को अवैधानिक तरीके से पिछले वर्ष कुर्क किया और उन काश्तकारों में कौन-कौन ऐसे हैं जिन पर तकावी की कोई रकम बाकी नहीं थी ? कुर्क अमीन की उक्त गलत कार्यवाही पर सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

यह सही नहीं है कि पिछले वर्ष तकावी की वसूली के संबंध में श्री राजकरन सिंह, कुर्क अमीन द्वारा ग्राम पाभीपुर, थाना बसखारी, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में किसी काश्तकार की कटी हुई फसल अवैधानिक रूप से कुर्क की गई । शेष प्रश्न के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

*८--श्री रियासत हुसैन तथा श्री मंगलदेव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने और कौन-कौन काश्तकारों ने ५ मई सन् १९६४ को राजस्व मंत्री, कमिश्नर फैजाबाद, जिलाधीश फैजाबाद तथा तहसीलदार अकबरपुर को उक्त गैर कानूनी कुर्की के संबंध में प्रार्थना-पत्र दिये थे पर अभी तक उस पर कार्यवाही तक नहीं की गई ? यदि हां, तो कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

कथित गैरकानूनी कुर्की के संबंध में केवल श्री विक्रमाजीत पान्डेय, निवासी ग्राम पाधीपुर, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के दिनांक, ५ मई १९६४ को दो प्रार्थना पत्र एक तहसीलदार अकबरपुर को और दूसरा शासन को प्राप्त हुए थे जिन पर जांच कराई गई और आरोप सही नहीं पाये गये ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि कुर्क अमीन राजकरणसिंह ३० मार्च को उस गांव में गये थे और लगभग १२, १४ मन फसल विक्रमाजीत की कुर्क करा ली ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मैं तारीख नहीं बता सकता लेकिन यह गये थे और उस आदमी के एक बोझ को कुर्क भी किया मालगुजारी के बकाये के लिए।

श्री रियासत हुसैन--

उस दरख्वास्त की जांच करने कौन गया था और गांव के प्रधान और सरपंच के बयान उस जांच में लिये गये अथवा नहीं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जांच श्री एस० एन० तिवारी द्वारा की गयी थी ।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि गाजीपुर में अमीन भी गये थे और उस सम्बन्ध में एक मुकदमा भी न्यायालय में चल रहा है और उस के खिलाफ सरपंच और प्रधान ने एक प्रार्थना-पत्र भी दिया है कि उन्होंने उस क्षेत्र में बहुत-सी ज्यादतियां की हैं ? उस पर अब तक कार्यवाही न होने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो दरख्वास्तें हमें मिलीं उन पर जांच पड़ताल करायी गयी । इसके अलावा हमारी कोई और जानकारी नहीं है ।

श्री मंगलदेव—

क्या यह सही है कि जांच के लिए केवल कुर्क अमीन, राजकरण सिंह गये थे और विक्रमाजीत से दस्तखत कराना चाहते थे और सरपंच और प्रधान से भी दस्तखत कराना चाहते थे, जो उन्होंने नहीं किये ? क्या इसकी जांच मन्त्री जी जी पुनः करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह खबर मेरे पास है कि जब उन्होंने बकिया दे दिया तो इस की इत्तिला उन्होंने दे दी, लेकिन उन लोगों ने उसे एकनालेज नहीं किया ।

श्री रियासत हुसैन—

जिनका अनाज कुर्क हुआ उन को काफी नुकसान पहुंचा है और जांच भी नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर नहीं हुई । उसमें सरपंच या प्रधान के बयान भी नहीं लिये गया इसलिए क्या मन्त्री जी इसकी पुनः जांच करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मेरी इत्तिला है कि मौके पर नायब ताहसीलदार गये थे ।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

क्या मन्त्री जी को पता है कि उस सर्किल में एक राजकरण सिंह, अमीन हैं जिनका मकान उसी सर्किल में है और वहां वे अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं इसी कारण से कई व्यक्तियों के खिलाफ वारन्ट निकला और उनका अनाज कुर्क कराने का प्रयत्न कराया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह जानकारी नहीं है कि वहीं के रहने वाले हैं और वहीं अमीन हैं । इसकी जानकारी करा लेंगे ।

गन्ना विकास इन्टर कालिज, मुन्डेरवा के विद्यार्थियों से फीस वापसी

*६—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास इन्टर कालेज, मुन्डेरवा, जिला बस्ती में ७वीं कक्षा से १२वीं कक्षा तक के उन विद्यार्थियों से, जिनकी फीस अक्तूबर, १९६३ में माफ की गयी थी जो पूरी फीस जूलाई, सन् १९६३ से अक्तूबर सन् १९६३ तक वसूल की गयी उसे अभी तक लौटाये न जाने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जिन छात्रों की फीस अक्तूबर, १९६३ में माफ की गयी थी उन से जुलाई, १९६३ से सितम्बर, १९६३ तक का जो शुल्क वसूल किया गया वह सम्बन्धित छात्रों को दिनांक १९-३-६४ को वापस कर दिया गया।

*१०--श्री श्यामलाल--

एजूकेशनल कोड, १९५८ की धारा ११४ के अनुसार यह जब अवैधानिक और अनियमित है, तो सरकार ने उक्त प्रिंसिपल के विरुद्ध अब तक कौन-सी कानूनी कार्यवाही की है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामलाल--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन विद्यार्थियों से सातवीं क्लास से बारहवीं कक्षा तक पूरी फीस, जुलाई, १९६३ से सितम्बर तक वसूल की गयी वह कितने हजार रुपये थी और विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री मंगलदेव--

मार्च के महीने में रुपया वसूल किया गया जब ऐनुअल एग्जामिनेशन शुरू होता है, लड़के परेशान थे और प्रिंसिपल मुस्करा रहा था, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह बतायेंगे कि जब उनकी पूरी फीस माफ हो चुकी थी तो ७ महीने के बाद क्यों वापस की गयी, इसके पहल क्यों नहीं दी गयी?

शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)--

माननीय सदस्य को संभवतः ज्ञात है कि स्कूल में एक कमेटी होती है इन कामों के लिए, शासन सीधा यहां से कुछ करता नहीं है। सम्भवतः माननीय सदस्य भी उसके सदस्य होंगे, तो वहीं पता लगा सकते हैं।

श्री श्यामलाल--

क्या आप ऐसी संस्थाओं को आदेश देंगे कि भविष्य में ऐसी अवैधानिक कार्यवाही न करें?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

कितनी फीस माफ की जायगी इसका मिनिमम निश्चित नहीं है, ज्यादा से ज्यादा साढ़े १७ परसेंट कर सकते हैं यह अवश्य है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

सवाल तो यह है कि जिनकी फीस माफ थी और माफ होनी चाहिए थी उनसे वसूल की गयी और जो किया गया वह अवैधानिक काम था, तो जिसने किया उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जिस समय लड़का भर्ती होता है उस समय उसकी फीस माफी की बात नहीं होती है। कमेटी बैठी, उसने ३ महीने के बाद फैसला किया और आगे फीस वसूल नहीं की गयी। जो पहली थी वह भी मार्च में वापस कर दी गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

एजुकेशन कोड कहता है कि १५ अगस्त के पहले फीस माफी का फैसला हो जाना चाहिए और उसके बाद जिन लड़कों की फीस माफ की गयी उनसे वसूल नहीं होनी चाहिए। तो जिस अधिकारी ने नियमों का उल्लंघन किया उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

विलम्ब के लिए उनके लिए जो सजा सदन तजवीज करे वह दी जाय, अन्यथा इस तरह की गलतियां तो होती ही हैं। अच्छे काम के लिए कोई प्रशंसा नहीं होती। फीस जो उन्होंने ली थी वह बाद में वापस कर ही दी गयी। आप ही के विद्यार्थी हैं और आप ही के पढ़ाने वाले हैं।

श्री श्यामलाल—

अध्यक्ष महोदय, इस प्रिंसिपल महोदय के खिलाफ और भी बहुत सी शिकायतें हैं। तो जिसके खिलाफ अनेकों शिकायतें हों, क्या उसकी इन्क्वायरी माननीय मन्त्री जी करायेंगे और उचित ऐक्शन लेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि उनके खिलाफ और भी शिकायतें हैं तो अगर वे उनको लिख कर देंगे तो उनकी जांच की जायगी जहां तक फीस माफ करने की बात है उसमें देरी जरूर हुई है और उनसे इस बात को कह दिया जायेगा कि वे भविष्य में समय से मीटिंग करें।

शिवबखरी ग्राम की चकबन्दी में हरिजन आबादी भूमि

*११—श्री श्यामलाल—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दो वर्ष पूर्व गांव शिवबखरी, थाना घनघटा, जिला बस्ती में चकबन्दी हुई और हरिजन आबादी ३ बीघा १५ धुर छोड़ी गयी थी पर वहां के हरिजनों को जमीन अभी तक नहीं मिली ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

केवल एक बीघा ८ बिस्वा १३ धुर जमीन हरिजन आबादी के लिए छोड़ी गयी है। भूमि प्रबन्धक समिति ने अभी तक इसका एलाटमेंट यह सोच कर नहीं किया कि चकबन्दी अधिनियम की धारा ५२ का प्रकाशन होने के पहले वह एलाटमेंट नहीं कर सकती। भूमि प्रबन्धक समिति का यह खयाल गलत है। जिस तारीख से किसान नये चकों पर काबिज होते हैं उसी तारीख से गांव समाज को सार्वजनिक हित के लिए सुरक्षित की गयी भूमि का प्रबन्ध करने का अधिकार होता है। जिलाधीश बस्ती के द्वारा भूमि प्रबन्धक समिति को यह स्थिति स्पष्ट करने के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री श्यामलाल—

तहसील बस्ती में श्रीमन् चकबन्दी एक वर्ष पूर्व हो गयी है, मगर फिर भी वहां पर धारा ५२ का प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है, क्या माननीय मन्त्री जी उसका कारण बतायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

नये रिकार्डस् तैयार हो रहे हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, सारे प्रदेश में चकबन्दी हो रही है और हरिजनों को बसाने का प्रश्न सरकार के समाने है। तो मैं यह उत्तर चाहता हूं कि क्या सरकार के सामने उनको बसाने के लिए क्या कोई निश्चित योजना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

इनके लिए कन्सालिडेशन स्कीम में जमीन रिजर्व रखी जाती है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैंने पूछा था कि कोई निश्चित योजना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जो हो सकता है वह मैंने अर्ज कर दिया।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---

क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि हरिजनों या दूसरे कामों के लिए जो जमीन छोड़ी जाती है वह ए० सी० ओ० के द्वारा ही बांटी जाय न कि गांव समाज के द्वारा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

यह अभी तो विचार में है नहीं। आगे बताइयेगा तो देख लेंगे।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

श्रीमन्, कहा गया कि रेकार्ड्स तैयार हो रहे हैं और जब तक तैयार होंगे, तब तक कचूमर ही निकल जायेगा। तो क्या मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यह रेकार्ड्स जल्दी तैयार हो जायं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जब चक बन जाते हैं और उनका ट्रांस्फर आफ पजेशन हो जाता है तो यह सही है कि कागजात बनाने में कचूमर निकल जाता है। अब यह बड़ा मुश्किल काम है, समय लगता ही है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी काम हो जाय।

श्री राधेश्याम शर्मा---

क्या माननीय राजस्व मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने जो सवाल किया है, उसमें मेरी पूरी जानकारी है कि हरिजनों के लिये जो झूठ-मूठ की जमीन छोड़ दी जाती है और बाद में ले ली जाती है और उनको नहीं मिल पाती है, उसके लिये क्या राजस्व मंत्री जी जिले के सारे जिलाधीशों को आदेश देंगे कि वह सर्वेक्षण करा कर देखें कि जहां-जहां हरिजनों के लिये जमीनें छोड़ी गई हैं उनको मिली हैं या नहीं, उनके पास जमीनें हैं या नहीं और यदि उनके पास जमीनें नहीं हैं तो सरकार उनको जमीनें दिलवाने के लिये क्या कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

यदि कोई स्पेसिफिक मामला बता दिया जाये, कोई खास बात बता दी जाये तो हम उसकी जांच करा लेंगे और आदेश जारी कर देंगे क्योंकि प्रदेश में ५२ जिले हैं और उनमें लाखों गांव हैं, उन सबकी जांच कराना हमारे लिये सम्भव नहीं होगा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

क्या माननीय राजस्व मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि हरिजनों को इसलिये जमीनें नहीं मिल रही हैं कि उनके पास रुपया नहीं है और बिना रुपये के गांव सभा उनको कोई जमीन एलाट नहीं करती है। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिनके पास जमीन नहीं है और हरिजन हैं तथा जिनके पास पैसा भी नहीं है उनको जमीन मिल सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जमीन के एलाटमेंट के लिये पैसा तो जरूरी नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव--

नहीं, माननीय मंत्री जी आपका कानून बना हुआ है कि नीलाम में जो हाईएस्ट प्राइस देगा, उसके नाम जमीन एलाट की जाएगी ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

अगर कानून में है तो वही होगा। हम उसमें क्या कर सकते हैं ?

श्री श्यामलाल--

जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जिला बस्ती में चकबन्दी १ वर्ष पूर्व हो चुकी है और उसके रिकार्ड तैयार किये जा रहे हैं। श्रीमन्, मैंने प्रश्न पूरे बस्ती के लिये नहीं किया है, मैंने तो केवल एक गांव विशेष के बारे में प्रश्न किया था और उसके बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां अभी तक नियम ५२ का प्रकाशन क्यों नहीं किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

आपने एक खास गांव के बारे में पूछा उसका पता मंगा लिया। अब और गांव के बारे में जब पूछेंगे तो उसका भी पता मंगा लेंगे ।

गांव सभा, रसूलपुर की भूमि का मामला

*१२--श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री लक्ष्मन राम, ग्राम प्रधान गांव सभा रसूलपुर, ब्लाक बड़ा गांव, जिला वाराणसी ने गांव सभा की सम्पत्ति भूमि खंड नं० ३५५/४० डि० व ३५४/१ एक एकड़ जिसे माताभीख गनपत राम, एम० पी० दखल करना चाहते हैं, के संबंध में जिलाधीश वाराणसी को दिनांक १ अप्रैल, १९६४ को प्रार्थना-पत्र दिया था और क्या उसकी जांच तहसीलदार वाराणसी ने दिनांक २९ अप्रैल, १९६४ को मौके पर किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच की रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और क्या वह रिपोर्ट जिलाधीश को मिल गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां। रिपोर्ट की प्रति माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में देख सकते हैं। वह जिलाधीश को तो नहीं परगनाधीश को मिली थी ।

गांव सभा, पवोसा की पहाड़ी तथा डोरमा उपरहार की भूमि का पट्टा

*१३--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जमींदारी उन्मूलन के बाद ग्राम सभा, पवोसा, जिला इलाहाबाद की पहाड़ी का यहां किस व्यक्ति के नाम अवैधानिक रूप से पट्टा किया गया है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

जमींदारी उन्मूलन के बाद इस प्रकार का कोई पट्टा नहीं किया गया ।

*१४--श्री नाथूराम शिक्षक--

वह कितने बीघा है तथा कितना लगान नियत किया गया है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

प्रश्न नहीं उठता।

*१५---श्री नाथूराम शिक्षक---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जमीन्दारी उन्मूलन के बाद जिला इलाहाबाद के ग्राम सभा शाहपुर के अन्तर्गत डोरमा उपरहार की बंजर भूमि जिसका खतौनी नं० ३६ से ३८ तक है, का यहां किस व्यक्ति के नाम अवैधानिक रूप से पट्टा किया गया है ? यदि हां, तो क्या वह व्यक्ति भूमिहीन नहीं था ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

प्रश्न में उल्लिखित भूमि का जमींदारी उन्मूलन के बाद कोई पट्टा नहीं हुआ।

श्री नाथूराम शिक्षक---

क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जमींदारी उन्मूलन के बाद अगर कोई पट्टा नहीं हुआ है तो पहले क्या कोई पट्टा हुआ है। यदि हुआ है तो किसके नाम और कितना है। उसका कितना लगान है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जमींदारी उन्मूलन के बाद पट्टा होने का सवाल किया गया तो मैंने पता लगाया, तो मालुम हुआ कि कोई भी पट्टा नहीं हुआ है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि यह पहाड़ी, जिस पहाड़ी के बारे में प्रश्न पूछा गया है उस पर कौन-कौन सी जिन्स पैदा की जाती है ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पट्टा देने का क्या मतलब है ? इसके दो अर्थ हुए, एक तो कागज में उसका नाम लिख दिया गया और दूसरा, उसके नाम कब्जा हो गया।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

पट्टे के माने रिटिन एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट पर दोनों के साइन हो गये हों।

श्री अध्यक्ष---

पट्टे करने का अर्थ होता है कि कोई तहरीर लिखकर एक दूसरे को दे। जबानी पट्टा नहीं होता।

श्री नाथूराम शिक्षक---

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह पहाड़ी आज किसके कब्जे में है, एक चीज ? दूसरी चीज यह है कि क्या ग्राम सभा, पवोसा, के द्वारा, वह बाबू लाल कहार जिसके नाम पट्टा लिखा है, क्या कोई मुकदमा चल रहा है ? तीसरी चीज यह है कि ग्राम समाज के जो वकील वहां नियुक्त हैं, वह कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं। जनता की जिलाधीश से अलग से मांग है कि हमको अलग से मौका दिया जाय किन्तु जिलाधीश ने इन्कार कर दिया है। तो क्या सरकार इसकी जांच करके पुनः उत्तर देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

माननीय सदस्य लिख कर नोटिस दे दें। जांच करवा कर उत्तर दे देंगे।

श्री नाथूराम शिक्षक--

अध्यक्ष महोदय, इस सवाल में साफ-साफ नम्बर लिखा है कि ३६ से ३८ तक की जमीन बाबू लाल कहार के नाम है। मैं जानना चाहता हूं कि इस जमीन की क्या स्थिति है ? वह ग्राम समाज की है कि नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

यह डैफिनिटली कहना बड़ा मुश्किल है।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन् मुझे दुःख है कि फिर पट्टे का प्रश्न आ गया। अभी मंत्री जी ने साफ साफ बता दिया पट्टा नहीं हुआ। तो इस ग्राम समाज की जमीन को, जो ३६ से ३८ तक कैफियत है, उसका क्या करें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

प्रश्न पूछा गया था कि जमींदारी एबोलीशन के बाद पट्टा हुआ। पट्टा तो कोई हुआ नहीं ये नम्बरान किसके नाम दर्ज हैं, इसका मसाला मेरे पास नहीं है। सूचना मिलने पर उसको बता देंगे।

श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या सूचना मिलने पर उसका जवाब मुझको मिल जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मिल जायेगा।

*१६-१७--श्री बेदराम (जिला एटा)--

[३ सितम्बर, १९६४ के लिये प्रश्न संख्या १६-१७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गाजीपुर में घाटों का जीर्णोद्धार

*१८--श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर शहर के किनारे के पुराने घाटों, बन्धों एवं किलों की मरम्मत करने के लिये जनता के एक स्मृति-पत्र पर सरकार ने पिछले साल कोई जांच कराई थी ? यदि हां, तो इनकी बाढ़ से सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी हां। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री कृष्णानन्द राय--

क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि आवश्यक कार्यवाही से उनका क्या मतलब है ? सरकार को आवश्यक कार्यवाही का मतलब होता है कुछ नहीं।

श्री जगनप्रसाद रावत--

अगर माननीय सदस्य इसका अर्थ यह समझते हैं तो दूसरी बात है। किन्तु आवश्यक कार्यवाही का मतलब यह है कि जो स्मृति-पत्र दिया गया था उसमें हमारे पी०डब्लू०डी० के कुछ इंजीनियर्स द्वारा कुछ बातें देखी गईं और कुछ सुझाव आपस में मशविरा करके निकाले गये। इसके बाद अब इस्टीमेट तैयार कर रहे हैं जिसको बाद में फ्लड कंट्रोल बोर्ड को मंजूरी के लिये भेजेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो पी० डब्लू०डी० के इंजीनियर्स जांच करेंगे उन घाटों के बारे में, उनका उसके इस्टीमेट के बारे में ऐसा कोई जवाब है कि उसमें मरम्मत आदि में कितना खर्चा होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

उन लोगों ने मिल कर कुछ सुझाव दिये लेकिन उस पर क्या खर्च होगा और उसका क्या इस्टीमेट होगा, यह हमारे पास नहीं भेजा।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि बनारस में घाटों की मरम्मत के लिये और लखनऊ में गोमती के बंधे के लिये लाखों रुपया व्यय किया जाता है तो गाजीपुर जो हजारों वर्ष पुराना और ४०,००० की बस्ती का गंगा के किनारे शहर है उसके लिये उसका निर्माण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

बड़ी जगह क्या नहीं हो रहा है, उसके बिना भी हम इस शहर के लोगों की असुविधा को दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री कमलासिंह यादव---

क्या मंत्री जी को पता है कि रेग्यूलेटर होते हुए भी गाजीपुर में पानी चला जाता है और नदी के किनारे घाटों का कटाव पिछले ३ साल से बहुत जोरों से हो रहा है तो उस कटाव को रोकने के लिये शीघ्र कार्यवाही करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

इन सब बातों को देख कर ही कुछ काम करने का तय किया गया है और उसके लिये ही एस्टीमेट्स बन रहे हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या सरकार कोई विशेष योजना बना कर जो प्रान्तीय सरकार के अन्तर्गत हो, उन घाटों का जीर्णोद्धार करने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

एक प्रश्न तो किले की दीवार की सुरक्षा का है। उसके लिये पत्थर का ४०० फीट गहरा और २०० फीट लम्बा एक फ्लैक्सीबिल ऐप्रन डाला जाय जिसका अनुमान ४ लाख रुपये के करीब है। दूसरा पुष्पा घाट को मजबूत बनाना है। वैसा ही फ्लैक्सीबिल एप्रन इसके लिये होगा जो २, २।। लाख की लागत का होगा। इन सब के एस्टीमेट्स मांगे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या सरकार गाजीपुर को फिर से बसाने की कोई नयी योजना बनावेगी जिसे ऐसा रद्दी शहर उत्तर प्रदेश में न रहने पावे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

[२८ अगस्त, १९६४ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

इलाहाबाद नगरपालिका में गबन की जांच

*१—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश, इलाहाबाद द्वारा इलाहाबाद नगर महापालिका के शिक्षा विभाग में व्याप्त किसी भारी गबन की जांच जुलाई, १९६४ में की गई है ? यदि हां, तो (अ) क्या तथ्य प्रकाश में आये, (ब) कौन-कौन दोषी पाये गये, और (स) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

मबन की जांच, मुख्य नगर लेखा परीक्षक, नगर महापालिका इलाहाबाद द्वारा फरवरी १९६४ में की गई थी।

(अ) गबन का सन्देह हुआ।

(ब) नगर महापालिका के कुछ कर्मचारी ।

(स) मामला स्थानीय पुलिस को जांच के लिये दिया गया है ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

उन कर्मचारियों के नाम मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जो गबन के मामले में हटाये गये हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

ईश्वरशरण, कामता नाथ मालवीय, गौरीशंकर पांडेय, और राधेश्याम श्रीवास्तव।

श्री नाथूराम शिक्षक—

यह जो जांच के लिये केस रेफर किया गया है यह गुप्तचर विभाग को दिया या साधारण पुलिस को दिया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

पुलिस को दिया है ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

कितने का गबन है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

पुलिस की जांच होने के बाद बता सकूंगा ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महापालिका शिक्षा विभाग में महिला विभाग में भी इसी प्रकार के गबन की सूचना उन्हें है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

जिनके विरुद्ध गबन की शिकायत है उन्हें मुअत्तल किया गया या नहीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

मुअत्तल किया गया है ।

*२--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--

[हटा दिया गया ।]

सचिवालय कर्मचारियों के लिये सरकारी मकान

*३--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या चांदगंज व बटलर पैलेस, लखनऊ में सरकारी सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कर्मचारियों के लिये मकान बनवाने की कोई योजना वह चालू करने वाली है ? यदि हां, तो ये मकान किन-किन श्रेणियों के कर्मचारियों को बनने के बाद दिये जायेंगे तथा कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

जी हां । ये मकान रु० २५०-८५० तथा इससे ऊपर पाने वाले सचिवालय तथा अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारियों को दिये जायेंगे । लगभग २ वर्ष के अन्दर मकान तैयार हो जाने की सम्भावना है ।

*४--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार सरकारी सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निम्न वेतन भोगी सरकारी कर्मचारियों की संख्या और मकानों की अत्यधिक कमी को देखते हुये प्रथम निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये अधिक संख्या में मकान बनवाने की योजना पर विचार करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

सचिवालय तथा अन्य सरकारी निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये ६०० मकान और बनाने की योजना स्वीकृत की जा चुकी है । सहायकों के लिये १८५ मकान शीघ्र ही बन कर तैयार हो जायेंगे । शेष के लिये भी उचित भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कम वेतन वालों के लिये बाद में मकान बनाना और बड़ी तनख्वाह वालों के लिये पहले बनाना कहां तक उचित है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

औचित्य के बारे में मैं राय नहीं दे सकता हूं ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या गराजों को छोटे कर्मचारियों को रहने के लिये देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

वे गराज के ही काम आवेंगी ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

निम्न वेतन भोगी और बगैर मकान वालों के लिये सरकार ऐसे आदेश देगी कि उन्हें अलाटमेंट में प्रायरिटी मिले और जब सरकार उनके लिये मकान तैयार कर दे तो वे उनमें चले जावें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

उनके मकानों के लिये जमीन एक्वायर हो गई है, कामता प्रसाद का अहाता है छितवापुर में। उसमें जल्दी मकान बनेंगे।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

मेहतरों के लिये ६ क्वार्टर बनाये गये राज्य सम्पत्ति विभाग की ओर से, जिनमें से ४ मेहतरों को दिये गये और २ औरों को दे दिये गये जो कि दारुलशफा के ब्लाकों में काम करने वाले कर्मचारी हैं। तो क्या सरकार मेहतरों को देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

पता लगाऊंगा।

श्री लखीसिंह---

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारियों के लिए जो आप मकान बनवा रहे हैं और बहुत तेजी से जमीन ले रहे हैं, ये मकान बनने के बाद तनख्वाहों के अनुपात में कितने प्रतिशत किराये पर दिये जायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

हम जो मकान बनवा रहे हैं छोटी तनख्वाह वालों के लिए वह किन शरायत पर दिये जायेंगे, मुझे अफसोस है कि मैं इस वक्त यह जानता नहीं, लेकिन मैं इसका पता लगाकर ठीक-ठीक कि क्या तरीके हैं देने के किराये पर या बिना किराये, बतला सकता हूं।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---

मैं मन्त्री जी से यह दरियाफ्त करना चाहता हूं, जैसा श्रीमती बाजपेयी ने सवाल किया कि अभी तक ६ स्वीपर्स के खानदान वहां रहते थे जिसमें से चार खानदान तो उन क्वार्टर्स में चले गये, दो अभी भी वहीं पड़े हैं, तो क्या मन्त्री जी उन स्वीपरों को भी उन दो क्वार्टर्स में भेजने की कृपा करेंगे जिनके लिए कि वह बनाये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मैंने कहा कि पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में निगरानी समिति

*५---श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६२ में सार्वजनिक निर्माण विभाग में किसी निगरानी समिति (विजिलेन्स कमेटी) की स्थापना की गई थी ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कमेटी के निर्माण का क्या उद्देश्य था और क्या उक्त कमेटी अब भी कार्य कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री जगनप्रसाद रावत---

विभाग में सुचारुरूप से कार्य होना, अपव्यय, अकुशलता एवं भ्रष्टाचार के कारणों पर विचार करना तथा उनको दूर करने के उपायों पर परामर्श देना ।

यह कमेटी अब भी कार्य कर रही है ।

*६---श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

उक्त कमेटी ने कब तक कार्य किया और उक्त कमेटी के सामने कौन-कौन से मामले विचाराधीन रहे और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

उक्त कमेटी अब भी कार्य कर रही है । कमेटी के सामने जो मुख्य-मुख्य मामले विचारार्थ आये और उन पर सरकार द्वारा जो कार्यवाही की गई उसका विवरण संलग्न है ?

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९८-९९ पर)

*७---श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

जो मामले विचाराधीन रहे उनकी जांच कमेटी ने किस प्रकार की और क्या तथ्य सामने आये ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

कमेटी की कार्यवाही का विवरण सम्बन्धित विभागों व कमेटी के सदस्यों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाता है । उस पर जो कार्यवाही शासन द्वारा की गई, उसका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९८-९९ पर)

*हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद का संचालन

*८---श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन का हिन्दी विश्वविद्यालय अब संसद द्वारा स्वीकृत विधेयक द्वारा संचालित हो रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश---

जी हां, हिन्दी साहित्य समेम्लन, इलाहाबाद का संचालन हिन्दी साहित्य सम्मेलन अधिनियम, १९६२ के अनुसार हो रहा है ।

*९---श्री बैजनाथसिंह वैद्य---

यदि हां, तो क्या सरकार को यह ज्ञात है कि प्रदेश के विश्वविद्यालय उसकी विशारद परीक्षा को इन्टरमीडियेट अंग्रेजी के साथ पास करने पर भी बी० ए० में अंग्रेजी लेकर परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं समझती ?

श्री कैलाशप्रकाश---

जी हां ।

*१०---श्री बैजनाथसिंह वैद्य---

क्या सरकार उपरोक्त विषमता का निवारण करने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश---

हिन्दी साहित्य सम्मेलन को इस संबंध में विश्वविद्यालयों से स्वयं सीधे सम्पर्क स्थापित करना चाहिये ।

विधायक निवास कर्मचारी संघ

*११---श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा विधायक निवास कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान की गई अथवा नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

विधायक निवास कर्मचारी संघ को राज्य संपत्ति विभाग ने मान्यता प्रदान नहीं की । यह संघ ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ।

*१२---श्री शारदाभक्तसिंह---

यदि हां, तो क्या सरकार को यह मालूम है कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा विधायक निवास में काम करने वाले कर्मचारियों को उक्त संस्था का सदस्य बनने से मना कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

राज्य संपत्ति अधिकारी ने जिस समय इस संघ का सदस्य बनने से मना करने का आदेश जारी किया था संघ के रजिस्टर्ड होने की कोई अधिकृत सूचना नहीं थी और न तो संघ ने मान्यता प्राप्त करने की प्रार्थना ही की थी। अतः और किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*१३-१४---श्री लक्षीसिंह---

[१ सितम्बर, १९६४ के लिये प्रश्न संख्या १३-१४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

विज्ञान अध्यापकों को अग्रिम वेतन वृद्धि

*१५---कुंवर श्रीपालसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट में जो अध्यापक साइंस पढ़ाते हैं जो कि एल० टी० ग्रेड के हैं उनकी नियुक्ति जो अब होगी उन्हें एक साथ ७ वेतन वृद्धि मिलेगी और जो सन् १९६२ से अध्यापक हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश---

शिक्षा संहिता के अनुच्छेद १४३ (बी) तथा रेगुलेशन ४७, परिच्छेद ३ में यह पहले से ही प्राविधान है कि किसी अध्यापक को विशेष कारण हेतु अग्रिम वेतन वृद्धि शासन की पूर्व स्वीकृति से दी जा सकती है । पिछले दो-तीन वर्षों से यह अनुभव किया जा रहा है कि प्रदेश में विज्ञान के अध्यापकों की विशेष कमी है । इसलिए १९६३-६४ में शासन ने यह निर्णय लिया कि यदि एल० टी० या लेक्चरर वेतन-क्रम के प्रारम्भिक वेतन पर विज्ञान अध्यापक उपलब्ध न हों तो वह शिक्षा संस्था, शिक्षा निदेशक की पूर्व स्वीकृति लेकर, कुछ अग्रिम वेतन प्रदान कर सकती है । शिक्षा निर्देशक के अग्रिम वेतन वृद्धि देने के कार्य को क्रमबद्ध करने के लिए इस राजाज्ञा में निश्चित नियम बना दिये गये है ।

१९६३-६४ से पूर्व नियुक्त अध्यापकों को भी आवश्यक परिस्थिति में ऐसी अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाती रही है । लेकिन जिन अध्यापकों की नियुक्ति १९६३-६४ से पूर्व प्रारम्भिक वेतन पर हो चुकी है, उन्हें इस राजाज्ञा का लाभ नहीं मिल सकता ।

गर्ल्स इंटर कालेज, बस्ती

*१६—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में गर्ल्स इण्टर कालेज में विज्ञान के भवन बनाने तथा सामान खरीदने पर कुल कितना व्यय हुआ है और यह निर्माण कब पूरा हुआ है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां।

गर्ल्स इण्टर कालेज, बस्ती में विज्ञान भवन बनाने के लिये १,६५,६०० रुपये तथा सामान खरीदने के लिये २०,००० रुपया स्वीकृत हुआ है। भवन निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है।

*१७—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त संस्था में विज्ञान की पढ़ाई इण्टर में चल रही है या नहीं ? क्या यह सच है कि वहां पर उपरोक्त विषय की अध्यापिका नहीं हैं ? क्या सरकार वहां अध्यापिका की नियुक्ति की व्यवस्था अविलम्ब करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इण्टर कक्षा में जुलाई, १९६४ से विज्ञान की पढ़ाई आरम्भ की गई है और ४ अध्यापिकाओं की स्वीकृति दी गई है, किन्तु अभी तक कोई अध्यापिका की नियुक्ति नहीं हुई है। अध्यापिकाओं की नियुक्ति की व्यवस्था की जा रही है।

*१८-१९—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

[६ ठें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२०-२१—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

[६ ठें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

अध्यापकों को ग्रीष्मावकाश का वेतन

*२२—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि हायर सेकेण्डरी स्कूलों में काम करने वाले अध्यापक जिन्होंने वर्ष में दस माह से अधिक काम किया है वे समर वेकेशन का वेतन पाने के अधिकारी हैं ? यदि सरकार ने नहीं जारी किया, तो क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करेगी जिससे दस माह काम करने वाले सभी अध्यापकों को समर वेकेशन का वेतन भी प्राप्त हो ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं।

प्रश्न में उल्लिखित आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षा संहिता के पैरा १४३ (एच) के अनुसार कोई व्यक्ति जिसकी नियुक्ति ३१ अक्टूबर से पहले अस्थायी अथवा मौलिक रूप से की गई हो, वह ग्रीष्मावकाश के वेतन का अधिकारी होता है, यदि उसने नियुक्ति के दिन से उस शिक्षा सत्र के अन्तिम दिन तक कार्य किया हो।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

इलाहाबाद जिले में जूनियर हाई स्कूल

*२३—श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले की जूनियर हाई स्कूल की संख्या सन् १९४९ से लेकर १९५२ तक १०० थी, लेकिन अब केवल ४ ही है ? इसका क्या कारण है ? क्या शिक्षा की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये जूनियर हाई स्कूल की संख्या बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

१९४९ से १९५२ तक इस समय इलाहाबाद जिले के जूनियर हाई स्कूलों की संख्या संलग्न तालिका में दिखाई गई है।

१९५२ की अपेक्षा इस समय (१९६४ में) जूनियर हाई स्कूलों की संख्या में जो ७ की कमी है वह जिला परिषद् के बालकों के जूनियर हाई स्कूलों की संख्या घटने के कारण है। इसके कारणों की जांच की जा रही है।

संप्रति जूनियर हाई स्कूल स्तरीय शिक्षा का विस्तार करने के लिए कोई व्यापक योजना नहीं है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०० पर)

बरेली नगरपालिका में अध्यापकों को अनिवार्य वेतन-क्रम न मिलना

*२४—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली नगरपालिका ने जी० ओ० नं० A/6131/XV-124-1944, dated 12-7-1947 के अनुसार नये Mandatory वेतन-क्रमों को शिक्षा विभाग से पूरी आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पश्चात् भी १ जुलाई, १९४७ से अपने तीनों इण्टर कालेजों के अध्यापकों पर न लागू करके जुलाई, १९५३ से लागू किया जिससे उन्हें अपार हानि हुई ? यदि हां, तो अब तक उनके arrears न देने के कारण क्या हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। बरेली नगरपालिका ने अपने तीनों विद्यालयों के अध्यापकों पर प्रश्न में उल्लिखित आदेश के अनुसार अनिवार्य वेतन क्रमों को जुलाई, १९४७ से नहीं लागू किया, क्योंकि वे अध्यापक उस समय अधिक उच्च वेतन-क्रम पा रहे थे जिससे उन्हें लाभ था। कथित आदेश के अनुसार जिन विद्यालयों के प्रबन्ध अनिवार्य वेतन क्रम लागू होने के बाद अपने विद्यालयों में अधिक ऊंचा वेतन क्रम दे रहे थे, वे अतिरिक्त व्यय का भार अपने निजी स्रोतों से वहन करते थे। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उपरोक्त वेतन-क्रम १ जुलाई, १९४७ से लागू न होने के कारण उपरोक्त इण्टर कालेजों के अध्यापक G.O. no. A-3618—XV-3048-50, dated 25-7-51 द्वारा प्रदत्त एक special increment से भी वंचित रह गये और इस प्रकार भी उनको भारी आर्थिक हानि निरन्तर हो रही है ? यदि हां, तो सरकार उन को up to date वेतन दिलाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। बरेली नगरपालिका के विद्यालयों में अनिवार्य वेतन-क्रम जो सरकार ने जुलाई, १९४७ से लागू किया था प्रचलित नहीं था, बल्कि उन विद्यालयों के अध्यापकों को नगरपालिका द्वारा अधिक ऊंचा वेतन क्रम दिया जा रहा था। इस कारण उन अध्यापकों को प्रश्न में उल्लिखित विशेष वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। इस विषय में कोई विचार करना संभव नहीं है।

*२६—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

[६ ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२७–२९—श्री रियासत हुसैन—

[६ ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३०–३१—श्री मेवालाल जायसवाल—

[६ ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३२—३३—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिये गये]

*३४—श्री उग्रसेन—

[हटा दिया गया।]

कलेक्ट्रेट फतेहपुर में लिपिकों की प्रतियोगिता परीक्षा

*३५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माल विभाग के अन्तर्गत कलेक्टरी कचेहरियों में सन् १९५० के बाद के नियुक्त अस्थायी लिपिकों की परीक्षा लेकर स्थायी करने की दृष्टि से रेवेन्यू बो० विभाग ने अपने जी० ओ० नम्बर २८७६ अ.ई बो०—१४९३,–२९, दिनांक १६ अगस्त, १९६१ में कथित ढंग से 'ए' और 'बी' दो स्वीकृत सूचियां तैयार करने का आदेश जिलाधीशों को दिया है? यदि हां, तो जिलाधीश फतेहपुर ने उक्त जी० ओ० के अनुसार किसके द्वारा, किस आधार पर और कब इन सूचियो को तैयार कराया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। जिला कार्यालय, फतेहपुर में कुछ डिप्टी कलेक्टरों के निरीक्षण में अस्थायी लिपिकों को स्थायी करने हेतु परीक्षा का कार्य सम्पन्न करा कर जिलाधीश ने कथित सूचियों को २९–९–६३ को तैयार कराया था।

*३६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कलेक्टरी, फतेहपुर एवं तीनों तहसीलों में सन् १९५० के पहले के नियुक्त तीन वर्ष की सर्विस तक के और सन् १९५० के बाद के तीन वर्ष से कम सर्विस के नियुक्त कितने अस्थायी लिपिक हैं और उनमें से किन को किस आधार पर 'ए' और कितनों को 'बी' श्रेणी में रखा गया है तथा किनको किन कारणोंवश किसी भी सूची में नहीं रक्खा गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

कलेक्टरी, फतेहपुर एवं तीनों तहसीलों में सन् १९५० के पहले के नियुक्त तीन वर्ष अथवा अधिक सर्विस के ७ लिपिक सर्वश्री (१) लक्ष्मी शंकर (२) जगदम्बा प्रसाद (३) भीषम चन्द्र (४) श्यामानन्द (५) नरेन्द्र सहाय (६) अब्दुल माबूद व (७) जहीर आलम तथा सन् १९५० के बाद के तीन वर्ष से कम सर्विस के नियुक्त ४ लिपिक सर्वश्री (१) बल्देव बिहारी (२) जगदीश नरायन (३) अमर सिंह व (४) कालका प्रसाद अस्थायी लिपिक हैं। इनमें से निम्नलिखित लिपिकों को शासकीय आदेश संख्या २८७६/१-ख-१४९-बी-५९, दिनांक १६ अगस्त, १९६१ में दिये गये अनुदेशों के आधार पर सूची "ए" व "बी" में रखा गया।

सूची "ए"

१---श्री लक्ष्मी शंकर .. (२) श्री जगदम्बा प्रसाद

३---श्री श्यामा नन्द .. (४) जहीर आलम

सूची "बी"

१---श्री बल्देव बिहारी .. २---श्री जगदीश नरायन

३---श्री अमर सिंह .. ४---श्री कालका प्रसाद

निम्नलिखित ४ लिपिकों को किसी भी सूची में नहीं रखा गया, उसके कारण उनके नाम के सम्मुख दिये हैं :

(१) श्री भीष्म चन्द्र---लिखित योग्यता परीक्षा में असफल रहे।

(२) श्री नरेन्द्र सहाय---लिखित योग्यता परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हुये।

(३) श्री अब्दुल माबूद---लिखित योग्यता परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हुये।

(४) श्री कालका प्रसाद---इनकी सर्विस ३ वर्ष से कम थी। यह सूची "बी" बनाने हेतु आयोजित सितम्बर, १९६१ ई० को परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुये।

*३७---श्री रघुवीरसहाय कंथवार---

क्या सरकार को पता है कि कलेक्टरी, फतेहपुर के लिपिकों की सूचियां बनाने वाले अधिकारियों ने उक्त जी० ओ० के खिलाफ सन् १९५० के पहले के नियुक्त कुछ अस्थायी लिपिकों को किसी भी सूची में नहीं रखा और उनमें से कुछ को परीक्षा सन् १९५० के बाद के नियुक्त लिपिकों के साथ ली है तथा उक्त जी० ओ० के अनुसार तीन साल से अधिक और तीन साल से कम सर्विस वालों की अलग-अलग परीक्षा न लेकर सब की एक ही परीक्षा ली एवं १०-१२ वर्ष की सर्विस वालों को असफल करके अधिकतर तीन साल वालों को स्थायी किया है? यदि हां, तो ऐसा करने का मकसद क्या है और यदि नहीं, तो क्या परीक्षाफल सूची मंगा कर सदन की मेज पर रक्खेंगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी नहीं, कलेक्टरेट फतेहपुर में उक्त जी० ओ० का पूर्णरूप से पालन किया गया है। इस शासकीय अदेशों के आधार पर सितम्बर, १९६१ में एक प्रतियोगिता परीक्षा ली गई जिसमें तीन वर्ष से कम सर्विस वाले लिपिकों को जो १५ जुलाई, १९५० के बाद नियुक्त किये गये थे तथा सेवायोजना कार्यालय द्वारा भेजे गये अभ्यर्थी तथा अन्य अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया। इस परीक्षा के फलस्वरूप उत्तीर्ण हुये अभ्यर्थियों को सूची "बी" में रखा गया। इसका परीक्षा फल संलग्न सूची (क) में दिया हुआ है। उसी प्रकार उक्त शासकीय आदेश के अनुसार दिसम्बर, १९६१ में एक दूसरी लिखित योग्यता परीक्षा ली गई जिसमें

श्री हुकुमसिंह विसेन---

१५, जुलाई १९५० के पहले के नियुक्त अस्थायी लिपिकों जिनकी सेवा अवधि तीन वर्ष या उससे अधिक थी परन्तु निरन्तर न थी तथा १९५० के बाद के नियुक्त लिपिकों के साथ जिनकी सेवा अवधि तीन वर्ष या उससे अधिक थी सम्मिलित किया गया तथा इस परीक्षा में उत्तीर्ण लिपिकों को सूची "ए" में उनकी सेवा अवधि के आधार पर रखा गया। परीक्षाफल सूची (ख) में संलग्न है। सन् १९५० से पहले नियुक्त किये गये लिपिकों जिनकी सेवा निरन्तर नहीं थी तथा सन् १९५० के बाद के नियुक्त लिपिकों, जिनकी सेवा तीन वर्ष या उससे अधिक थी, के लिये अलग-अलग परीक्षा लेने के लिये कोई आदेश नहीं है। अतः ऐसी दशा में यह कथन उचित नहीं है कि १०-१२ वर्ष की सर्विस वालों को असफल करके अधिकतर तीन वर्ष वालों को स्थायी किया गया है। †सूची "ए" व "बी" संलग्नक (ग) में है।

गाजीपुर जिले में लेखपालों का बकाया वेतन

*३८---श्री कमलासिंह यादव---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर की सैदपुर तहसील में कितने लेखपाल तथा भू० पू० लेखपालों की तनख्वाह अब तक रुकी पड़ी है? क्या सरकार इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिससे मालूम हो सके कि कितने लेखपालों की किस सन् के किन-किन महीनों की तनख्वाह बाकी है और उस की अदायगी न होने का क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

२८ लेखपालों एवं १९ भूतपूर्व लेखपालों का वेतन अब तक रुका पड़ा है। तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०१-१०४ पर।)

*३९---श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)---

[६ ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

नानपारा तहसील के कुर्क अमीन देवेन्द्रनाथ माथुर के विरुद्ध कार्यवाही

*४०---श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहराइच कलेक्टरी कचेहरी की तहसील नानपारा में नियुक्त कुर्क अमीन देवेन्द्र नाथ माथुर जिन्होंने १,८०० रु० का गबन किया था और कागजात में तमाम जाल भी किये हैं उन्हें पुलिस हिरासत में क्यों नहीं लिया गया और मामले की छानबीन पुलिस द्वारा क्यों नहीं करायी गयी?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

कुर्क अमीन के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही के समाप्त होने के पश्चात् मामले को पुलिस को सौंपने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

*४१---श्री विजयसिंह---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस मामले में इतनी नम्रता उक्त कुर्क अमीन के प्रति क्यों दिखाई गयी और दिखायी जा रही है और क्या गबन का पता चलने के बाद १,८०० रु० जमा कराना अवैधानिक नहीं था?

---

†छापी नहीं गई।

RA 4020
132726

श्री हुकुमसिंह विसेन--

न तो कुर्क अमीन के साथ कोई नम्रता ही दिखलाई गई है और न उनका १,८०० रुपया जमा करना अवैधानिक था।

*४२--श्री विजयसिंह--

क्या यह सही है कि जिलाधीश, बहराइच ने अपनी बदनामी के डर से तथा उक्त कुर्क-अमीन के पिता के लेफ्टरी कचेहरी में वरिष्ठ कर्मचारी होने के नाते इस मामले को पुलिस में नहीं दिया और अब मामूली कार्यवाही करके उक्त मामले को समाप्त किया जा रहा है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त कर्मचारी को गबन तथा जालसाजी के अभियोग में कोई दन्ड दिया जा रहा है और उक्त कर्मचारी का (Character Roll) पहले से कैसा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी नहीं। कुर्क अमीन के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है। चरित्र-पंजी गोपनीय लेख्य है इसलिये उसके बारे में सूचना नहीं दी जा सकती।

मांट तहसील में ए० सी० ओ० के खिलाफ शिकायत

*४३--श्री राधेश्याम शर्मा आदि--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील मांट, जिला मथुरा के ग्राम जेसवां के किसानों की ओर से वहां के ए० सी० ओ० के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायतें जिला बन्दोबस्त चकबन्दी अधिकारी से की तथा क्षेत्रीय विधायक के सामने ही मौके पर तारीख ८ जुलाई, १९६४ को एस० ओ० सी० ने ग्राम जेसवां में जाकर जांच की और किसानों ने रिश्वत लेने के बयान दिये ? यदि हां, तो अब उस ए० सी० ओ० के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां। जांच कराये जाने पर शिकायतें सत्य नहीं पाई गईं, अतएव ए० सी० ओ० के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

*४४--श्री राधेश्याम शर्मा आदि--

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि इसी आशय का कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा चकबन्दी आयुक्त को तारीख २७ जुलाई, १९६४ को दिया गया ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां, इस प्रार्थना-पत्र पर भी जांच कराई जा रही है जिसके पश्चात् यथोचित कार्यवाही की जायगी।

*४५-४६--श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)--

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये]

अतारांकित प्रश्न

सयाना-बुगरासी मार्ग की मरम्मत

१--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बलिया), श्री मैनेजरसिंह, तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सयाना-बुगरासी मार्ग, जिला बुलन्दशहर जो कि कच्चे मार्ग के रूप में सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास है, को सन् १९६३-६४ में क्यों मरम्मत

नहीं कारवाई गयी, जबकि वह इस समय इन्तहाई खराब हालत में है ? क्या सरकार उस पर मिट्टी डलवा कर तुरन्त ठीक करवाने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

इस सड़क की मरम्मत १९६३-६४ में करवाई गई और उस पर कुछ मिट्टी आदि भी डलवाई गई । इस कार्य में कुल रुपये ७५९.७१ पैसे व्यय हुआ ।

बांदा-चिल्लाघाट सड़क पर वृक्षों की क्षति तथा चिल्लाघाट पर पीपों का पुल

२---श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले की पक्की सड़क जो बांदा से चिल्ला घाट होती हुई फतेहपुर-कानपुर को जाती है उस सड़क के बांदा जिले में चिल्ला तक बांदा से दोनों ओर पटरी के हरे भरे वृक्ष जो सायादार थे उनकी पत्ती काटकर बकरियों को खिला कर रुण्ड कर दिया गया है तथा दोनों पटरियों के शीशम व नीम के पेड़ों की हरी शाखों को गांव वाले काट ले गये हैं, असिस्टेंट इंजीनियर व इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

इसी वर्ष मई व जून माह में इस सड़क के ५-६ मील में पेन्टिंग का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था और कोलतार गरम करने के लिये वृक्षों की शाखें काटी गई थीं, जो कार्य के लिये आवश्यक थीं । इसके अतिरिक्त सड़क के किनारे के गांव वाले भी चोरी छिपे रात के समय या जब गैंग वाले आस पास नहीं होते, वृक्षों की पत्तियां और शाखें काट लेते हैं। सड़क के किनारे काम करने वाले बारहमासी गैंगों को कठोर चेतावनी दे दी गई है कि वे ऐसे लोगों को अनुचित कार्य करने से रोकें ।

३---श्री मतोलासिंह---

क्या सरकार जांच कराकर बताने की कृपा करेगी कि बांदा से चिल्ला तक सिर्फ १९६३-६४ में शीशम व नीम की मोटी शाखें जो काटी गई हैं उनकी तादाद क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

अनुमान है कि १९६३-६४ में लगभग ८० से १०० मन भार की शाखायें काटी गई थीं, जिसमें से लगभग ४० से ५० मन लकड़ी विभाग के प्रयोग में लाई गई थी ।

४---श्री मतोलासिंह---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि चिल्ला नाव-घाट को मजबूत बनाने को सन् १९६३-६४ में साढ़े चार लाख रुपया जो मंजूर हुआ है उसके वास्ते उस रुपये से क्या-क्या सामान आया तथा क्या यह भी सरकार बताने को तैयार है कि जब रोडवेज घाट पर से उतरने वालों से किराया के साथ घाट पर उतरने का किराया ले लेती है, तब दोबारा नाव-घाट का ठेकेदार उतराई महसूल क्यों लेता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

चिल्ला घाट पर पीपों के पुल को मजबूत बनाने के लिये स्वीकृत की गई धनराशि से अभी तक कोई सामान नहीं आया है । इस पुल के पीपे बनाने के लिये लोहे की चादरों की आवश्यकता होगी, जिनको उपलब्ध करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । लोहे की चादरें प्राप्त हो जाने के बाद, पुल के लिये पीपे बनाने का कार्य आरम्भ किया जायगा । चिल्ला घाट पर

रोडवेज की बसें यात्रियों से लदी हुई नहीं पार करने दी जाती हैं और यात्री पुल पैदल पार करते हैं, अतः इन यात्रियों से घाट का ठेकेदार पैदल यात्रियों से वसूल किये जाने वाली उतराई लेता है। इसके अतिरिक्त रोडवेज की बसों से खाली बसों के लिये निश्चित उतराई वसूल की जाती है जो रोडवेज किराये के साथ यात्रियों से ले लेती है।

रुद्रपुर ग्राम में लगान वसूली

५---श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में तहसील देवरिया के परगना सिलहट के तप्पानगवाटीकर के ग्राम रुद्रपुर में जमींदारी विनाश के बाद मालगुजारी वसूली के लिये दो जमाबन्दिया बनी थीं एक टाउन एरिया रुद्रपुर की और एक ग्राम रुद्रपुर की ? यदि हां, तो दोनों के बनाने का आधार क्या था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी नहीं।

६---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के उक्त ग्राम के कितने लोगों ने जमींदारी विनाश हेतु १० गुना जमा करने के एलान के बाद १९५४ तक दस गुना जमा किया ? क्या उन दस गुना जमा करने वालों की मालगुजारी आधी हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

रुद्रपुर ग्राम के कुल १६१ लोगों ने १९४९ से १९५४ तक की अवधि में १० गुना जमा किया था, परन्तु उस ग्राम के टाउन एरिया की सीमा में होने के कारण वहां १० गुना जमा करने वाली योजना लागू नहीं थी। अतएव लगान आधे होने का प्रश्न ही नहीं उठता था।

७---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त ग्राम के उन लोगों से जो दस गुना जमा करने के बाद भी पूरी मालगुजारी वसूल हो रही है, वह किसके आदेश से हो रही है ? क्या ऐसे गलत आदेश देने वाले अधिकारियों को सजा दी जायगी और क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब उनका लगान आधा कर दिया जायगा और जो अतिरिक्त पैसा वसूल किया गया है क्या मय सूद उस रकम को अगले सालों के लगान में मुजरा किया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

१-७-१९६१ से इस क्षेत्र में जमींदारी का उन्मूलन हुआ है। उसके पूर्व जमींदारी द्वारा लगान वसूल किया जाता रहा होगा। इस तिथि से नियमानुसार मालगुजारी वसूल होगी। प्रश्न के अन्य भाग नहीं उठते।

इलाहाबाद जिले में ओला पीड़ितों को सहायता

८---श्री नाथूराम शिक्षक---

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ अप्रैल, १९६४ को श्री नाथूराम शिक्षक द्वारा दी गई ओला और पाले से उत्पन्न संकट के बारे में नियम ५२ की नोटिस जिसको श्री अध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यवाही के लिये माननीय राजस्व मंत्री के पास भेजा गया था, उस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

माननीय सदस्य महोदय का कथित नोटिस जिलाधीश, इलाहाबाद को शासन को रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु भेज दिया गया था।

दोआबा क्षेत्र में, पड़ने वाली तहसीलों चायल, सिराथू एवं मंझनपुर में सहायतार्थ १२,११५ रु० अहेतुक सहायता तथा ९०,००० रु० आपत्तिकालीन तकावी अब तक वितरित की जा चुकी है। तहसील चायल तथा तहसील मंझनपुर में एक एक टेस्ट वर्क की भी व्यवस्था की गई। उक्त तीनों तहसीलों में रबी १३७१ फसली को ओला शीत एवं पाले से हुई क्षति स्वरूप सहायतार्थ मागुजारी में ४,६७,७९१.२७ रु० की छूट स्वीकृत की जा चुकी है। सस्ते गल्ले की दूकानों के द्वारा गल्ले के वितरण का समुचित प्रबन्ध किया गया। चारे की पहिले कुछ कमी अनुभव की गई थी, परन्तु शीघ्र ही स्थानीय प्रबन्ध से कमी पूरी कर दी गई।

अयोध्या तथा दोहरीघाट में पुल निर्माण

९—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या तथा दोहरीघाट में घाघरा नदी पर भारत सरकार की सहायता से बनने वाले पुल के निर्माण की प्रगति अलग-अलग क्या-क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अयोध्या में घाघरा नदी पर बन रहे पुल के निर्माण की प्रगति ७० प्रतिशत है और अब तक इस पर ७८.०० लाख रुपया व्यय हो चुका है। आशा की जाती है कि पुल जून, १९६५ तक पूरा हो जायगा।

दोहरीघाट में घाघरा नदी पर पुल के निर्माण के लिये १६५ लाख रुपये का आगणन केन्द्रीय सरकार को उनकी स्वीकृति के लिये भेजा गया है, अभी उनकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्नों के संबंध में जानकारी

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये प्रश्नों में नम्बर ३ पर मेरा एक प्रश्न था जो ३ सितम्बर के लिये प्र० सं० ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, अल्पसूचित स्वीकृत हुआ था। सरकार को भेजने की तारीख ५-८-६४ है, आज २३ दिन के बाद भी वह प्रश्न स्थगित किया जा रहा है। आप नत्थी 'क' प्रश्न संख्या ३ देख लें "क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली तहसील के अन्तर्गत ग्राम कुरतरा, नौगवां भिटौरा तथा माधोपुर माफी के सैकड़ों किसान अपने खेतों में हल जोतते समय आजकल गत कई दिनों से गिरफ्तार किये जा रहे हैं।" केवल इतना सा प्रश्न है और २३ दिन हो गये, अभी ६-७ दिन और लगेंगे। तो जरा सरकार से कह दें कि इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं देख रहा हूं। परसों भी मेरा ध्यान आकर्षित किया गया और आज भी इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया। मतलब यह है कि रांग डिपार्टमेंट में था अभी तक, अब ३ सितम्बर को यह आ जायगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

मेरा ४ नम्बर पर प्रश्न था नत्थी 'क' में जिसमें एक ए० सी० ओ० के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत थी उसको वहां से हटाकर ४३ नम्बर पर कर दिया गया है। नतीजा यह है कि म अनुपूरक प्रश्न नहीं कर पाया जब कि मेरे पास उसके खिलाफ स्पेसिफिक प्रमाण थे।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके अ। जायं तो मैं देख लूंगा कि क्या गलती हुई।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप प्रमुखों का निर्वाचन तथा निर्वाचन विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६२ एवम् उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (समितियों का निर्माण) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन†

श्री अध्यक्ष--

(मंत्री जी को ३ बार पुकारने के उपरान्त) प्रख्यापित संशोधन सदन की मेज पर रखने थे, मंत्री जी नहीं रखना चाहते हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

यह तो कंटेम्प्ट आफ दि हाउस का प्रश्न है। जो बात एजेंडे पर है उसके लिये मंत्री जी को आपने पुकारा, मंत्री जी यहां हैं ही नहीं।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, मुझे आप को तीन मर्तबा पुकारना पड़ा, यह ठीक नहीं है।

शिक्षा उप-मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

इसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं। श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उपप्रमुखों का निर्वाचन तथा निर्वाचन विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६२ में पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या २७३३-बी/३३-१९-आर-६१, दिनांक ६ जुलाई, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधन एवं, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (समितियों का निर्माण) नियमावली, १९६२ में पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४६६०-बी/३३-२०-आर-६१, दिनांक ९ जून, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधन, को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१, की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

साहित्य वितरण संबंधी व्यवस्था

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

श्रीमन्, मुझे आपसे निवेदन करना है कि यहां के बहुत से कागजात हमको मिल नहीं पाते हैं। आपका एक नोटिस आफिस दारुलशफा में है, तो जिस प्रकार से कौंसिल में सब पेपर्स लिफाफे में बन्द करके सब सदस्यों के कमरों में भेजे जाते हैं, उसी प्रकार से आपके यहां से भी प्रत्येक सदस्य को पहुंचा दिये जायं तो अच्छा है।

---

†छापे नहीं गये।

श्री अध्यक्ष---

आप सही कहते हैं। उसको देख लिया जायगा।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४-६५ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा---

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४-६५ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६४, जो विधान सभा द्वारा २१ अगस्त, १९६४ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी सिफारिश के दिनांक २७ अगस्त, १९६४ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा---

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ४ अगस्त, १९६४ को बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ११ अगस्त, १९६४ को बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २४ अगस्त, १९६४ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६४ का उत्तर प्रदेश का १७वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा---

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ११ दिसम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ४ अगस्त, १९६४ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २४ अगस्त, १९६४ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६४ का उत्तर प्रदेश का १८वां अधिनियम बन गया।

साहित्य वितरण सम्बन्धी व्यवस्था (क्रमागत)

श्री कमलासिंह यादव (जिल गाजीपुर)---

श्रीमन्, जैसा कि माननीय नेकराम शर्मा जी ने आपसे कहा कि अक्सर हम लोगों ने यह देखा है कि यहां पर बटने वाला साहित्य हम लोगों को नहीं मिलता है। क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे, जैसा कि कौंसिल में होता है कि वह हम लोगों को हमारे रेजीडेंस पर ही मिल जाया करे। आज जो म्युनिसिपैलिटी का विधेयक हमारे सामने विचार के लिये आ रहा है वह भी हमें नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष---

कृपा करके मुझे लिख कर दे दीजिये, मैं उसकी जांच करा लूंगा।

श्री नेकराम शर्मा---

श्रीमन्, सारे नेतागण और माननीय नवल किशोर जी भी इसी राय के हैं कि लिफाफे में बन्द कर हमारे कमरों में भिजवा दिया जाया करे।

श्री अध्यक्ष--

इसको देख लिया जायगा। आपका मंशा तो यही है कि पिजन होल्स में न रखा जाकर कमरों में भेज दिया जाया करे।

श्री कमलसिंह यादव--

आपका एक आदमी प्रतिदिन हमारे यहां एजेन्डा लेकर जाता है, वही साहित्य भी दे आया करेगा। उसमें कोई झंझट न होगा।

बाराबंकी जिले के विकास खंड, त्रिवेदीगंज के अन्तर्गत श्रमदान द्वारा बनाई गयी सड़क को पक्का करने के संबंध में याचिका

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

श्रीमान्, मैं बाराबंकी जिले के विकास खंड, त्रिवेदीगंज के अन्तर्गत भेलवल से गूढ़ा, खजुरी (रायबरेली) तक श्रमदान द्वारा बनायी गयी नयी सड़कों को पक्का बनाने तथा उस पर पुल, पुलियों के निर्माण के संबंध में श्री सूर्यप्रसाद पांडेय द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं--

"माननीय सदन, उत्तर प्रदेश--

बाराबंकी जिले के विकास खंड, त्रिवेदीगंज के अन्तर्गत भेलवल से गूढ़ा खजुरी (रायबरेली) तक १८ मील की नई सड़क बिना शासकीय सहयोग के श्री बाबा परमेश्वर दास, हसवापुर (खैरा कनकू) द्वारा श्रमदान से बनाई गई है जिसे सरकार द्वारा हजारों रुपया व्यय करने के पश्चात ही बनाया जा सकता था। किन्तु इस सड़क के रख रखाव तथा विभिन्न स्थानों पर पुल पुलियों के लिये अब तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई शिवगढ़ ड्रेन इस श्रमदान मार्ग को पार करती है किन्तु इस स्थान पर भी कोई पुल की व्यवस्था न होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक लकड़ी का पुल बाबाजी द्वारा बनाया गया है जिस पर बैलगाड़ी, ट्रैक्टर पार होती हैं जो कि खतरे से खाली नहीं है। इसी प्रकार नहर शारदा की हैदरगढ़ शाखा के १८ मील ५ फर्लांग पर भी एक छोटे पुल की आवश्यकता है क्योंकि जो छात्र हसवांपुर जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उन्हें नहर पार करना कठिन हो जाता है। भेलवलसे गूढ़ा, खजुरी तक श्रमदान मार्ग तथा इस पर पुल पुलियों के निर्माण के लिये प्लानिंग विभाग के निदेश पर जिला सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सर्वेक्षण हो चुका है और इसकी रिपोर्ट जनवरी सन् ६४ में निर्माण विभाग ने भेज दी है। यह मार्ग ऐसा है जो कि कृषि प्रधान क्षेत्रों को बड़ी सड़कों से मिलाता है।

अतः इस मार्ग पर पुल पुलियों के निर्माण तथा सड़क को पक्का बनाने हेतु यह याचिका माननीय सदन के विचारार्थ सेवा में प्रेषित है।

द: सूर्यप्रसाद पांडेय,
सरपंच,
साधन सहकारी समिति, सरायपान्डे,
हैदरगढ़, जिला बाराबंकी।
१७-८-६४

श्री अध्यक्ष--

यह याचिका समिति के सुपुर्द की जायगी।

अध्यक्ष जिला परिषद्, देवरिया द्वारा अध्यापकों से नेहरू कोष का चन्दा जबरदस्ती वसूल करने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव माननीय उग्रसेन का आया है। चूंकि उसका प्रत्यक्ष संबंध सरकार से नहीं है, इसलिये मैंने उसे कामरोको प्रस्ताव के रूप में तो नहीं लिया है, लेकिन उसे नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूं क्योंकि यह विषय मुझे महत्वपूर्ण लगा। उसे मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं :—

"अध्यक्ष, जिला परिषद् देवरिया ने परिषद् के ४,५०० अध्यापकों पर जबरन नेहरू कोष के चन्दे के नाम पर कटौती प्रारम्भ कर दी है। गत एक पखवारे में इसका विरोध करने के कारण २०० प्राइमरी के अध्यापकों को उन्होंने मुअत्तल कर दिया है, और ७४० को उनके स्थान से हटा कर अकारण दूर भेज दिया है। इससे अध्यापक वर्ग में महान क्षोभ है और एक विषम स्थिति पैदा हो गयी है।

अतः उक्त विषम स्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज की अपनी कार्यवाही स्थगित करता है।"

इस पर माननीय मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

अगले शुक्रवार को।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

आप यहां से एक बार तो वहां लिखवा दें कि जुल्म का रोलर वे लोग वहां न चलावें।

मथुरा जिले की माट तहसील के गांव जलमग्न होने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय राधेश्याम जी ने नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना दी है। चूंकि एक मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया है इसलिये उसे स्वीकार तो नहीं किया है, लेकिन उसे वक्तव्य के लिये मान लिया है। वह इस प्रकार से है।

"मथुरा जिले की माट तहसील के लगभग पचासों गांव गरकी से गलमग्न पड़े हैं। हजारों एकड़ फसल चौपट हो गयी है। मनुष्यों को अन्न तथा मवेशियों को चारा नहीं है। अधिक पानी भर जाने से लहलहाती पूरी फसल सड़ जाने से बदबू के मारे निकलना मुश्किल पड़ रहा है....।" इसी तरह से आगे और भी है, तो इस पर माननीय मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे, इसको बतला दें ?

माल मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—

४ तारीख को।

प्रदेश के विभिन्न जिलों की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक सर्वश्री माननीय बालो जी अग्रवाल, बनवारी लाल विप्र, नेकराम शर्मा, रामेश्वर नाथ चौबे, ब्रह्मदत्त मायर और शिवदान सिंह की सूचना है। एक और सूचना सर्वश्री माननीय

कृष्णा राय, उग्रसेन व चन्द्रबली सिंह व बांकेलाल जी की है जिस पर अन्तिम दो माननीय सदस्यों के दस्तखत नहीं हैं। इन सब को मैं माननीय खाद्यमंत्री के पास भेज रहा हूं।

मैं समझता हूं कि इस पर माननीय मंत्री जी मंगलवार को वक्तव्य देंगे, लेकिन एक बात मैं बतला दूं कि अगर कहीं मंगलवार को छुट्टी रही, तो उसके बाद जब असेम्बली बैठेगी उसी दिन वे इन तीनों पर साढ़े ४ बजे अपना वक्तव्य देंगे।

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मैंने भी एक नियम ५२ के अन्तर्गत दिया है।

श्री अध्यक्ष—

उसे मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, प्रश्न यह है कि मुख्य मंत्री के सभा सचिव, श्री बंशीधर पांडेय ने २६ अगस्त की रात को भूतपूर्व मंत्री एवं विधान परिषद् के सदस्य, श्री अलगू राय शास्त्री का सामान उनके कमरों से बाहर निकाल कर फेंक दिया और कानून को अपने हाथ में लेकर स्वयं उन कमरों पर अपना अधिकार कर लिया है। जब शासन के आदमियों द्वारा ही इस तरह से नियमों का उल्लंघन होगा तो फिर जनता का कैसे भला होगा ?

श्री अध्यक्ष—

एक बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप भी तो किसी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं ?

श्री नेकराम शर्मा—

मैंने नियम ५२ में सूचना दी है, उसे भी आप वक्तव्य के लिये भेज दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

उसको मैं मंत्री जी के पास भेज रहा हूं।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मैंने भी श्रीमन्, एक नियम ५२ में दिया है कि एक मैजिस्ट्रेट नेशनल डिफेंस फंड का बक्सा अधिकार में रखे हुये हैं और जो पैसा उसमें आता है वह अपनी जेब में रख लेते हैं। इससे वहां की जनता को बड़ी परेशानी है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो यह निश्चय दे दिया है कि आप प्रश्न कर लें।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, यह बता दिया जाय कि यह सदन आज उठकर फिर मंगल या बुद्ध को, कब बैठेगा ?

श्री अध्यक्ष—

३ दिन की छुट्टी है, सोमवार को जन्माष्टमी है और शनिवार व रविवार २ दिन यह हैं।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, क्या असेम्बली मंगल को होगी ? लोग कह रहें हैं कि सरकार के पास दरख्वास्त गई है कि ४ दिन सदन बन्द रहे।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

अभी तो हमारे पास कोई दरख्वास्त नहीं पहुंची है।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, मैंने भी नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना दी थी यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था. . . .

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे कमरे में आ जायं, मैं देख लूंगा ।

नियम ३१५ के अन्तर्गत कार्यसूची में अंकित कार्यक्रम को स्थगित करने एवम् असरकारी विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

अब श्री मुकुटबिहारीलाल के प्रस्ताव पर विवाद जारी होगा ।

*श्री मधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, आज असरकारी दिवस है और हम श्री मुकुटबिहारीलाल जी के प्रस्ताव पर विचार कर रहें हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कार्य आरम्भ किया जाय हम आपकी आज्ञा से उसके बजाय सदन में एक दूसरा विधेयक लाना चाहते हैं और इसपर सारे विरोधीदलों के लोग सहमत हैं कि आज जो कार्यवाही हो रही है वह स्थगित कर दी जाय और नियम ३१५ को निलम्बित किया जाय और जो दूसरे नियम इसमें बाधक हैं वे भी निलम्बित किये जायं। हमें आप उसके बाद इजाजत दें कि हम उस बिल को सदन के सामने लायें। यह है उत्तर प्रदेश राज्यभाषा विधेयक, १९६४। हम किसी नये विधेयक को नहीं ला रहे हैं और न यह कोई ऐसी चीज है कि जिस में सरकार को कोई अड़चन हो और न यह किसी सरकार की नीतिरीति के ही विपरीत है। यह हम इसलिये ला रहें हैं कि जब अपना संविधान लागू हुआ था उस वक्त राज्यभाषा हिन्दी घोषित हुई थी कि यहां का सब काम हिन्दी में होगा और उसी वक्त १९५० का अधिनियम बना था और उसके बाद से तमाम विधेयक और अधिनियम हिन्दी में आने लगे। फिर हमने दूसरा बनाया, बाद में कुछ कमी हो गई थी वह था यू० पी० आफिशियल लैंगुएज ऐक्ट, १९५१, उसमें ३ क्लाजेज थे, लेकिन सरकार ने, हमें दुख है कि जो बिल सामने रखा, उससे ऐसा लगता है कि उसकी मर्जी नहीं थी। अगर उसकी नेकनियती है तो हम आज यह बिल ला रहें हैं सरकार उसको मंजूर करे। वह जो आफिशियल लैंगुएज ऐक्ट पास हुआ था ५१ में, उसके ३ क्लाजेज थे, पहला यह था कि सारे आर्डिनेन्स हिन्दी में आयेंगे, दूसरे में है कि आर्डिनेंस और रूल्स हिन्दी में होंगे और तीसरे में है कि "all or any other purpose."।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, यह वह किस रूल के अनुसार कह रहें हैं ? क्या कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

मैं कह रहा था कि जो तीसरा क्लाज है...

(श्री मुकन्दी लाल बैरिस्टर के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रस्ताव यह है कि आज का कार्य जो कार्यसूची पर है वह स्थगित किया जाय और उसके स्थान पर दूसरा कार्य किया जाय ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

तीसरा क्लाज है "all or any other purpose." इसको चाहिये था साल भर के अन्दर गजट में नोटिफाई कर दे । वह नहीं हुआ । नतीजा यह हुआ कि जितना कार्य राज्य का हो रहा है सब अंग्रेजी में हो रहा है । तो जो तीसरा क्लाज आपने बनाया था यू० पी० आफिशियल लैंगुएज ऐक्ट, १९५१ का उसको कार्यान्वित नहीं किया । आपकी नीयत नहीं थी, मैं ऐसा नहीं कहता । नीयत थी, पर भूल हो गयी ।

श्री अध्यक्ष—

'आप' न कहिये वर्ना उससे मतलब मुझसे हो जाता है । आप सरकार कहिये ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

ठीक है श्रीमन् । सरकार की नीति ऐसी नहीं थी । अगर सरकार की कोई खामी रह गई तो उसी को पूरा करने के लिये हम राज्य भाषा विधेयक, १९६४ ला रहे हैं जिससे वह कमी पूरी हो जायगी और राज्य का सारा काम हिन्दी में होने लगेगा । अगर आप इस विधेयक को ध्यान से पढ़ेंगे जो १९५१ में लाये थे, तो देखेंगे कि उसका पास होना ही गलत हो गया, वह बेकार हो गया, सरकार ने गजट में विज्ञापन किया ही नहीं ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अगर कोई सदस्य नया प्रस्ताव पेश करना चाहता है जो एजेन्डा में नहीं है तो पहले प्रस्ताव पेश करे कि आज की कार्यवाही स्थगित की जाय । माननीय सदस्य तो एक व्याख्यान दे रहे हैं । उन्हें चाहिये कि पहले स्थगित करने का प्रस्ताव रखें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रस्ताव यही रखा है कि आज का सारा कार्य स्थगित किया जाय और सब नियम निलम्बित करके इस बिल को लिया जाय । उसके कारण वह बता रहे हैं, आप सुन लीजिये । उसके खिलाफ जो आपको कहना हो, कह दीजियेगा ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

तो बड़ा मासूम बिल ला रहे हैं । अगर सरकार दरअसल हिन्दी प्रेमी है और चाहती है कि उसका प्रचार हो । राज्य भाषा हिन्दी हो, सारा काम हिन्दी में हो, केवल प्रोपेगैन्डा के लिये बिल नहीं लाई है, तो मैं सारे विरोधी दल की तरफ से आग्रह करूंगा कि सरकार इस बात पर राजी हो जाय कि आज जो भी नियम बाधित हों उनको निलम्बित किया जाय और विधेयक हमारा सुन लिया जाय और उस पर चर्चा हो ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

नियम १२९ में एक प्रतिलिपि सरकार के पास भेजनी चाहिये थी। मुझे मालूम हुआ है कि प्रतिलिपि जो भेजी गयी है उस पर दस्तखत ही नहीं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

मैं यही कह रहा हूं कि ऐसे नियम जो इस विधेयक के लाने में बाधक हों, जिसमें नियम १२९ भी है, उनको निलम्बित किया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

पूर्व इसके कि श्रीमन्, आप मंत्री जी को बुलायें आप हमारा समर्थन भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

समर्थन हो गया। भाषण आप उग्रसेन जी देना चाहें, दे लें, लेकिन माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा है कि सारा विरोधी दल इस प्रस्ताव पर एकमत है।

श्री उग्रसेन—

मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय माधोप्रसाद जी नेता विरोधी दल की ओर से बोल रहें हैं या जनसंघ की ओर से ?

श्री अध्यक्ष—

नेता विरोधी दल की ओर से बोल रहें हैं।

श्री उग्रसेन—

तो समर्थन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, यह भी वाक्य जोड़ दें, २१ तारीख को माननीया सुचेता कृपालानी के कमरे में सर्वश्री हुकुमसिंह, राममूर्ति, नवल किशोर और बनारसी दास की उपस्थिति में माननीय बनारसीदास ने स्पष्ट कहा था सब के सामने कि विरोधी दल की ओर से भाषा विधेयक के संबंध में कोई गैर सरकारी प्रस्ताव नहीं आया इसलिये सरकार महसूस नहीं कर सकी कि भाषा के संबंध में विरोधी दल की क्या इच्छा है। उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिये ही यह प्रस्ताव है। मैं समझता हूं आप इसको स्वीकार करेंगे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

श्रीमन्, माननीय रामसुन्दर पांडय जी ने चूंकि मेरा नाम ले लिया तो मैं आपको याद दिलाऊं कि यह जो स्थिति थी अभी जो विधेयक भाषा के संबंध में पास हुआ था उसके पहले की बात कही गई थी। उसके पास होने के बाद भी नहीं कही गयी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

चूंकि यह कहा गया कि सारे विरोधी दलों की तरफ से यह प्रस्ताव है, मैं स्पष्टीकरण कर दूं इस बारे में अन्यथा कोई भ्रम पैदा हो सकता है। अभी जो विधेयक है उसको हमने स्वयं भी नहीं देखा है, लेकिन इस प्रश्न के ऊपर कि हिन्दी राज्य भाषा हो, उसका विकास होना चाहिये और हमारे राज्य में जितनी महत्ता मिलनी चाहिये वह मिले, जिसको सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, तो उसके ऊपर लोग जो अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं उन्हें करने दिया जाय। यह प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। उसके ऊपर अगर वाद विवाद हो जाय, चाहे वह नान रेजोल्यूशन करके या प्रस्ताव के तरीके से जो विधेयक आये, उस पर विचार प्रकट कर सकें। अतः मैं समर्थन करता हूं कि उस पर वाद-विवाद होना चाहिये और जल्द किया जाय।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जाब्ते से कोई नकल बिल की नहीं आयी। हमारे रूल्स में भी है कि १५ दिन का नोटिस होना चाहिये ताकि गवर्नमेंट को काफी मौका मिले उसके लीगल आस्पैक्टस को देखने का और जो मुख्य प्रोवीजन उसमें रखे गये हैं, उन पर विचार करने का। नेता सदन भी नहीं है। उनसे भी परामर्श करने का मुझे मौका नहीं मिला। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अभी हमारे त्रिपाठी जी ने कहा "यह बिल महत्वपूर्ण है, लेकिन मासूम है। नाबालिग है"। तो इस तरह की बातों से इतना बड़ा महत्वपूर्ण बिल और इस तरह से एकबारगी थर्स्ट कर दिया जाय, मैं इसको किसी तरह मुनासिब नहीं समझता हूं। गवर्नमेंट को मौका देना चाहिये और बिना मौका दिये कोई ऐसा प्रश्न नहीं आ सकता है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैंने मासूम और नाबालिग इसलिये कहा कि वह इतना छोटा और संक्षेप में है कि इसको पढ़ने और समझने में समय ही नहीं लगेगा। श्रीमन्, आप नियमों को निलंबित कर दें। मैं समझता हूं, यद्यपि इनमें काफी बुद्धि है, लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थना है कि इस पर विचार किया जाय।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, एक निवेदन करना है कि जब माननीय नेता विरोधी दल, उपनेता सदन भी यह चाहते हैं कि वह पेश हो जाय और शायद आपकी भी इच्छा है तब तो आ जाय माननीय नेता सदन की इच्छा है, आपकी इच्छा है और सरकार के कुछ सदस्यों की भी इच्छा है तो...

अनेक सदस्य—

नहीं, नहीं।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप उनके झगड़े में फंस जाते हैं, उनके असहयोग कीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, जैसा अभी उपनेता सदन ने कहा कि हमने अपने जो कानूनी सलाहकार है उनसे राय नहीं ली, अध्ययन नहीं किया, मैं समझता हूं कि यह कोई राय लेने का विषय नहीं है और न अध्ययन करने का। यह तो गैर सरकारी बिल है। यह तो तमाम विरोधी दलों के सदस्यों का हिन्दी भाषा से प्रेमीकरण का विषय है। हो सकता है कि आप इस बिल को अपने बहुमत से गिरा दें। इसलिये आपको (सरकार को) कोई घबराने की बात नहीं है। विरोधी पक्ष की भावना है और आग्रह है कि इस राज्य भाषा संबंधी विधेयक पर उनके उद्गारों को आप सुनें और अगर आप सुनने का मौका देते हैं तो जनतंत्र की बड़ी ही कद्र करेंगे। इससे माननीय सदन की मर्यादा बढ़ेगी। अतः मेरा अनुरोध है कि आप इस संबंध में अपनी उदारता का परिचय और विरोधी दलों के उद्गारों को सुनें।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने इसको पढ़ा नहीं। इसमें ४–५ खंड हैं। इससे बड़ा नहीं है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसकी प्रतिलिपि अभी उन्हें दे देता हूं। उसको बिना देखें ही स्वीकार कर लें। यह भी ज्यादती है। मैं यह समझता हूं कि यह विधेयक ४–५ लाइन का विधेयक है और आपकी आज्ञा हो तो उन तक पहुंचाये देता हूं ताकि वे इसे देख लें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मुख्य मन्त्री जी ने नेता विरोधी दल को आश्वासन दिया था कि भाषा विधेयक संशोधन करके आयेगा। हम इसको पास तो नहीं करा सकते हैं क्योंकि संख्यासुर उनकी तरफ है। अगर वह इंकार कर देते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि उधर के माननीय सदस्य इतने अंग्रजी प्रेमी हैं कि वह इस पर विवाद भी नहीं चाहते हैं। हमें यह कहना पड़ेगा कि यह अंग्रेजीदां सरकार है। आप इस पर अगर बहस नहीं कराना चाहते तो तर्क दीजिये और उग्रसेन को समझा दीजिये कि यह विधेयक बिलकुल गलत है और प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता की भावना के विरुद्ध है, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और अगर हम उनको समझा दें तो वे मान लें। माननीय मंत्री जी तो वकील रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको वापस किया और राजस्थान की सरकार ने भी वापस ले लिया है और उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर बहस भी नहीं कराना चाहती है। तो यह यहां एक मिनट रहने लायक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, ठीक है। मैं निवेदन कर दूं कि नियम ११८ में यह है कि—

"इस नियम के अन्तर्गत विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा के लिये प्रस्ताव की सूचना की कालावधि १५ दिन होगी, यदि अध्यक्ष इससे कम समय की सूचना पर प्रस्ताव किये जाने की अनुज्ञा दे दें।" और नियम १२९ में यह है कि —

"जब कभी सभा का कोई असरकारी सदस्य किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अभिप्राय की सूचना दे और यदि उसे शलाका में स्थान प्राप्त हो जाय तो सचिव यथाशीघ्र उस की एक प्रतिलिपि उद्देश्यों और कारणों के विवरण सहित संबंधित मंत्री को भेज देगा।" इसके बाद पुरःस्थापन होगा, फिर दो दिन के बाद बहस होगी, इतनी बातें हैं। इसमें मैं स्वयं सोच रहा था कि कम नोटिस पर भी ले आऊं लेकिन कोई विधिवत नोटिस उनको नहीं दिया गया है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, इसीलिये कह रहा हूं कि सारे नियम निलम्बित किये जायं।

श्री अध्यक्ष—

आब्जेक्शन को मैं ओवररूल नहीं कर सकता। मेरा निवेदन यह था कि १५ दिन का नोटिस नहीं है, कम का है। लेकिन यही नहीं, नोटिस ही नहीं है। अभी सरकार को कोई नोटिस नहीं है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, आज्ञा हो तो पढ़ दूं। कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेगा कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायगा। प्रस्ताव हमने कर दिया, अब सदन की जो आज्ञा होगी, वह मानी जायगी।

श्री अध्यक्ष—

वह तो सारे नियम देखने हैं। श्लाका में नहीं आया, नोटिस नहीं है, उनको सूचना नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, यही तो निवेदन है कि ३१५ के अन्दर हम प्रस्ताव करते हैं कि हमारे विधेयक के पुरःस्थापन में जो नियम बाधक हों वे निलम्बित किये जायं।

श्री अध्यक्ष---

मैं तो सहमत हूं, लेकिन अपनी बात बता दूं। मेरा मतलब यह है कि कोई बात सदन में आये और उसमें सरकार की बात सुनना जरूरी हो या कोई बहस आये और विरोधी दल के विचार के सुनने की आवश्यकता हो तो उसको नोटिस होना चाहिये। आप कह रहे हैं नोटिस न भी हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा मतलब यह है कि कोई नोटिस न होने के कारण यह आक्षेप जो है। वह महत्व का हो जाता है।

श्री नेकराम शर्मा---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम ३१५ के अनुसार कोई माननीय सदस्य एक प्रस्ताव ला सकते हैं। जितने भी नियम उसके लिये बाधक हों वे सब निलम्बित कर दिये जायं। आपने उसके लिये स्वीकृति दे दी, प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। उसका समर्थन कर दिया, इधर से प्रस्ताव हुआ। सरकार ने उसका विरोध कर दिया, अब कोई दूसरा तरीका ही नहीं रह गया है सिवाय इसके कि इसपर वोट लिये जायं। आप उसे वोटिंग के लिये रख दें और मामला समाप्त हो जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

आप नियम ३१६ के (३) में देखें कि उसमें विधेयक पुरःस्थापित किये जायं अर्थात् इसका मतलब यह है कि सरकार और गैरसरकारी जो भी विधेयक प्रस्तुत हों उनको प्रस्तावित और पुरःस्थापित करने का अधिकार है। उसमें उसके लिये सापेक्ष पूर्वता है। इसके अनुसार विधेयक पुरःस्थापित किया जा सकता है। आज के एजेंडे में श्रीमन्, देखें कि उसमें सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं है, सारे विरोधी दलों की ओर से है। नम्बर १२ पर मुकुटबिहारी लाल का है, दूसरा गया प्रसाद जी का है, तीसरा श्यामलाल जी का है, चौथा रियासत हुसैन साहब का है और पांचवां चन्द्रबली सिंह का है। तब अब कोई कारण नहीं है कि सरकार अपनी हठधर्मी से, अपने बहुमत के बलपर इस विधेयक को लाने से रोके। मैं माननीय नवल किशोर जी से और उपनेता सदन से पुनः निवेदन करूंगा कि वे इस विधेयक को लाने में विरोधी दल की सहायता करें जिससे हम प्रदेश की जनता की इच्छाओं को स्थापित करने में समर्थ हो।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

श्रीमन्, आपको याद होगा कि जब भत्ता विधेयक आया था उस समय सभी नियम निलम्बित कर दिये गये थे। इस समय तो आप स्वयं सभी नियमों को निलम्बित कर सकते हैं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर---

श्रीमन्, पहले इस सदन को तय करना है कि आज जो कार्यवाही इस एजेंडे पर है वह सब स्थगित की जाय। तब दूसरा सवाल आयेगा। अब मैं इसके दूसरे पहलू पर चलता हूं। जिस सवाल को आपोजीशन लाना चाहता है उससे सम्बन्धित एक विधेयक सदन पास कर चुका है।

अनेक सदस्य---

वह विधेयक पास नहीं हुआ है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर---

वह विधेयक अपर हाउस के विचारार्थ है। अब यह सदन पुनः उसी मामले पर विचार करे और उसके लिये सदन की कार्यवाही स्थगित हो और सारे नियम निलम्बित हों, उचित नहीं है। अगर कोई साधारण रिज्यूल्यूशन उन प्रस्तावों के स्थान पर होता तो बात और

[श्री मुकन्दी लाल बैरिस्टर]

थी, लेकिन जिस विषय पर विधेयक हम पास कर चुके हैं उसी पर विचार करने के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं होनी चाहिये।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं बैरिस्टर साहब की सूचना के लिये कहता हूं कि आज असरकारी दिवस है आज आप भी सरकारी सदस्य की भांति नहीं है। इधर से प्रस्ताव हो गया। उसका समर्थन हुआ, सरकार ने उसका विरोध भी कर दिया। अब कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वोट उस पर हो।

श्री नवलकिशोर—

अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगा कि जो बुनियादी बात थी वह खत्म हो गयी और नियतों पर बात आ गयी है। बहुत छोटी-सी बात है, अगर कोई विधेयक ऐसा आवे जो सदन द्वारा पारित किसी विधेयक के परपज को फ्रस्टेट करने के लिये तो वह उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि यह कोई इन्नोसेंट बात नहीं होगी इस वजह से कि इस हाउस में ऐसा कई दफा हुआ है कि आप की अनुमति से और हाउस की अनुमति से नियमों को ससपेन्ड किया गया है थोड़ी देर के लिये। मगर इस विधेयक के अन्दर किसी को आपत्ति नहीं है। प्वाइन्ट यह है कि इस विधेयक पर कानूनी सलाह लेना आवश्यक है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जितनी आस्था हमारे त्रिपाठी जी को है उससे कम हममें किसी को नहीं है। हम सब हिन्दी की बात कहते हैं। (शोर) मान्यवर, मैं यह भी मानता हूं कि किसी के शोर करने से हिन्दी का हित होने वाला नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ इतनी बात कही गई कि इस विधेयक का नोटिस भी नहीं है और इसके ऊपर कानूनी राय भी नहीं मालूम की गई है। अगर ऐसा है तो इससे कोई बड़ा भारी आपत्ति नहीं होगी। त्रिपाठी जी इसका बाकायदा नोटिस दे दें। फिर यह विधेयक पेश हो जाय। अगर यह हाउस की राय हो तो इस को मान लिया जाय। कहा गया कि वोटिंग ले ली जाय जब आप की अनुज्ञा मांगी गई और वह बात कह दी तो अब वह बात खत्म हो गई और आपने अपनी बात कह दी। लिहाजा वोटिंग होने की बात उचित नहीं मालूम पड़ती और वे वोटिंग के सुझाव से सहमत नहीं हैं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, जो यह एजेन्डा आज के लिये छपा है उसमें माननीय मुकुटबिहारी लाल जी का प्रस्ताव है। यहां पर त्रिपाठी जी उस प्रस्ताव के ऊपर अपनी बात कह चुके। मैं कुछ जवाब दे रहा था तो समय खत्म हो गया। एक तरफ की बातें अखबारों में छप चुकी हैं। उसका जवाब भी बहुत जरूरी है। बोलना पिछली दफा स्थगित हो चुका है और अब इसको जान-बूझ कर स्थगित करने की बात प्रस्तुत की जा रही है। अब यदि आप मुझे जवाब की आज्ञा दें तो वह मैं कहूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सारे नियमों को निलंबित कर के माननीय माधो प्रसाद जी को एक विधेयक प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित होने पर अनेक सदस्यों ने लाबी में विभाजन की मांग की। विभाजन के बीच निम्न कार्यवाही हुई।)

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा निवेदन यह है कि नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि किसी सदस्य के लाबी की मांग करने पर वह आपको देनी पड़ेगी। वह आपके लिये मैन्डेटरी है।

श्री अध्यक्ष--

परन्तु उनमें यह भी व्यवस्था है कि यदि अध्यक्ष समझें कि विभाजन की मांग अनावश्यक रूप से की गयी है तो वे हाथ उठवा कर मत ले सकेंगे।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

मेरी प्रार्थना है कि आप यह निर्णय न दें कि विभाजन लाबी में नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, विभाजन लाबी में होगा।

श्री नेकराम शर्मा--

भगवान करे आप लोक सभा में चले जायं।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

क्या आप लोक सभा में जाना पंसद करेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अध्यक्ष की न यहां तारीफ हो सकती है न निन्दा। मेरा निवेदन है कि आप न मेरी तारीफ करें, न बुराई।

श्री उग्रसेन--

लेकिन अगर हम अविश्वास का प्रस्ताव रख दें तो?

श्री अध्यक्ष--

फिर या तो मैं चला जाऊंगा या रहूंगा।

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, मेरा एक निवेदन यह है कि जरा यह भी देख लिया जाय कि विरोधी पक्ष के कितने माननीय सदस्यों ने हिन्दी में हस्ताक्षर किये हैं और कितनों ने अंग्रेजी में।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब यह पोलिटिकल लड़ाई तो आप बाद को लड़ लीजिये, मेरे पास नतीजा आ गया है पहले मैं उसे सुना दूं--

पक्ष में--६९

उग्रसेन, श्री	गयाप्रसाद, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री	गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
कंधईलाल, श्री	गिरजा प्रसाद, श्री
कमलासिंह यादव, श्री	गिरवरप्रसाद, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री	चन्द्रजोत यादव, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री	चन्द्रपाल, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री	जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
खयालीराम, श्री	जगन्नाथ राव, श्री
खेमचन्द, श्री	टम्बेश्वरप्रसाद, श्री

तेजभान सिंह, कुंवर
दयाराम शाक्य, श्री
दौलतलाल, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मेवालाल जायसवाल,श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुरजनराम विशारद, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हीरोलाल यादव, श्री

पक्ष में— १०८

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणसिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णसिंह, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
त्रेपन सिंह, श्री

त्रेपनसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
धर्मसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नौरंगलाल, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैजूराम, श्री
महावीरसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
रामअवध, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपालसिंह, श्री
राममूर्ति, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामायणराय, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

अतः यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्यों द्वारा अपनी तथा अपने परिवार की चल तथा अचल सम्पत्ति की घोषणा के सम्बन्ध में संकल्प--(क्रमागत)*

श्री बे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुकुटबिहारी लाल जी ने जो अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके संबंध में मैं कुछ बातें और प्रस्तुत करना चाहता हूं। श्रीमन्, यह बड़ा ही भ्रामक प्रस्ताव

*८ मई, १९६४ की कार्यवाही से।

[श्री जे० पी० मिश्र]

है । इसको पढ़ने से ऐसा कुछ मालूम पड़ता है कि इतना बड़ा संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया है । मेरा तो ऐसा खयाल है कि इस प्रस्ताव के जरिये से प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने भ्रम फैलाने का प्रयत्न है । श्रीमन्, आपके माध्यम से इस सिलसिले में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो फैसला है, वह मैं पहले अंग्रेजी में और उसके बाद हिन्दी में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा । कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस सिलसिले में ३ जून, १९६० को निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया था—

(व्यवधान)

चूंकि यह प्रस्ताव मेरे पास अंग्रेजी में है इसलिये पहले में इस सर्कुलर को अंग्रेजी में पढ़ कर, बाद में हिन्दी में पढ़ दूंगा—

"The Working Committee authorises the Congress President to require the Congress Ministers of Central and State Governments and Congress Members of Parliament and State Legislatures to submit to him annual statements of their assets, income and expenditure."

श्रीमन् कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ३ जन, १९६० को यह फैसला दोहरा दिया है कि केन्द्रीय मंत्री और प्रान्तीय मंत्री, पार्लियामेंट के मेम्बर, असेम्बली के मेम्बर, उन सबके लिये लाजिमी है, डिस्क्रिशनरी नहीं है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि वह हर साल अपनी आमदनी और खर्चे का का हिसाब कांग्रेस प्रेसीडेंट के पास भेजते रहेंगे, और श्रीमन्, जो नहीं भेजते, मुझे कुछ थोड़ी देर हुई, तो मेरा जवाब तलब हुआ कि यह नियत समय के अन्दर क्यों नहीं आया ? यह आदेश है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का । श्रीमन्, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले के अनुसार केन्द्रीय मंत्री, प्रान्तीय मंत्री, सदस्य पार्लियामेन्ट, स्टेट के मेम्बर, सभी के लिये यह मैनडेटरी है कि वह अपना हिसाब किताब आमदनी खर्चे का बराबर कांग्रेस प्रेसीडेंट को भेजते रहेंगे । श्रीमन्, इसमें केन्द्र के, स्टेट के, पार्लियामेंट और असेम्बली के मेम्बरों को साल के शुरू होने से अगर एक मास की भी देर लगती है तो फौरन आल इंडिया कांग्रेस के नाम पर उनके नाम हुक्मनामा जारी होता है कि वह अपना एकाउन्ट बराबर इंडियन नेशनल कांग्रेस को भेजते रहें । श्रीमन्, जो यह प्रस्ताव आया है सिर्फ प्रचार के दृष्टिकोण से, एक भ्रमात्मक प्रचार करने के लिये, मंत्रियों के खिलाफ झूठे चार्ज और इल्जाम लगाने के लिये लाया गया है । इसके अलावा श्री मुकुटबिहारीलाल और भारतीय जनसंघ वालों का कोई मकसद नहीं है । मै श्रीमन्, इसके खिलाफ यह कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों पर इस प्रकार की पाबन्दियां हैं । कांग्रेस वर्किंग कमेटी का आदेश है । कांग्रेस प्रेसीडेंट का हुक्म है । उनकी मर्जी की खिलाफत उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान का कांग्रेस मैन नहीं कर सकता । जो करेगा और जिसने किया है, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी ऐक्शन की तलवार टंगी है । श्रीमन्, ४ वर्ष पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने फैसले को दोहराया और मैं जानना चाहता हूं कि उपनेता, भारतीय जनसंघ से कि उनकी पार्टी में भी कोई ऐसा आदेश है कि किसी असेम्बली के मेम्बर को, या पार्लियामेंट के मेम्बर को, कि वह अपनी इनकम और एक्सपेंडीचर पार्टी के सामने पेश करें । मैं कहता हूं, और दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस का जो फैसला है, अभी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी तरफ से ऐसा फैसला हो कि किसी भी उसके जनप्रतिनिधि को अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज, आमदनी और खर्चे का एकाउन्ट देना पड़ता हो या दिया जाता हो । श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनसंघ का एकाउन्ट क्या है ? यह पार्टी कैसे हिसाब-किताब रखती है और उसकी लिखा पढ़ी क्या है ? कभी भी इस पार्टी का कोई भी एकाउन्ट न जनता के सामने आया, न संगठन के सामने आया । जब कि भारतीय जनसंघ की तरफ से दो-दो लाख रूपया एक सीट के लड़ने के लिये खर्च किया गया । गोंडा कान्सीट्विन्सी का प्रत्यक्ष प्रमाण है । श्री अटल बिहारी के चुनाव में भारतीय जनसंघ को २ लाख रुपये खर्च करने पड़े । जितनी जानकारी मेरे पास है, श्रीमन्, उसके हिसाब से मैं कहना चाहता हूं कि

ये थैलीशाह हैं जो पार्लियामेंट के लिये ७५, ७५ हजार रुपये पार्टी के नाम पर देते हैं दस-दस हजार रुपये पर एक--२ वोट बेंच कर इन थैलीशाहों को वोट दिये जाते हैं। कितना भ्रष्टाचार और अन्याय है आज भारतीय जनसंघ में। कांग्रेस के मंत्रियों पर तो झूठे इल्जाम लगाते हैं और अपनी बात नहीं कहते हैं। न इन पर इनकी पार्टी की तरफ से कोई नियंत्रण है और न कोई अंकुश। जिस तरीके से हो सके पैसे लिये जायें, जिस तरीके से हो सके वोट बेच दें। हर साल ये थैलीशाहों की बड़ी मदद से अपना सदस्य राज्य सभा में भेज देते हैं। मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनसंघ पहले खुद अपना हिसाब-किताब पेश करे इस प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने और उसके बाद ये कांग्रेस के मंत्रियों से, पार्लियामेंट और असेम्बली के मेम्बरों से हिसाब मांग सकते हैं। जहां तक हिसाब देने का संबंध है, हम बराबर हिसाब देते रहे हैं। बराबर हमसे आमदनी और खर्चे का हिसाब लिया जाता रहा है। इसलिये अच्छा प्रस्ताव यह आप ले आये। मैं इसके जबाव में आपके सामने मशविरा पेश करना चाहता हूं, प्रदेश की और देश की जनता की दृष्टि में और अपनी पार्टी की दृष्टि में, भारतीय जनसंघ ने फैसला नहीं लिया है तो मेहरबानी करके उपनेता, भारतीय जनसंघ, इस मामले को मूव करें। (व्यवधान) दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाने के पहले, दूसरे के ऊपर हमला करने के पहले, गुड फेथ में अगर हो तो हम स्वीकार कर सकते हैं, कांग्रेस के तमाम असेम्बली और गवर्नमेंट आफ इंडिया के मिनिस्टर्स का स्टेटमेंट, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर जन्तर मन्तर रोड, नयी दिल्ली में मौजद है। हम आपको इनवाइट करते हैं, चल कर देख सकते है बशर्ते कि आप गुड फेथ में हों। लेकिन यहां फेथ का सवाल नहीं है। चीप पब्लिसिटी चाहिये, कांग्रेस के मंत्रियों पर हमला चाहिये और आपको आजादी चाहिये कि चुनाव लड़ने के बाद तीस तीस और बीस बीस हजार रुपया एक एक मेम्बर वोट बेच कर कमाये और जनता का हितू का हितू बना रहे।

आपके माध्यम से आखीरी बात मैं यह कह देना चाहता हूं, सीताराम जय पुरिया और रामसिंह ने जितना पैसा दिया है, जितना आपकी पार्टी को दिया है और जितना आपके मेम्बरों को दिया है उसका एकाउन्ट आप इसी सदन में देने की कृपा जल्दी से जल्दी करें। अगर आप अपना एकाउन्ट नहीं दे सकते तो आपको यह अनधिकार चेष्टा है एक आर्गेनाइज्ड पार्टी पर, जिसका कि हर साल एकाउन्ट पहुंच जाता है, आप आरोप लगायें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

जरा सिराजुद्दीन कम्पनी का एकाउन्ट भी दिलवा दीजिये, कई सीताराम जयपुरिया का एकाउन्ट उसमें आ जायगा।

श्री जे० पी० मिश्र--

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि प्रस्ताव भारतीय जनसंघ की तरफ से आया है इसलिए मैंने केवल भारतीय जनसंघ के सम्बन्ध में बातें की हैं। अगर श्री का ीनाथ मिश्र भी उसमें शामिल हों तो मैं यह उनसे जानना चाहूंगा कि ४ लाख रुपया फर्रुखाबाद की कांस्टीट्यूएंसी में डाक्टर लोहिया के चुनाव में जो खर्च हुआ वह कहां से आया ? (व्यवधान) इसका भी हिसाब उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को देना होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं डाक्टर लोहिया के चुनाव के एक एक पैसे का हिसाब इस सदन में पेश करने के लिये तैयार हूं और माननीय जे० पी० मिश्रा चल कर चुनाव कार्यालय में देख सकते हैं। एक एक रुपये और पांच-पांच रुपये का मनीआर्डर जनता से आया है, जनता ने सारा पैसा दिया है

[श्री काशीनाथ मिश्र]

(शोर)

आप माननीय सदस्य से कहें और डाक्टर लोहिया ऐसे आदमी का नाम वह क्यों लेते हैं ?

(शोर)

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद पीठासीन हुए ।)

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो माननीय मुकुट बिहारी लाल जी ने संकल्प रखा है उसमें मेरा यह संशोधन है कि उक्त प्रस्ताव में निम्न शब्द जोड़ दिये जायं--

"साथ ही इस सदन का यह भी निश्चित मत है कि चूंकि राज्य के मंत्रि परिषद् का निर्माण राज्य के विधान मंडल के सदस्यों से होता है इसलिए राज्य के विधान मंडल के सदस्यों की भी पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति के बारे में उनके सदस्य चुने जाने के पहले और पांच साल के बाद सरकारी तौर पर जांच कराकर सदन की मेज पर रखा जाया करे और अनुचित रूप से सम्पत्ति प्राप्त करने वाले विधायकों व मंत्रियों को आगामी चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाय ।"

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह संशोधन इसलिए लाया हूं कि मैंने देखा है और सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि प्रदेश या देश के कोने कोने से जब भी, कांग्रेस के मुख्य तौर से, एम० एल० एज० विधायक चुन कर के आये हैं, पांच साल के बाद यह देखा गया है कि उनकी कई कई कोठियां खड़ी हो गई हैं, कई फार्म्स उनके बन गये हैं और कारखाने उनके चलने लगे हैं। जहां कहीं १३ बीघा खेत था वहां १,३०० बीघा हो गया है । जिसके पास एक बिस्वा का भी फार्म नहीं था उसके यहां नलकूप लगा हुआ है और उसके नाम से स्कूल चलाये जा रहे हैं और उन स्कूलों के नाम से जनता का पैसा हड़पा जा रहा है, भट्ठे चल रहे है। यही नहीं, बहुत सा ऐसा पैसा जो जनता को नियोजन विभाग से मिलता है उसको भी एम० एल० एज० हड़प जाते हैं । इस संशोधन को इसीलिये लाया गया है कि सारे विधायक यहां आने के शुरू में और ५ साल के बाद अपनी जायदाद का ब्योरा दें ताकि यह पता चल सके कि ५ साल के अन्दर उन्होंने कितना कमाया और वह जायज था या नाजायज । जब कांग्रेस कमेटी ने सन् ५० में यह प्रस्ताव किया था तो प्रतापसिंह कैरों के लिये यह लागू क्यों नहीं हुआ ? उस पर ऐक्शन क्यों नहीं लिया गया ? उसकी जिम्मेदारी जे० पी० मिश्र पर, सरकार पर या कांग्रेस कमेटी पर है ? लेकिन आज जब यह प्रस्ताव लाया गया है तो मिश्र जी को घबराहट हो रही है। उनको घबराहट इसीलिये है कि उनके पास बस के परमिट है, वे नाजायज तरह पर पैसा पैदा करते हैं । जब वे विरोधी दल के सदस्यों से मांगते है तो अपने लिये उनको घबराहट क्यों है ? उनको तो सबसे पहले इसको स्वीकार करना चाहिये था । अगर वे नाजायज तरीके से कोई पैसा पैदा नहीं करते तो शुरू में और ५ साल के बाद वे आसानी से हिसाब दे सकते हैं । जब वे जनसंघ को मालदारों की पार्टी बताते हैं, विरोधी दल के लोगों को कहते हैं तो उनको सबसे पहले ही स्वीकार करना चाहिये । माननीय चन्द्रभानु गुप्त यहां बैठे हुए हैं । मौदहे क्षेत्र में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने कितना वहां खर्च किया था, जरा हिसाब बतायें । रामरतन गुप्ता एम० पी० ने गोंडा से चुनाव लड़ा । तीस तीस मोटरें चलती थीं, एक-एक आदमी को बुलाकर कहा जाता था कि तुमको गुप्ता जी याद कर रहे हैं । जिनके यहां एक पैसा नहीं, खाने को एक दाना नहीं, उनको बुला कर कहा जाता था ।

श्री बसंतलाल शर्मा--

श्रीमन्, श्री रामरतन गुप्ता के इलेक्शन का मामला इलेक्शन ट्रिब्युनल के विचाराधीन है, उसका यहां जिक्र नहीं होना चाहिये ।

श्री सुखदेवप्रसाद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब कोई सही बात कही जाती है तो बड़ी घबड़ाहट होती है और कड़वी भी लगती है। जे० पी० मिश्रा जी ने अपनी बात नहीं कही कि वे हिसाब देने को तैयार हैं। मुझसे कहिये मैं हिसाब दे सकता हूं, हमारी पार्टी के मेम्बर दे सकते हैं। आज जबकि नन्दा जी २ साल के अन्दर भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसके कारण परेशान है, तो बड़े बड़े आफीसर, मंत्री, और एम० एल० ए० जो सत्तारूढ़ दल की ओर से हैं और करोड़पति बन गये हैं जबकि थोड़े दिन पहले भुखमरे थे, उनसे जब इस किस्म का हिसाब मांगा जाता है तो उसके देने में क्या मुश्किल बात है? कौन ऐसी खौफनाक चीज कही जाती है, यदि सरकार की नीयत है कि वह भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी। अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो क्या यही तरीका है कि हम अपना हिसाब किताब कुछ भी न दें और गरीब जनता जिसके शरीर में खन तक नहीं रह गया है वह भूखी नंगी मरती रहे?

मैं आपको गोंडा जिले के बलरामपुर तहसील के तराई क्षेत्र की बात बतलाऊं कि वहां हजारों की संख्या में जनता भखों मर रही है जब कि गलत मस्टर रोल भर कर आफिसरों द्वारा पचीसों हजार रुपया गबन कर लिया गया है। उन आफिसरों से मांगा जाना चाहिये कि वे अपना हिसाब दें। आप देख रहे हैं कि आज सिनेमा स्टार्स के यहाँ से कितने रुपये निकल रहे हैं, इनकम टैक्स आफिसर्स के यहां से कितने रुपये निकल रहे हैं, तो अगर आज विधान सभा आपसे हिसाब मांगती है तो इसमें क्या मुश्किल है? मैं समझता हूं कि अगर सरकार की नीयत दुरुस्त है तो वह इस प्रस्ताव का विरोध न करे या यह कहे कि हम इसको चाहते हैं। भ्रष्टाचार कोई ऐसी आसान चीज नहीं है जो कह देने भर से ही समाप्त हो जाय। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये तो सबसे पहले दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा और अपनत्व का त्याग करना पड़ेगा। आपको यह कहना पड़ेगा कि हमारी मासिक आय इतनी है और मासिक व्यय इतना है और ५ साल तक हम जिस पद पर थे उससे हमको इतनी आमदनी हुई। नियोजन तो करना चाहिये, यह मैं कैसे कह सकता हूं कि नियोजन नहीं होना चाहिये। नियोजन तो जरूरी है, पर आज नियोजन नहीं है उसी के नाते सरकार के मंत्रिगण और खासतौर पर सत्तारूढ दल के एम०एल० ए० बड़े-बड़े आफिसर्स को यहां देखा जाता है कि उनका कोई हिसाब किताब नहीं है कि कितना उनका खर्चा है और कितनी उनकी आमदनी है। अगर रेकर्ड मांगते हैं तो कुछ नहीं है, इसलिये कि उनको पैसे की जरूरत रहती है। मुझे यहां तक मालूम है कि उद्योग विभाग से गोंडा जिले में जो रुपया लिया गया है उसे आफिसरों ने मिल कर अपने लड़के, बीबी व भाई बंधुओं के नाम दिला दिया है और यहां तक कि उद्योग विभाग से रुपया दिया गया सन् १९६० में और जब उसकी वसूली का आदेश सरकार की तरफ से गया तो कांग्रेसी होने के नाते यहां लखनऊ में आकर उसकी वसूली स्थगित करा दी गयी और हो सका तो वहीं डी०एम०से स्थगित करा दिया गया।

ऐसी हालत में हमें और कोई दूसरा चारा नहीं दिखलायी पड़ता है सिवा इसके कि आपसे कहूं कि आप अपना हिसाब दिखलावें कि ५ साल के बाद आपकी आमदनी कितनी बढ़ गयी और वह किसी उचित तरीके से बढ़ी या किसी अनुचित तरीके से बढ़ी। आज हम देखते हैं कि सारे प्रदेश में और उसके साथ साथ सारे देश में जो गरीब तबका था वह गरीब होता गया और जो धनी वर्ग था वह करोड़पती व लखपती बन गया। मैं आपसे कहूं कि आप यहां लखनऊ के अन्दर देखें चाहे गांवों में देखें कि जो तीन तीन बार एम०एल०ए० चुन कर आये हैं उनके घरों में जहां पहले कोई ठिकाना नहीं था, आज उनके कई कई फार्म्स हैं जब कि जनता भूखों मर रही है। वे हिन्दी को अपनी भाषा नहीं कहते जो आज जनता की भाषा है, गरीब जनता की भाषा है, हरिजनों की भाषा है जिसको वे अच्छी तरह से समझते हैं और जिस भाषा में पढ़ कर उनके बच्चे ऊंचे पदों पर पहुंच सकते हैं। हमारी सरकार आज इस बात को मानने के लिये तैयार

[श्री सुखदेवप्रसाद]

नहीं है और वह उसे स्वीकार नहीं करती। तो हमें तो एक मत होकर यह निश्चय करना पड़ेगा और यह कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी जमाने में कोड़े खा खा कर यह सरकार यहां बैठी है और आज भी सत्तारुढ़ दल उस अंग्रेजियत को लागू रखना चाहता है और जिसके नाते न तो अपना हिसाब देना चाहता है और न कुछ और ही करना चाहता है । मिश्रा जी तो चले गये, अब मैं हिसाब मांगूं तो किससे ? मंत्रिगण यहां बैठे हुए हैं । आज भी बहुत स फार्म्स हैं और सीलिंग का कानून जो लाया गया वह केवल हरिजनों को, वह छोटे वर्ग को धोखा देने के लिये ही है कि हम हरिजनों की जमीन देंगे। लेकिन हुआ क्या ? वह सारी जमीन उन्हीं के नाती, पोतों, लड़कों, पतोहू और बीबी को चली गई और वह इस लिये कि जो कानन उन्होंने बनाया था वही गलत बना था, उसमें ही ऐसी गुंजायश रखी गयी थी कि यह सब कुछ हो सकता था। जब उसमें हक था तो कराते क्यों नहीं ? उन्होंने कोई गलत नहीं किया, बल्कि आपने स्वयं उस कानून के अनुसार गरीबों को जमीन देना नहीं चाहा और आप कहते हैं कि हम हरिजनों के हमदर्द हैं और हम उनको बहुत ऊंचा उठाये हैं। आपने उनको ऊंचा नहीं उठाया बल्कि और कई हजार हाथ नीचे गिराया है । उन को आप १८ प्रतिशत रिजरवेशन ही नहीं पूरा करा सके, अब आप २५ और ४५ प्रतिशत कर रहे हैं, लेकिन उनका वह १८ प्रतिशत ही किसी तरह से पूरा हो जाय। आप यह १०० प्रतिशत कर दें, लेकिन वह पूरा होने वाला नहीं है । आप कहने को यहां भले ही कह दें, लेकिन आप स्वयं उनके घर में नहीं बैठेंगे, उनका पानी नहीं पियेंगे, वोट मांगने भले ही चले जायं....।

श्री अधिष्ठाता—

आप विषय पर बोलें।

श्री सुखदेवप्रसाद—

मैं विषय पर ही बोल रहा हूं, लेकिन चूंकि श्री मिश्र जी ने बड़ी-बड़ी बातें कह दीं, मैं तो कोई परमिट वगैरह लिये हुय नहीं हूं और हो सकता है कि हमारे यहां भी कुछ लोग ऐसे हों, लेकिन अधिकांश ऐसे लोग उधर ही हैं इसीलिये उन्हें अधिक परेशानी और तकलीफ है । इसलिए यह संकल्प जो प्रस्तुत किया गया है उसमें मैंने अपना यह संशोधन पेश किया है कि उसको इसके साथ जोड़ दिया जाय। इतना कहकर अब मैं समाप्त करता हूं ।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, इस प्रस्ताव के संबंध में अभी श्री जे०पी० मिश्र ने घोषणा की कि यू० पी० कांग्रस कमेटी के अध्यक्ष का एक सर्कुलर है कि मंत्री अपनी हैसियत को प्रति वर्ष घोषित करें और यह कहकर वह बड़े आवेश में भाषण दें कर चले गये । मुझ में तो न इतना आवेश है, न इतनी ताकत है और न मेरी झगड़ा करने की प्रवृत्ति ही है, लेकिन मैं उन से नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं या सरकार के किसी वरिष्ठ मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी मंत्री ने यहां अपनी हैसियत की घोषणा इस वर्ष की है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

हमने की है ।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

हमने भी की है ।

श्री गयाप्रसाद—

खास तौर से मैं जानना चाहता हूं इस सदन के भूतपूर्व सहकारिता मंत्री, श्री चतुर्भुज शर्मा के बारे में और गांजा भांग के मंत्री और ट्रांसपोर्ट के मंत्री के बारे में जिनपर साफ चार्जेज लगाये

गये, लेकिन उसके बावजूद सदन में एक भी वरिष्ठ मंत्री की ओर से कोई उत्तर नहीं आया कि यह भ्रष्टाचार के चार्जेज गलत हैं। हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ परिवहन मंत्री के खिलाफ केस रखा, मुख्य मंत्री को लिखा, नन्दा जी को लिखा और उस मामले को खिलवाड़ बनाकर मुख्य मंत्री जी ने विजिलेंस कमीशन के पास भेज दिया और उसके टर्म आफ रिफेंस में उन्होंने लिखा कि इन्क्वायरी करके २ मास में रिपोर्ट भेज दी जाय। जब मैं उस कमेटी के चेयरमैन, श्री मुसद्दी लाल से मिला तो उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कुछ अधिकार दिये भी थे वह भी मुझसे छीन लिये। वह कहते हैं कि किसी एवीडेंस या रिकार्ड के मांगने की जरूरत नहीं है, आप केवल २ महीने के अन्दर एक इन्क्वायरी की रिपोर्ट भेज दें। हमारी मंशा थी कि हम डेफिनिट चार्जेज लगा रहे हैं आप उसकी इन्कवायरी के लिये जिम्मेदारी के साथ कोई स्पेशल कमीशन बना दें, वह किसी जज को दे दें और अगर वह साबित हो जाय तो ठीक, वर्ना मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। श्री मुजफ्फर हसन और उनके विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सारे चार्ज प्रूव हो सकते हैं। आजतक न जांच हुई और न कोई रिपोर्ट ही आई, आज ६ मास हो चुके, लेकिन एक भी रिपोर्ट नहीं आ रही है। रिपोर्ट वह दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो फैक्ट्स मैंने रखे हैं उनकी तहत में लिख नहीं सकते कि भ्रष्टाचार इसमें नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में जब आपकी मंशा है और कांग्रेस की तरफ से घोषणा होती है तो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के चार्जेज लगाये जाते हैं उनकी तरफ से स्पष्टीकरण होना चाहिये।

अब मुझे सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में कहना है कि रजिस्ट्रार महोदय ६ साल से उसी जगह पर विराजमान हैं। उनके विरुद्ध पिछले सहकारिता मंत्री श्री चतुर्भुज शर्मा ने कहा था कि इनको यहां से बदला जाय क्योंकि इनके खिलाफ शिकायतें हैं, लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। जिसके कारण मंत्री ने इस्तीफा भी दिया था। बाद में मामला हश अप कर दिया गया। क्रिकेट का मैच देखने के लिये कानपुर की किसी यूनियन से २६० रु० का टिकट खरीदा गया जिसको आडिट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। सहकारिता विभाग का व्यापार साल में १५ करोड़ रु० का होता है जिसमें सरकार की मोनोपली है और उसमें एक पैसा मुनाफा नहीं हुआ। साढे ७ करोड़ जो फिक्स्ड डिपाजिट में है उसी का इंटरेस्ट ६ साढे ६ लाख के करीब होता है, उसमें से भी डेढ़ लाख का हिसाब नहीं है। केवल ५ लाख का हिसाब दिखाया गया है। तो वह डेढ़ लाख रुपया कहां गया ? इन चीजों पर अगर परदा डालेंगे तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनके खिलाफ चार्जेज प्रूव हो गये हैं वह अगर अपने स्थान पर रखे जाते हैं, तरक्की पाते हैं तो उनको संरक्षण जिन मंत्रियों से मिलता है वह मंत्री भी उस भ्रष्टाचार से दूर नहीं हैं। उनका भी उसमें साझा है। इलाहाबाद के आर० टी० ओ० जो कानपुर में हैं उनकी मंत्री जी से साठ-गांठ है और अपने रिश्तेदारों को पचासों परमिट दिये हैं और एक एक करके मैंने गिनवा दिये। तो ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को क्यों नहीं हटाया ? अगर नहीं हटाया गया तो मंत्री जी की साजिश है, उनका उसमें हाथ है। दूसरे आर० टी० ओ० नैनीताल के हैं जिन्होंने १२ परमिट एक व्यक्ति को ओवर नाइट दिये। क्यों दिये ? और एक परमिट अपनी सास के नाम दिया जिनका नाम शिवदेवी है। ऐसे चार्जेज होने पर उन अधिकारियों की तरक्की होती है तो क्या समझा जाय ?

यहां एक मोटर कम्पनी के मालिक हैं जो मरसीडीज गाड़ी बेंचते हैं। उन्होंने एक बस परिवहन मंत्री के किसी रिश्तेदार को दी और बिना पैसे के। यही नहीं, १२ हजार रु० भी दिया जिससे उसकी बाडी बन सके, इन्श्योरेंस दाखिल हो। मैंने साफ केस दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में जो प्रस्ताव आया है, गोल-मोल ढंग से कह देना कि प्रत्येक मंत्री घोषणा कर देता है उससे काम बनने वाला नहीं है, वह बहुत उचित है। वह कौन मंत्री हैं जिनके ४, ४ मकान बने हैं। अभी महानगर में बन रहा है। कहां से पैसा आया ? उनके घर में ४८० बोरे सीमेंट पकड़े गये, मैंने पकड़वाये, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

[श्री गयाप्रसाद]

ऊपर से कहा जाता है कि भ्रष्टाचार नहीं है । कोई उदाहरण ऐसा नहीं है जिस पर कोई कार्यवाही की गयी हो । मैंने कल ही मुख्य मंत्री को पत्र लिखा कि एक सिटी मैजिस्ट्रेट ने ढाई हजार सरकार का रुपया गबन कर लिया है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी । कितने ही केसेज में मैंने शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ । कहा यह जाता है कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया के इलेक्शन में ४ लाख का खर्चा किया गया । मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि इस इलेक्शन में एक-एक पैसे का जो खर्चा हुआ है, वह सरकार के रिकार्ड में है । जो मनीआर्डर पांच पांच रुपये और दस-दस रुपये के १००-१०० एक एक दिन में आये, वे आप देख सकते हैं । रिकार्ड आपके पास है । पर मैंने तो स्पेसिफिक केसेज सरकार के सामने रखे हैं उनका विस्मरण और अनावरण किया जाय । अगर अनावरण करते हैं तो माननीय मुजफ्फर हुसैन साहब यहां पर उस कुर्सी पर कैसे बैठे हुए है ?

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत संकल्प के ऊपर जिस प्रकार से विवाद चल रहा है उससे कुछ विवाद के स्तर के संबंध में अगर कोई टीका-टिप्पणी की जाय, तो मैं समझता हूं कि उससे वातावरण कुछ और भी उत्तेजित होगा । मैं खास तौर से विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव का मकसद यह नहीं है कि इधर के बैठने वाले लोग और उधर के बैठने वाले लोग एक दूसरे पर आक्षेप लगायें ।

श्री गयाप्रसाद--

श्री मिश्रा जी ने क्या कहा है ?

श्री रामलखन शुक्ल--

अगर मिश्रा जी ने ऐसा किया, तो मैं निवेदन तो कर रहा हूं कि मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि इस बात को सदन में चर्चा की जाय कि लोहिया जी के चुनाव में ४ लाख रुपये का खर्चा हुआ या क्या खर्चा हुआ । मेरी राय में कतई यह इसकी मंशा नहीं है कि विभिन्न मंत्रियों के ऊपर इस प्रकार के आक्षेप उनके चरित्र के बारे में उठाये जायं । ऐसी बातें सदन में न की जायं कि जिनके तत्काल प्रमाण न दिये जायं और मंत्रियों और सदस्यों के ऊपर अंगुशनुमायी न की जाय । हो सकता है कि प्रस्तावक महोदय का ही चरित्र बहुत ऊंचा हो, एबव बोर्ड रहे हैं, पर इस संकल्प का अभिप्राय यह कतई नहीं है । हम सब लोग विधायक हैं और इस प्रकार से सदन में बैठकर हमें दूसरों के चरित्र पर कटाक्ष नहीं करना चाहिये । इस तरह से कहना कि मंत्री लोग अपना हिसाब-किताब आंकड़ों सहित प्रस्तुत करें, यह भी इस संकल्प का उद्देश्य नहीं है । जो भी सदस्य जब चाहे वह मंत्री ही क्यों न हो, जनता द्वारा चुनकर आता है और उसे विशेष प्रकार की सुविधा होती है । वह एक विशिष्ट या प्रिविलेज्ड व्यक्ति है, जिस प्रिविलेज का प्रश्न आप यहां हर रोज लाते हैं, और उससे उम्मीद है और उससे आशा की जा सकती है कि वह अपने चरित्र को दूसरों के लिये उदाहरणस्वरूप बनायें । मैं समझता हूं श्रीमन्, इसका एक ही तरीका है । यहां पर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, दलगत राजनीतिक मान्यताएं प्राप्त हो चुकी हैं । कुछ थोड़े से विधायकों को छोड़कर प्रायः सभी जिनके पीछे कोई राजनैतिक शक्ति है वे कहीं न कहीं से और किसी न किसी पोलिटिकल पार्टी से चुनकर आये हैं । तो मैं समझता हूं कि उन पोलिटिकल पार्टीज का फर्ज है कि वे अपने संबंधित सदस्यों को ऐसा बनाने की व्यवस्था करें कि कोई ऐसी बात उनके विरुद्ध नहीं होनी चाहिये कि जनता की ओर से या और किसी की ओर से उन पर अंगुशनुमायी का मौका मिले ।

श्रीमन्, माननीय जे० पी० मिश्र ने एक पत्र पढ़ कर सुनाया । मैं इशारा करना चाहता हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस ने एक बड़ा सुन्दर कदम उठाया है । आज उठाया है और आज से चार साल पहले भी उठाया था । उसके अनुकूल कार्यवाही होती है या नहीं ?

इसकी जिम्मेदारी और किसी की नहीं है। यह तो हमारी पार्टी के अन्दर की बात है और जो कांग्रेस दल का संचालन करने वाले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। वे ही लोग कह सकते हैं कि हमारे दल के विशेष व्यक्ति उसका परिपालन करते हैं या नहीं। परन्तु यह कहना कि हमारे जो परिपत्र हैं उनका पालन हमारे दल के लोग नहीं करते हैं, उन लोगों का जो उस दल से संबंध नहीं रखते हैं, उनका नैतिक अधिकार नहीं है। प्रचार की दृष्टि से जो चाहे वह कह सकते हैं। लेकिन बिना जिम्मेदारी के अगर वे कोई बात कहा करेंगे तो इस प्रस्ताव की पूर्ति नहीं हो सकेगी। देश का नेतृत्व कांग्रेस ने किया है और इस सुन्दर कदम को कांग्रेस ने उठाया है और इसका परिपालन कांग्रेस से संबंधित लोग ही करते हैं। दूसरे लोग करते हैं या नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं। दूसरे दल में इसकी व्यवस्था है या नहीं, इसकी मुझे कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि जब उनकी ओर से ऐसे प्रस्ताव के पास कराने की बात हो रही है तो जरूर ऐसी व्यवस्था उनके यहां होगी। लेकिन श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि इसका एक फन बना देना या दूसरे का जायज या नाजायज एक तरे करना ठीक नहीं है और इस प्रस्ताव की मंशा के विपरीत है। यदि यह मंशा है और उद्देश्य यह है कि प्रस्ताव की सूरत कुछ भी हो, लेकिन हम वही बातें करेंगे और वही चर्चा करेंगे कि अमुक अमुक मंत्रियों के खिलाफ हमने ये चारजेज लगाये थे फिर भी वे कुर्सियों पर क्यों बैठे हैं? तो मैं समझता हूं कि इसके अर्थ के विपरीत बात हो रही है।

इस संबंध में बहुत ज्यादा कहने की कोई बात नहीं है। लेकिन इस अवसर पर हमें महसूस करने का मौका है कि हम अपनी बातों पर विचार करें कि जो ऐक्शन हमने लिया है उस पर सिंहावलोकन करें कि जो हम कह रहे हैं वह ठीक है या हम ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जो हमारे लिये उपादेय नहीं है। मंत्रि-परिषद् को श्रीमन्, कोई डिप्टी कलेक्टर की नौकरी नहीं है कि २५ साल बाद उसको पेंशन मिलेगी। यहां तो हर पांचवें साल एक प्रयोग होता है और हर पांचवें साल शासन के बदलाव का भी प्रयोग होता है। जो उधर बैठे हैं वह वहां बैठ सकते हैं। इसलिये ऐसी बात कहनी चाहिये जो जिम्मेदारी की हो। यह डिफीटिस्ट मेंटेलिटी प्रतीत होती है। वह सोचते हैं कि हमें गाली देने का ही अवसर आयेगा। इसलिये जो चाहे कहा करें और जिम्मेदारी से बात करने की जरूरत नहीं है। जनतंत्र में इस बात की संभावना मानी जाती है कि विरोधी दल ट्रेजरी बेंचेज में आ सकता है। इसलिये इस प्रस्ताव की नितांत आवश्यकता है। उसके भाव का परिपालन परिपाटी से हो सकता है। हम सेल्फ डिसिप्लिन्ड हों और अपने चरित्र को स्वयं बनायें। दूसरों की इसमें आवश्यकता नहीं है। रोज ब्यूरोक्रेसी की शिकायत होती है और आज आप अपना हिसाब-किताब लेकर उसके समक्ष प्रस्तुत करने के लिये तैयार हैं। यहां तो मंत्री लोग रोज अपना हिसाब-किताब देते हैं और रोज उनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाये जाते हैं। अनेक प्रकार की संसदीय विधि उनसे हिसाब-किताब लेने की आपके पास है। मंत्रियों से तो रोजाना प्रश्नों द्वारा उनका लेखा-जोखा लेते हैं। फिर मैं नहीं समझता कि ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से क्यों इसको प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनकी नेकनियती में हम रोज शक प्रदर्शित करते हैं। ऐसे मार्ग पर विरोधी दल जा रहा है जिस पर मैं समझता हूं कि उनकी स्वयं भी इच्छा नहीं होगी।

इसलिये मैं माननीय उपनेता जनसंघ दल से कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करने की बात सोचें क्योंकि इससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध होनेवाला नहीं है। इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, वैसे पहले मेरी नीयत नहीं थी कि मैं इसमें भाग लूं, लेकिन माननीय मिश्र जी ने बारबार मुझे आह्वान किया तो 'अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चन्दन तें होई।' मुझे भी विचार करना पड़ा कि मैं अपने विचारों को प्रकट करूं। यह प्रस्ताव बड़ा प्रजातांत्रिक, आपकी मर्यादाओं को सुरक्षित करने वाला है, आपके

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

मिनिस्टरों की मर्यादाओं के अनुकूल है। यह बड़ा सीधा-सादा-सा प्रस्ताव था। इस पर गर्व के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ आप को सहमति देनी चाहिये थी। इसमें है क्या—"इस सदन का यह निश्चित मत है कि मंत्रि-परिषद् के सभी सदस्य इस पद पर नियुक्त होते समय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन अपनी तथा अपने परिवार के सभी सदस्यों की सम्पूर्ण चल तथा अचल सम्पत्ति की घोषणा अनिवार्य रूप से किया करें तथा बताया करें कि उक्त सम्पत्ति उन्हें कैसे प्राप्त हुई।" यदि कोई बात इसमें अनुचित होती तो आप हम पर हमला करते कि हम भी तो बेईमानी कर रहे हैं। यह प्रस्ताव क्यों रखा गया है? यह समय की मांग है। हम जेल में जाते हैं, कहीं जाते हैं यही सुनते हैं कि यह तो करोड़ों हो गये हैं चाहे जो करें, यह तो बीरेन मिश्रा हो रहे हैं, यह देखिये बीजू पटनायक हैं, आप चाहे जितना लूटो, आपको क्या कमी है, आप तो गांधी टोपी वाले हैं। तो किस कोने में गांधी टोपी को छिपाऊं? लोग पूछते हैं कि तुम्हारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का क्या हाल है? या फलां मंत्री के बारे में बताओ? तो मैं मौन हो जाता हूं। जब यहां किसी मंत्री के खिलाफ कोई बात उठायी जाती है और उसका जवाब नहीं दिया जाता है और फिर जब लोग पूछते हैं उसके बारे में, तो मैं तो मौन हो जाता हूं। विश्वास मानिये कि मैं १०, १५ रोज हुये मेल से बनारस जा रहा था। वहां गाली-गलौज होने लगी। मैंने गांधी कैप लगा रखा था, मैंने उसको उतारकर पाकेट में रख लिया। उन लोगों ने कहा कि सारे देश के नेताओं को मिलकर लूट लो, मालिक बन गये हैं न। तो जनभावनायें कहां छिपाई जायं? हमने एक बड़ा सीधा-सादा प्रस्ताव इसीलिये रखा है कि लोग समझ लें कि मंत्रियों के पास क्या है और मंत्रिगण ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है वह प्रति वर्ष इसको जनता के सामने रख दें। अगर उनकी दाढ़ी में तिनका नहीं है कि तो इससे घबड़ाने की बात क्या है? माननीय उपनेता सदन चले गये, उनको मासूम शब्द से बड़ी परेशानी थी। कौन सी चीज इसमें है जो आपके स्वाभिमान को ऊंचा करने वाली नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष संजीव रेड्डी जी ने कहा कि मैंने सरकुलर निकाला कि लोग अपने लेखे को दें, लेकिन एक या दो परसेंट ने दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब से युद्ध बन्द हुआ करोड़पति लोग हो गये, यदि इसमें सत्यता है तो कहें, लेकिन अब सहारा आपके पास किसका है? दल के अनुशासन का। दल, दाल के जो दो दल हैं, इस दो दलों के दलदल में फंस कर इस समस्या से बाहर नहीं निकल पाते।

माननीय नवल किशोर जी के लिये मैं कह दूं कि इनके पास ३ करोड़ रुपये हैं, तो उसके लिये सबूत होना चाहिये, लेकिन करोड़ों के बारे में जिसके बारे में मुझे क्षमा करेंगे, देश के सब से बड़े नेता ने कहा था दास कमीशन के पहले कि वह एबव बोर्ड हैं, मैं उनके सामने नतमस्तक हूं, लेकिन दास कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया है उसके बाद तो वह वस्तु निस्सन्देह हो गया है। उस पर अब आक्षेप नहीं हो सकता। लेकिन दास कमीशन के पहले उनके नेता ने क्या कहा था उसे सोचिये। तो आज जो दल की दुहाई देते हैं उनसे मैं कहता हूं कि दल के दलदल से निकलिये। फिर यह भी एक बात है कि दल के बाहर किसी की शिकायत करना मना है, लेकिन दल में ही कहा जाय। अब चाहे आप दल में कुछ कहें या सदन की चहारदीवारी के अन्दर जो चाहे पास कर लें, लेकिन भारतवर्ष में ही नहीं, सारी दुनिया का हर व्यक्ति जानता है कि करप्शन आज अपनी चरम सीमा पर इस दल में है।

आज कुछ भी वकालत की बात करके आप हमको संतुष्ट कर दें लेकिन हम लोग तथ्य की बात कहते हैं। मैंने ४,५ नाम लिये, ऐसे अनेक नाम हो सकते हैं। मैं सारी बात नहीं कहना चाहता हूं केवल एक थोड़ा-सा संकेत किया है। मिश्रा जी ने न्योता दिया तो इसलिये थोड़ा-सा कहना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा कि हमारी संस्था ने यह किया, लेकिन आपकी संस्था ने क्या किया? मेरी संस्था ने क्या किया यह मैं अपनी ओर से क्या कहूं। आप कहते हैं कि ७६ हजार लिया, मगर आप भी तो देखिये कि क्या किया। एक आदमी ने मेरे चुनाव में, एक कांग्रेसजन ने मेरे चुनाव में कहा कि यह माधोप्रसाद जनसंघी बनता है, इनके यहां

गोमांस का ठेका लिया जाता था और गो कटवाई जाती थी। मैंने कहा कि एक कांग्रेस मंत्री ने यह ठेका दिलवाया था। कांग्रेसजन जब इस तरह की बात करते हैं तो उनका क्या जवाब हो सकता है? कैरो कमीशन की बात जनता के सामने आ गई कि उसने क्या किया? श्री केशवदेव मालवीय ने सिराजुद्दीन केस में क्या किया? यह भी जनता के सामने आ चुका है। वीरेन मित्रा ने क्या किया। यह भी जनता के सामने आ चुका है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये यदि हम कोई सलाह देते हैं तो इसमें कौन-सी बुराई की बात है? क्या हम आपकी संस्था को लिखकर दें कि यह गड़बड़ कर रहे हैं? हम प्रजातन्त्र को बचाने के लिये ऐसा कहते हैं। आज नेता में जनता का विश्वास हिल गया है। जनता का नहीं बल्कि सारे समाज का विश्वास हिल गया है। इसलिये हम चाहते हैं कि कोई मार्ग निकालें और आप उसको आंख खोल कर देखें। हम भी कांग्रेसी थे और अगल-बगल रहा करते थे। बहुत से कांग्रेसी हैं उनके कुछ भी अधिकार हों, लेकिन उनके ढंग इस प्रकार के हो गये हैं कि उनकी रहने की हैसियत २० गुना, ३० गुना और ४० गुना बढ़ गई है। अपने कर्त्तव्य से और उनके अपने कारोबार से वह बढ़ी होती तो मुझे दुख नहीं होता। शासक वर्ग का सहारा लेकर भी उनकी हैसियत बढ़ी होती तो मुझे दुख नहीं होता और इसमें कोई दोष भी नहीं था, लेकिन काले काम से, जो आपने हर जगह रखा है, उनका धन बहुत अधिक बढ़ गया है। मैं इस बात को यहां पर डिस्कस करना नहीं चाहता था, लेकिन मिश्रा जी ने इन बातों को खोलना चाहा तो मैंने इसकी चर्चा की। मैं तो बहुत बार सुनता हूं और मौन हो जाता हूं और चुप रहता हूं। हम जो इस तरह की आज बात कहते हैं वह केवल प्रजातन्त्र को बचाने के लिये आपसे कहते हैं कि यदि जनतंत्र में आस्था है तो इस पर विचार करें।

आप कहते हैं कि विरोधीदल हर जगह गड़बड़ करता है, लेकिन हम यह निवेदन करते हैं कि आप हमसे करोड़ों गुना गड़बड़ करते हैं। इसका मार्ग निकालिये और जनता का विश्वास प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिये। इसीलिये हमने यह सीधा-सा विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है और नेकनीयती के साथ लाया गया। मंत्रियों की लज्जा को बचाने के लिये इस विधेयक को लाया गया कि आप अपनी ओर से सफाई जनता के सामने देकर जनता का विश्वास प्राप्त करें। नन्दाजी ने कहा सन् १९६३ में कि करप्शन को दूर किया जायगा और वह नहीं कर पाये तो अपना पद त्याग करेंगे। नाना प्रकार के वचन दिये गये, लेकिन वे अपने घर के लोगों को समझ नहीं पाये और अपने पीछे के लोगों की तरफ उनकी दृष्टि घूम न पाई। उन्होंने उनको नहीं देखा कि वे क्या चाहते हैं। वे बेचारे अपने मन की बात करते हैं, लेकिन उनके साथी ही उनका साथ देने के लिये तैयार नहीं हैं। इस वजह से इस रूलिंग पार्टी ने जनता के विश्वास को हर जगह पर तोड़ा है। रुपये के बल पर शासक पार्टी ने जनता का विश्वास छोड़ा है। जनता के बलपर यदि चुनाव में यहां पर आये होते तो वह ऊंची बात थी, लेकिन रुपये के बल पर और अधिकार के बल पर चुनकर आना कोई ऊंची बात नहीं है। यह आपका बिलकुल उलटा कदम है। आप सच्चाई की ओर ध्यान दें।

आप पार्टी के बारे में कहते हैं कि दूसरी पार्टी वाले बड़ा रुपया लेते हैं। कभी मैं सोचता हूं कि यह लोग ऐसा समझते हैं कि इधर के लोग सब नालायक हैं। क्या आपको मालूम है कि कामराज की वर्षगांठ पर कितना खर्च हुआ? पता नहीं कितने लाख रुपया खर्च हुआ उनकी वर्षगांठ में। वह गरीबों से आया होगा क्या? क्या वह उन लोगों से आया जो बैल के गोबर से अन्न बीन कर आपके राज्य में खाते हैं? पंडाल बना तो कैसे बना? वह सब मिनिस्टरों के प्रभाव से आया। मैंने अपनी डायरी में श्रीमन्, नोट किया है टाटा आयरन स्टील कंपनी तथा सिंधिया नेवीगेशन कंपनी का लेखा-जोखा। वह मेरे पास मौजूद है। उसमें किसी ने ६ लाख रुपया कांग्रेस को दिया है, किसी ने चार लाख। हिन्दुस्तान स्टील कंपनी का मुकदमा तो हाईकोर्ट तक गया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह देश का दुर्दैव है कि कांग्रेस जैसी संस्था उनसे इतना रुपया लेती है और इस प्रकार उनको अपने कब्जे में रखती है। आप उनको

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

नहीं, वरन् वे ही आपको अपने कब्जे में रखते हैं यह रुपया देकर। पार्लियामेंट में आप उनकी कठपुतली बन गये हैं। लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, वह उन्हीं का सहारा लेकर अपना काम निकालते हैं। मैंने अभी लोटाराम जयपुरिया और रामरतन गुप्त का उदाहरण दिया था। हर कांग्रेसी के पास एक, दो परमिट हैं और उनको रुपये की कमी नहीं है। सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया को आप क्या भूल गये? यह जो राजे महाराजे हैं यहां यह तो प्रेम के लिये हैं। उनके पास है क्या? लेकिन आपकी संस्था आज धनिकों के लिये हो गयी है। मेरा तो आप जाकर एकाउन्ट देख लीजिये। आपसे तो गरीबी भी बरदाश्त नहीं होती। आपने जनसंघ का एकाउन्ट देखा होगा। अगर मैं किसी के लिये, नवलकिशोर जी के लिये ही कहूं कि उन्होंने तीन लाख रुपया किसी से लिया है तो मेरे पास कुछ आधार होना चाहिये। मैंने यह सारी बातें आपके ही अखबारों से पढ़ी हैं और दूसरे पेपरों में देखी हैं। अपने मन से कोई बात नहीं कही है।

दूसरी बात करप्शन की है। एक जगह मैंने एक आर्टिकिल पढ़ा था जिसमें था कि अगर तुम चाहते हो कि मिनिस्टरों से करप्शन दूर हो तो पहले पता करो कि पं० नेहरू की कांस्टीट्युएन्सी फूलपुर में कितना रुपया खर्च किया गया जनरल एलेक्शन में और कितने का रिटर्न भर कर दिया गया। आप लोगों ने ही उसमें खूब अनाप-शनाप पैसा खर्च किया और उन से गलत रिटर्न भरवा कर फाइल कराया। फिर इसके साथ आप चाहते हैं कि करप्शन दूर हो? इस पर तो अगर कोई शर्मदार और हयादार आदमी होगा तो बोलना नहीं चाहेगा इसलिये कि यह लाज रखने की चीज है। तो एक दूसरे पर दोषारोपण न करें। जनसंघ जो कुछ करता है उसके साथ वह अपनी स्थिति जानता है। मैं तो जो बाहर रह कर कमाता था वह भी चला गया इसमें आने के बाद। आपका तो कहना होता है कि फलाना टीचर जनसंघी है इसलिये इसे निकाल दिया जाय। उसे टीचर तक न रहने दिया जाय। आप उनको कमाने का भी अवसर नहीं देना चाहते।

श्रीमन्, यहां एक महकमा है कोआपरेटिव का। आज कोआपरेटिव महकमे को कांग्रेस का एक प्लैंक बना लिया गया है। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं। चाहे ट्रांस्पोर्ट हो, आबकारी हो, पी० डब्लू० डी० हो, कोई भी हो हम किसी पर बिना दोषारोपण किये हुए कहते हैं कि क्या हर्ज है? आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तब लज्जा नहीं लगती? हां, अगर झूठा फायल करने वाला हो तो उसको लज्जा लग सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल पर सहृदयता से सहमति दें और यह पास हो।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय माधोप्रसाद जी के भाषण के बाद मुझे भी प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ कहूं। मगर मुझे परेशानी यह है कि माधो प्रसाद जी जैसे शान्ति-प्रिय व्यक्ति भी थोड़ा-सा बहक गये। हमारे माननीय जे० पी० मिश्र के भाषण के बाद और उन्होंने जो प्रस्ताव किया वह कहां तक मुनासिब था, यह तो उन्हीं पर छोड़ता हूं। उन्होंने यहां जनसंघ की सफाई देकर बड़े सुन्दर और संतुलित ढंग से कांग्रेस को जितनी भलाई बुराई की जा सकती थी वह की, हालांकि उनके स्वयं अपने घर में कांग्रेस घुसी हुई है। एक बात पहले यह भी कहना चाहता हूं कि प्रस्ताव कोई भी ले आये--जनसंघ का हो या सोशलिस्ट पार्टी का हो, उसके आधार पर पार्टियों के बारे में ज्यादा चर्चा करना मैं ज्यादा उचित नहीं समझता हूं।

एक सदस्य--लेकिन मिश्रा जी ने केवल जनसंघ की बात कही।

श्री नवलकिशोर--

अगर एक गलती हुई तो दूसरी गलती उसका समाधान नहीं करती, वह गलती और बढ़ जाती है। मेरा कहना यह है कि किसी व्यक्ति का नाम लेना और पार्टियों के गंदे कपड़ों को

फींचना यह हाउस के प्रिविलेज का मिस्यूज है---चाहे हम करें या आप। इसलिये मैं बहुत सी बातों का जो माधो प्रसाद जी ने कहीं, उनका जवाब नहीं दे पाऊंगा इस बेसिस के बाद, लेकिन दो-चार बातें जरूर कहना चाहता हूं।

यह जो प्रस्ताव आया है, जब मैंने इसकी स्पिरिट देखी तो मुझे खुशी हुई। हालांकि प्रस्ताव से ज्यादा खुशी मुझे संशोधन से हुई जो किसी भाई ने उसमें पेश किया। बुनियादी तौर से जब हम यहां आते हैं तो चाहे स्पीकर महोदय हों, अधिष्ठाता हों या मंत्री हों, सब मेम्बर हैं इस हाउस के। जो स्टैंडर्ड मेम्बरान साहबान बनायेंगे वही बनता है। इस प्रस्ताव की आड़ में हिन्दी की बात भी आ गयी, कोआपरेटिव डिपार्टमेंट भी आ गया, कांग्रेस की विकास योजनाएं भी आ गयीं। मुझे ऐसा मालूम होता था कि जनरल बजट पर डिबेट हो रही है। ध्येय यही है कि जनता को इस बात का विश्वास हो कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे ईमानदार हैं, गरीब देश के नुमाइंदे हैं, गरीबी के साथ अपना जीवन काटना चाहते हैं, लेकिन हिसाब किसको दें? स्पीकर को दें, तो वह भी असेम्बली के मेम्बर होते हैं। मैं रामलखनजी से इत्तफाक करता हूं। हमारे यहां पार्टी के आधार पर चुनाव होते हैं और सरकार बनती है, चरित्र का निर्माण इस प्रकार के प्रस्तावों से नहीं होता है। वह तो सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन से बनता है। उसके अलावा जो पार्टीज हैं उनका डिसिप्लिन उनके सदस्यों के ऊपर लागू होता है, उसके बाद कैरेक्टर बना करता है। तो हमारा पहला फर्ज है कि अपने को सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन के अन्दर लायें, उसके बाद पार्टीज को अधिकार है कि आत्म-नियंत्रण करें। अगर नहीं कर सकती हैं और सब पार्टियां अगर बेईमान हैं तो हिन्दुस्तान का राजनीतिक भविष्य अन्धकारमय है। इन चीजों से नुकसान क्या होता है, जो यह प्रस्ताव आते हैं, और जिस समय हम खड़े होकर कहें कि जनसंघ बेईमान है, एस० एस० पी० बेईमान है और उधर वाले कहें कि कांग्रेस बेईमान है तो जनता सबको बेईमान समझती है और नतीजा यह होता है कि जब राजनीतिक नेतृत्व से जनता की आस्था उठ जाती है तो न जनतंत्र हो सकता है, न प्रजातंत्र। माधोप्रसाद जी की बातों से बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। उनको गांधी टोपी पहिनने में शर्म मालूम होती है, उन्होंने गांधी टोपी उतार ली, हालांकि उन्होंने अपने घर में बचपन से गांधी-टोपी पहिनना सीखा, मगर हमारी कमियों की वजह से उनको अपनी टोपी उतारनी पड़ी। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर प्रजातंत्र में आपको जरा भी आस्था है तो कृपया इस तरह की बातें मत कीजिये, और अगर प्रजातंत्र में आपकी आस्था नहीं है तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। (व्यवधान)

मान्यवर, यह जो हमारा विरोधी दल है यह एक भानुमती के पिटारे की तरह से है, जिसमें यह पता ही नहीं चलता कि कौन पूंजीवाद का उपासक है, कौन तानाशाही का उपासक है और कौन प्रतिक्रियावादी है और कौन क्या है। श्रीमन्, देखना तो यह चाहिये कि कौन प्रोग्रेसिव व्यूज को रिप्रेजेन्ट करता है और कौन नहीं करता और उसका निर्णय, माननीय त्रिपाठी जी, आप चूंकि वकील हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, आज दुर्भाग्यवश जनसंघ में फंस गये हैं, मैं आप पर ही छोड़ता हूं। आप ही इसका निर्णय करके देखें।

मान्यवर, त्रिपाठी जी ने अभी कैरों साहब का नाम लिया, पटनायक साहब का नाम लिया और भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नाम लिया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि दास कमीशन किसने नियुक्त किया? सिराजुद्दीन कांड के बारे में इतना बड़ा स्टेप किसने लिया? क्या यह सही नहीं है कि नन्दा जी ने भ्रष्टाचार को दो वर्ष के अन्दर समाप्त करने की घोषणा की है? क्या वे इस कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर नहीं हैं? तो जिस कांग्रेस के मिनिस्टर यह एलान करते हों, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये प्रयत्नशील हों, उनके लिये आप यह कहें कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है।

डाक्टर लोहिया की बात कही गयी, और भी बड़े-बड़े नेताओं की बात कही गयी। मैं समझता हूं कि जितनी भी बड़ी-बड़ी हस्तियां हैं उनका नाम अगर न आता तो अच्छा होता।

[श्री नवलकिशोर]

कहा गया कि चुनाव में कितना पैसा खर्च किया जाता है, कहां से आता है ? (व्यवधान) मान्यवर, यह बात सही है कि जो अपनी पोल जानता है वह दूसरों की पोल भी जान सकता है। इसलिये अगर आपने अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें कही हैं तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है मगर चूंकि आपने कुछ व्यक्तियों का जिक्र किया, कुछ के नाम यहां पर लिये, इसलिये मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहता था। मान्यवर, मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि आपने प्रधान मंत्री का जिक्र किया। प्रधान मंत्री का जिक्र तो कई बार हो चुका है। कई अन्य मंत्रियों का जिक्र हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रस्ताव के पीछे कोई असलियत नहीं है, इसके पीछे कोई दूसरी ही असलियत है, कुछ दूसरा ही मंशा है। जो इस प्रस्ताव में है, यदि उसी स्प्रिट से आता तो ठीक था, किन्तु इसमें वह स्प्रिट बिलकुल नहीं है। यदि यह असली मंशा से आता तो मैं इसके साथ इत्तिफाक करता। त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपना यह कायदा बनाया है कि हर मेम्बर को अपना हिसाब देना पड़ेगा, उसी प्रकार से त्रिपाठी जी मेहरबानी करके यदि जनसंघ के सदस्यों के लिये भी यह कायदा बनता तो ठीक होता। हो सकता है आपकी पार्टी में आपका अनुशासन न चलता हो, लेकिन कोशिश की जाये, उसको चलाया जाये और पार्टियों का भी ह्विप होना चाहिये कि हर एक मेम्बर अपना-अपना हिसाब अपनी पार्टी को दे और वह अपनी पार्टी के मेम्बरों से पूंछे कि वह पैसा कहां से आया। अगर पार्टी अपने मेम्बरों पर कन्ट्रोल नहीं कर सकती तो मैं त्रिपाठी जी से कहूंगा कि आप कोई बड़ं एजेन्सी निकालिये, यह चीज रुकने वाली नहीं है।

ब्यूरोक्रेसी की बात उठाई गई। मुझे अपनी पार्टी का एकाउन्ट किसी के भी सामने देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसकी चर्चा यहां करना नहीं चाहता हूं। जब मैं बोलता हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं। मैं अपने पार्टी के साथियों के बिहाफ पर बोलता हूं, जनसंघ वालों की तरह जहां हर व्यक्ति अपनी-अपनी कहता है, मैं व्यक्ति रूप से नहीं बोलता हूं। जब भी मैं बोलता हूं अपने तमाम साथियों के बिहाफ पर बोलता हूं। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन बातों को बारबार कहने से आप लोगों की आस्था जो कुछ बच भी गई है उसको मिटाना चाहते हैं। हमारे ऊपर से तो गई पर अपने ऊपर से तो बचा लो। ऐसा न हो कि हम तो गये और हमारे साथ में आप भी गये। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस प्रकार की चर्चा न करें।

मान्यवर, उन्होंने फरमाया कि मैंने टाटा का एकाउन्ट्स देखा और दूसरों का भी एकाउन्ट देखा। अधिष्ठाता महोदय, आपने किसी अखबार से पढ़ लिया। चलिये मैं उसे भी माने लेता हूं। मगर क्या उसमें जनसंघ का भी एकाउन्ट दिखलाई पड़ा ? क्या कोई पार्टी ईमानदारी से कह सकती है कि उसने कैपिटलिस्टों से पैसा नहीं लिया ? राधेश्याम जी को भी मिलता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वह जिस समय डाक्टर लोहिया का चुनाव फर्रुखाबाद में था, मैं भी वहां था और श्री राधेश्याम जी भी थे। मैं उन कैपटलिस्टों के नाम आपको बता सकता हूं, जो डाक्टर साहब के आसपास मंडराते रहते थे। मान्यवर, यह हमारा एक दुर्भाग्य है कि हम जब अपनी मोटर पर घूमें तो कहा जाये यह पूंजीवादी मोटर है और जब समाजवादी किसी पूंजीपति की मोटर पर घूमें, तो कहा जाता है कि यह समाजवादी मोटर है, तो वह मोटर समाजवादी हो गई। राधेश्याम जी ऐसे सिद्धान्त न बनाइये। तो यह मैं कह रहा था कि आपने टाटा का एकाउन्ट देखा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैंने कुछ अधिकृत अखबारों में लिखा हुआ देखा है, एकाउन्ट्स जो आप देख सकते हैं, मैं तो उनके दरवाजों तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय खत्म हो गया है।

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, दो मिनट और बढ़ा दीजिये। ज्यादा बात नहीं रह गई है, थोड़ी बहुत रह गई है।

आपने इसमें रखा है संशोधन में कि ५ साल बाद मेम्बर साहबान हिसाब दें। मैं कहना चाहता हूं कि यह बात कोई बेजा बात नहीं है कि जनता के प्रतिनिधि स्वयं ईमानदार हों। लेकिन उनके प्रति जनधारणा भी यही होनी चाहिये और लोग समझें कि आप ईमानदार हैं। उस प्वाइंट आफ व्यू से आप का प्रस्ताव सही है। सिर्फ ईमानदार होना ही काफी नहीं, जनता भी समझे कि हम ईमानदार हैं। मैं त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूं कि हमने स्टार्ट किया है सन् १९६० से, अब आप भी डाइरेक्टिव इशू करें अपने मेम्बरों को, अपनी पार्टियों को कि वे अपना हिसाब-किताब रखें। अपना हिसाब-किताब रखने की आदत डालें। इससे आप का सुधार होगा। हर मेम्बर अपना-अपना हिसाब अपनी पार्टी को दे और जो मेम्बर्स जिनकी पार्टी नहीं है, वह भी अपनी एक प्रशासनिक पार्टी बना डालें और उसको अपना हिसाब-किताब दें। अंत में, मेरी आप से दरख्वास्त है कि आप उस प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

यह जो प्रस्ताव रखा गया है इस प्रान्त का मन्त्रि परिषद् मन्त्री होने के पहले अपनी आय का हिसाब-किताब दे और मन्त्री होने के बाद भी। मैं आय का हिसाब-किताब देता हूं।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, दूसरे और तीसरे संकल्पों के लिये भी समय निर्धारित कर दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

उसके लिये समय निर्धारित है। माननीय उमाशंकर जी, आप जारी रखें।

श्री उमाशंकर तिवारी—

तो श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं। जब यह प्रस्ताव पेश हुआ तो मुझे आशा थी कि इस प्रस्ताव को देखते हुए कांग्रेसी सदस्य अपनी सफाई के लिये इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। लेकिन मुझे दुःख हो रहा है कि जबकि नवल किशोर जी ऐसे हमारे माननीय सदस्य जो इस प्रस्ताव की भावनाओं से सहमत होते हुए भी, इसको स्वीकार करने में असमर्थ हुए। यह तो आज ऐसा वातावरण था और कांग्रेसी सदस्यों के हक में था कि इस प्रस्ताव का समर्थन करते क्योंकि जिस तरह से लोग गेरुवा वस्त्र पहनने वालों को नफरत करते थे, उस तरह से आज खद्दर पहनने वालों से लोग नफरत करते हैं। इनके बारे में आज कुछ ऐसी विचारधारायें बन गयी हैं कि ये कालाबाजारी से पैसा पैदा कर के मोटे होते जा रहे हैं।

श्री राममूर्ति—

मोटे होने से आपका क्या मतलब है?

श्री उमाशंकर तिवारी—

मेरा मोटे होने से मतलब शरीर मोटे से नहीं, बल्कि पैसे से मोटे होने का है। मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता था, किन्तु जब राममूर्ति जी बीच में टपक ही पड़े तो मैं कहना चाहता हूं कि राममूर्ति जी के खिलाफ भी जो पैम्फलेट छपते थे, जब वे इरीगेशन विभाग के मंत्री थे, तो अगर वे हिसाब-किताब देते रहते, तो यह बात न होती। मैं इसलिये नहीं कह रहा कि राममूर्ति जी ऐसे हैं। मैं तो उनकी सफाई के लिये कह रहा हूं कि अगर वे हिसाब देते रहते तो जो उनके खिलाफ पर्चेबाजी होती थी, चाहे वह कांग्रेस वाले ही करते रहे

[श्री उमाशंकर तिवारी]

हों, वह न होतो। राममूर्ति जी हमारे बड़े मित्र हैं और यह भी जानता हूं कि वे बड़े ईमानदार हैं। उनकी ईमानदारी में जो यह धब्बा लगा, अगर वे हिसाब-किताब देते रहते तो वह न लगता।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज क्यों यह बात हो रही है। आज जैसा कि हमारे जो साथी उधर बैठे हैं, कुछ दिन पहले हम भी उधर ही थे, हम आज देख रहे हैं कि सन् १९४७ में कांग्रेसवालों की क्या हालत थी। रैड्डी साहेब की रिपोर्ट से ही मालूम होता है कि सन् १९४७ का जो कांग्रेसी गांव में झोला लिये घूमने वाला था वह आज करोड़पति होता जा रहा है। मैं सर्व श्री नवलकिशोर, जे० पी० मिश्र जी और शुक्ला जी से पूछता हूं कि वह पैसा कहां से आया? मुझे मालूम है कि जो मंत्री इंडिया सोसायटी में ३०, ३० और ४०, ४० और १००, १०० रुपये पर नौकर थे और उसमें वे गुजर करते थे आज वह किस प्रकार मालदार होते जा रहे हैं। मैं बनारस जिले की बात बताता हूं, नाम नहीं लूंगा। लेकिन सन् १९५२-५३ में जो १५ बीघे का काश्तकार था वह अब लड़की की शादी में १५ हजार रुपये का तिलक दे सकता है और ८०,००० रुपया उस पर सेल्स टैक्स का बाकी है। तो क्या वह नोट छापता है? इन सब बातों के लिये ही तो यह प्रस्ताव आया है। देहात में कहते हैं कि सांच को आंच क्या। अगर आप ईमानदार हैं तो अपनी गुदड़ी खोलकर सदन को दे दीजिये। जिस दिन यहां शपथ लें उसी दिन अपना लेखा-जोखा यहां रख दीजिये। जरा आप अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें कि जब इलैक्शन में ५,००० रुपये तक आप खर्चा कर सकते हैं लेकिन अभी बनारस में मिर्जापुर-बनारस का एम० एल० सी० का चुनाव हुआ, जहां कांग्रेस के लोग २,२॥ महीने तक १६, १६ मोटरें रोडवेज की इस्तेमाल करते रहे। जरा हिसाब तो लगाइये कि कितना रुपया होता है। जिस कांग्रेसी उम्मीदवार को मैं हराकर आया हूं उनका नए मकान अगर असेस किया जाय तो ८०,००० रुपये का उन्होंने मकान बनवाया है। चरणसिंह जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे। जातिवाद जीता रहे, और उन्हें ट्रान्सपोर्ट कमेटी का मेम्बर बना दिया और उन्होंने २, २ हजार रुपया फी परमिट मार दिया। जे० पी० मिश्र, एम० एल० ए० हो गये, तो २ बसों का परमिट ले लिया।

श्री कमलासिंह यादव --

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि जो मनुष्य इस सदन में न हो, क्या उस के बारे में इस प्रकार का आक्षेप यहां किया जा सकता है?

श्री उमाशंकर तिवारी--

हमारे कमला सिंह जी उस समय सो रहे थे जबकि यहां सीताराम जयपुरिया और डाक्टर लोहिया के बारे में कहा जा रहा था। उस समय किसी ने नहीं टोका। डाक्टर लोहिया के चुनाव में हम लोग थे। वहां १ महीने चुनाव में हम लोग रहे। हमें जन-समर्थन प्राप्त था।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

जिस भाषा का यहां प्रयोग हो रहा है वह ठीक नहीं है। शीशे के मकान में रहने वाले को दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिये।

श्री उमाशंकर तिवारी--

डाक्टर लोहिया के चुनाव में हिन्दुस्तान के कोने-कोने से गरीब किसान मजदूरों ने अपनी १ दिन की गाढ़ी कमाई दी और लोगों ने भूखे रह कर उसमें काम किया। अगर फूलपुर का पंडित नेहरू के इलेक्शन का हिसाब मांगा जाय तो हमारे नवलकिशोर जी शायद देने के लिये तैयार नहीं होंगे। प्रतिबन्ध होते हुए भी मन्त्री लोग सरकारी वाहन का इस्तेमाल करते हैं। अगर लालबाग में कांग्रेस की चुनाव की मीटिंग है तो हजरतगंज में सरकारी

मोटर खड़ी कर के थोड़ा पैदल चले जावेंगे। अगर कांग्रेस के ही फ़रमानों का या सरक्यूलरों का ठीक से पालन किया गया होता तो ये बातें आज यहां आने की आवश्यकता नहीं थी। सिराजुद्दीन कान्ड सबको मालूम है और मूंधड़ा ने अपने मुकदमें के बयान में कहा कि १ लाख रुपया हमने कांग्रेस को चुनाव फंड में दिया। कहते हैं कि दास आयोग किसने बनाया? लेकिन पंडित नेहरू यहां कहते थे कि कैरो बड़ा ईमानदार है। यदि वह जिन्दा होते तो शायद कैरो को जाना भी न पड़ता। जनतंत्र के लिये, लोकतंत्र के लिये, हम चाहते हैं कि आप की इज्जत बनी रहे। आपके साथ, जी के साथ हम घुन भी पिसे जा रहे हैं। आप समझते हैं कि आप चोर नहीं है, लेकिन जनता आप को चोर समझती है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने को ईमानदार साबित कर दीजिये।

(इस समय २ बजकर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

इस प्रस्ताव में अगर आप का हिसाब मांगा जा रहा है तो हमारा भी मांगा जा रहा है। इसमें किसी की बेइज्जती या इज्जत का सवाल नहीं है। आप महात्मा गांधी के चेले बनते हैं, जो कहते थे कि जो उपदेश देता है वह पहले वैसा आचरण करे आप व्यापारियों से कहते हैं कि छिपा हुआ गल्ला निकालो, तो पहले आप ईमानदार बनें और अपनी आमदनी का लेखा-जोखा दे दीजिए, तो जनता भी आप पर विश्वास करेगी और समझेगी कि जैसे कांग्रेस वाले पहले त्यागी थे, गांव-गांव में झोला लेकर घूमते थे, वैसे आज भी हैं और आप की गद्दी बरकरार रहेगी। आप की गद्दी बरकरार रखने, आप की इज्जत बचाने के लिए ही मैं यह कह रहा हूं और जो आप के साथ हम भी बदनाम हो रहे हैं, हमारी भी इज्जत बच जायगी। इन शब्दों के साथ, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस प्रस्ताव का समर्थन कीजिए और सर्वसम्मति से इसे पास होने दीजिये।

श्री बब्बनसिंह (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो विरोधी दल की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका घोर विरोध करता हूं। अभी अभी यहां पर जो बातें हुई हैं उन्हें सुन कर मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि हमारे भाई हमारे लिए परेशान हैं कि हमारी गद्दी बनी रहे। हमारी गद्दी बनी रहे, इसके लिए आप क्यों परेशान हैं? और अगर आप परेशान हैं तो चुनाव में न आयें, हमारी गद्दी बनी रहने दें। हम जनता में कैसे हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि हम जीतकर आये हैं। प्रजातंत्र में बहुमत का राज्य होता है। बहुमत हमारे पक्ष में है। इसलिए हमारी सरकार है और आप भी इसी प्रयत्न में लगे हुए हैं कि आपकी सरकार बने, इसी प्रयत्न में हमेशा लगे रहते हैं। पूर्व वक्ता ने अभी यह कहा साधे सोधे कि रामरतन गुप्ता के चुनाव में इतना पैसा खर्च हुआ .....(शोर).....रामरतन गुप्ता के पास तो पैसा था, वह उन्होंने खर्च किया। मैं पूछता हूं कि अटलबिहारी बाजपेयी के पास कहां से पैसा आया कि वह दो दो जगह से चुनाव लड़े, आठ लाख रुपया उन्होंने खर्च किया, वह पैसा कहां से आया (व्यवधान)?

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो वादविवाद चल रहा है आपके होते हुए उसमें व्यक्तिगत आक्षेप हो रहे हैं। आप उनको कड़ाई के साथ रोकिये चाहे वह इधर के सदस्य हों चाहे उधर के हों। जो जनरल आलोचना हो, वह होनी चाहिए। व्यक्तिगत नाम लेकर चर्चा करना सदन की मानमर्यादा के खिलाफ है।.....(व्यवधान) श्रीमन्, इतनी देर से आप सुन रहे हैं। स्वयं आपने सुना और आपके पहले अधिष्ठाता महोदय ने भी सुना। बराबर उन लोगों का नाम लेकर जो मेम्बर नहीं हैं, आक्षेप किये जा रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, मेरी व्यवस्था यह है कि व्यक्तिगत आक्षेप न इधर से और न उधर से, किसी तरफ से भी नहीं होने चाहिये। अपनी प्रेमपूर्वक जो बात कहनी हो, वह इधर से और उधर से भी लोग कहें। लेकिन सब को आजादी है अपने विचार व्यक्त करने के लिए।

(व्यवधान)

श्री बब्बर्नसिंह—

अभी कहा गया कि लोहिया जी के लिये जनता से चन्दा वसूल किया गया लेकिन हमारी तो सूचना यह है कि आपको उसके लिये रुपया विदेश से मिला। जौनपुर में दीन दयाल जी उपाध्याय ने इलेक्शन लड़ा। आम शोहरत है कि उस चुनाव में जनसंघ की ओर से ४ लाख रुपया खर्च किया गया। वह कहां से आया। अगर चन्दा लेना गुनाह है तो वह आपने भी लिया है, हमने भी लिया है। अटल बिहारी बाजपेयी ने बलरामपुर से इलेक्शन लड़े और वहीं से दशरथ जी भी लड़े। यह सब को मालूम है कि दशरथ जी से प्रोनोट लिखाया गया और आज कल वे जेल में पड़े हुए हैं।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा) —

यह माननीय सदस्य बिलकुल गलत कह रहे हैं। यह किसी की व्यक्तिगत बात हो सकती है। जनसंघ की तरफ से ऐसी बात बिलकुल नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी एक अर्ज है। जब आप इस तरह की बातें कहते हैं, इस तरह के आक्षेप करते हैं कि वे चन्दा करते हैं, महाजन से लेते हैं, तो वही वह भी कह रहे हैं। उन को भी कहने दीजिये।

श्री सुखदेवप्रसाद—

इस सदन का जो सदस्य नहीं है क्या उस पर भी आक्षेप किया जा सकता है ?

श्री बब्बर्नसिंह—

जो बात सत्य होती है वह कटु भी होती है और अप्रिय भी होती है। मैं सुखदेव प्रसाद जी से कहना चाहता हूं कि दशरथ जी जो यहां विधायक थे, क्या वे जेल में बन्द नहीं हैं, क्या उनके ऊपर दावा नहीं हुआ, क्या उनसे प्रोनोट नहीं लिखाया गया ? आप कह रहे हैं कि मिनिस्टर और विधायक हिसाब दें। आपका यह खयाल अच्छा है। हम हिसाब देने के लिये तैयार हैं। लेकिन हम तो हिसाब अब भी देते हैं लेकिन आप नहीं देते। हमसे बाकायदा हिसाब मांगा जाता है। लेकिन हमने नहीं सुना कि आपने भी कभी हिसाब दिया। यह उस वक्त मालूम होगा जब दूसरा चुनाव आयेगा कि हम कितने नीचे गये हैं या ऊपर उठे हैं। मैं बलरामपुर का अपना अनुभव बताता हूं। जनसंघ के भाइयों को खेत मिला जब वे जनसंघ में थे, कैसे उनको मिला, क्यों मिला, यह मैं नहीं जानता। बाद में वे कांग्रेस में भले ही आ गये हों, लेकिन खेत उनको तब मिला जब वे जनसंघ में थे। जो मकान बलरामपुर राज्य से १,५०० में लिया गया था वह १० हजार में बेच लिया गया है। नीचे का पोशन वह जनसंघ के पास कहां से आया ? प्रताप जी जो हमारे खिलाफ लड़े थे, उनके पास एक बिस्वा भी खेत नहीं है, उनके पास कोई रोजगार भी नहीं है फिर उनके पास चुनाव लड़ने के लिये रुपया कहां से आ गया ? मेरे पास जमीन है, एग्रीकल्चर टैक्स भी देता हूं, मैं अपने पास से रुपया लगा कर और पार्टी ने जो दिया उससे चुनाव लड़ा। लेकिन उनके पास कहां से रुपया आया ? आप मिनिस्टरों से हिसाब मांगते हैं, वे तो अपनी पार्टी को देते हैं लेकिन क्या आप अपनी पार्टी को देते हैं ? मैं मानता हूं कि गोलवालकर जी के पास रुपया है, लेकिन पचपेड़वा में उनको मुफ्त में जमीन मिली और दूसरों की गर्दन दबोच कर मिली। तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप डाइरेक्ट अटैक करते हैं, मेरा खयाल है वह नहीं करना चाहिये और नहीं होना चाहिये। लेकिन जब आप सीधा-सीधा आक्षेप करते हैं और फिर

यह कहते हैं कि हम तो आपकी इज्जत बचाने के लिये यह प्रस्ताव लाये हैं, तो यह सुन कर मुझे कुछ शंका-सी होती है। हमारी इज्जत बचे, क्या आप यह दिल से चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो जो नक्शा यहां पेश होता है और हुआ है उसको देखने से ऐसा नहीं मालूम होता है कि आप हमारी इज्जत करते हैं और चाहते हैं कि जनता में हमारी इज्जत बनी रहे। इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं जो प्रस्ताव कि आज यहां आया है। हम तो अपना हिसाब देते ही हैं, आप अपना हिसाब दीजिये।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसको देखने के बाद मैं माननीय मुकुट बिहारी लाल जी को तो बधाई अवश्य दूंगा कि उनका जो संकल्प है वह पढ़ने पर भी सही मालूम होता है, लेकिन जो अमेंडमेंट माननीय दीपनारायण सिंह तथा सुखदेव प्रसाद ने रखा है उसको पढ़ने के बाद आश्चर्य होता है कि किस तरीके से यह विधान सभा के सदस्यों के ऊपर लागू होगा। उनके ये शब्द हैं जिनको पढ़ कर मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं :—

उक्त प्रस्ताव में निम्न शब्द बढ़ा दिये जायें :—

"साथ ही सदन का यह भी निश्चित मत है कि चूंकि राज्य के मन्त्रिपरिषद् का निर्माण राज्य के विधान मंडल के सदस्यों से होता है इसलिये राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को भी पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति के बारे में उनके सदस्य चुने जाने के पहिले और पांच साल के बाद सरकारी तौर पर जांच करा कर सदन की मेज पर रखा जाया करे और अनुचित रूप से सम्पत्ति प्राप्त करने वाले विधायकों व मन्त्रियों को आगामी चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाय।"

जहां तक सदस्यों का सवाल है, उसमें यह दिया हुआ है—"उनके सदस्य चुने जाने के पहले और पांच साल के बाद सरकारी तौर पर जांच करा कर सदन की मेज पर रखा जाया करे।" मेरी समझ में नहीं आता कि इससे क्या लाभ होने वाला है? उसमें अगर यह होता कि वह सदस्य जिस रोज चुना गया हो उस दिन या उसके पहले उसके पास क्या प्रापर्टी थी, तब तो उचित था और यह एक मानने की बात थी, लेकिन पांच साल के बाद तो हमारा टर्म ही खतम हो जाता है। तो जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है मैं नहीं जानता कि कहां तक यह संशोधन इस संकल्प में ठीक बैठ पायेगा। इस बारे में अधिक न कह कर मैं केवल इतना ही कहूंगा कि मेरी समझ में यह उचित नहीं मालूम होता। लेकिन जहां तक इंटेंशन का सवाल है वह सही है। जब इंटेंशन सही है तो इसके माने यह हैं कि आपके इस संकल्प में साफ तौर पर दिया हुआ है कि मन्त्रिगण अपनी-अपनी सम्पत्ति का पूरा ब्यौरा दें। मैं किसी खास पार्टी पर कटाक्ष करने के लिये कोई बात नहीं कहना चाहता हूं, बल्कि उसके कुछ कारण हैं जिनकी वजह से मैं इस बात को कहने के लिये मजबूर हूं कि सरकारी पक्ष के जो मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं उनको ऐसा करना चाहिए। उसका कारण यह है कि जितने अधिकारी हैं वे इस सरकार के अंग हैं और उनके लिये मंत्री लोग जिम्मेदार होते हैं। वे ही लोग गलत काम करते हैं जिसकी वजह से मंत्रियों को खरी-खोटी बातें सुननी पड़ती हैं। उनके व्यक्तिगत काम ऐसे नहीं होते हैं बल्कि उनके अधिकारियों के ऐसे-ऐसे गलत व निकम्मे काम होते हैं जिससे उनको हमारी गालियां सुननी पड़ती हैं या हमारी कड़ी से कड़ी बातें सुननी पड़ती हैं। उनके लिये हम कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसमें व्यक्तिगत बात कोई नहीं है मंत्री जो गलत काम करते हैं, वह डंडे चलाते हैं या गबन करते हैं वह बात नहीं है, लेकिन बहुत-सी चीजें ऐसी हैं जो कि सदन के सामने आई हैं और उनके लिये वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हों, ऐसी बात मैं नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

कहता। यहां दोनों पक्ष से एक दूसरे के ऊपर आक्षेप किये गये हैं उन के बारे में भी मैं नहीं कहता, लेकिन अगर किसी राज्य को आपको चलाना है तो आपको सबसे पहले उसका पथ-प्रदर्शन स्वयं करना होगा। हमने देखा कि महात्मा गांधी ने जब नेतृत्व आरम्भ किया तो उन्होंने अपनी रहनुमाई से जो भी कार्य उन्होंने किये उन के प्रैक्टिकल वर्किंग से अपने आचरण से उन्होंने हमें मजबूर किया कि हम उनका अनुकरण करें। आरम्भ में ही उन्होंने नमक सत्याग्रह शुरू किया और जब आरम्भ में ही उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया तो उस समय उनका अनुकरण करने वाले बहुत कम संख्या में थे, लेकिन जब उनसे कहा गया कि अधिक लोग आपके साथ नहीं हैं तो इस पर उन्होंने कहा कि कि लोग जितनी कम संख्या में आयें वह ठीक है, लेकिन जो आयें वह सही मानों में सही आदमी होने चाहिये। वही हमारी शक्ति होंगे क्योंकि वह कर्मठ होंगे और उनके आचरण को देखकर जब किसानों की समस्या को ले कर वह चले तो उन्होंने देखा कि देश का जो कार्यक्रम था अंग्रेजो राज्य को खत्म करने का उसमें वह कामयाब हुये और उनके नेतृत्व में अधिक से अधिक लोग आये और उनका अनुकरण किया। इस लिये इस पर अधिक न कह कर मैं केवल इतना कहूंगा कि अगर मंत्रिगण जो जिम्मेदार हैं नेतृत्व के लिये या इस राज्य को चलाने के लिये, कम से कम उन का आचरण और व्यवहार ऐसा होना चाहिये और उनके ऊपर कोई ऐसा नियंत्रण होना चाहिये कि वह अपने रास्ते से किसी तरह से विचलित न हो सकें। अतः जो हमारे शासक हैं वह गलत रास्ते पर न जायं इसीलिये यह जरूरी है कि यह संकल्प यहां से पास हो और सही मानों में इसे कार्यान्वित किया जाय।

अब मैं इस सदन के सामने आप की आज्ञा से एक जी० ओ० जो इस सरकार ने ही सन् १९५४ में अपने अधिकारियों पर लागू किया था, उसको अंग्रेजी में पढ़ देना चाहता हूं। वह है नम्बर १६३/२-बी०--२००-१९५४, जो श्री एम० प्रसाद, डिप्टी सेक्रेटरी के नाम से जारी हुआ था, ६ अप्रैल, सन् १९५५ को। यह गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स कन्डक्ट रूल्स के नियम ११ के बारे में है। इसमें लिखा है कि--

"I am directed to say that under the revised rule 11 of the Government Servants' Conduct Rules, promulgated under Notification no. 2372/II-B—118-1954, dated August 18, 1954, a government servant is required to make declarations not only in respect of acquisitions of immovable property, but also of shares and other investments which may from time to time be held or acquired by him, his wife, etc. Accordingly, the form of declaration prescribed under the old rule (form no. P. S. U. P.—14), is no longer adequate for the purpose, and has had to be amended. A copy of the amended form is enclosed. I am to request that hereafter the said declarations may be obtained in the amended form, indents for copies of which should be placed with the Superintendent, Printing and Stationery, Uttar Pradesh, Allahabad."

आखिर में फार्म आफ डिक्लेरेशन में दिया है कि :

"Property held or managed by or on behalf of an officer's wife or other member of his family jointly with, or living with or in any way dependent on him is, for the purpose of the declaration, considered to be held or managed by the officer himself."

जी० ओ० में बतलाया गया है कि हर सरकारी अधिकारी अपनी चल और अचल संपत्ति का अपनी तथा अपने घर के जितने सदस्य होंगे उन सब के बारे में एकाउन्ट देगा। तो हमारे सामने एक सवाल होता है कि जब अपने अधिकारियों को मजबूर करते हैं कि वह अपनी और अपने परिवार के सदस्यगणों की संपत्ति के बारे में एकाउन्ट दें, तो क्या वजह है कि हम अपने ऊतर इसको न लागू करें? फर्स्ट ओबे देन कमान्ड। जो आदमी आज्ञा का पालन नहीं करना जानता वह कमान्ड

नहीं कर सकता। अतः अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं कि आपके सेवकगण पवित्रता का जीवन व्यतीत करें, ईमानदार हों और सबके साथ निष्पक्ष रूप से बरताव करें तो हमारा और आपका आचरण ऐसा होना चाहिये कि जो उनका नेतृत्व करते हैं, वह रास्ता दिखायें कि हमारा आचरण यह है और हम चाहते हैं कि हमारे अधीनस्थ कर्मचारी ऐसा ही काम करें। अगर ऐसा आचरण हमारे हर मंत्रिगण का हो तो कोई भी अपशब्द सुनने को नहीं मिल सकता। बराबर हम जिले और गांवों में देखते हैं कि हर मनुष्य चाहता है कि उसके साथ न्याय हो सही माने में, उसके साथ सत्यता का बरताव बरता जाय। लेकिन होता क्या है ? यहां से फोन चला गया जिसके कारण न्याय अन्याय में बदल जाता है। नौकरियों में देखा जाता है कि सिफारिश के बल पर तृतीय श्रेणी के आदमी अच्छी जगह पर पहुंच जाते हैं और प्रथम श्रेणी वाले को कोई पूछता तक नहीं। इसीलिये हर तरह का अन्याय और पक्षपात होता है। हर मंत्रिगण अगर माननीय चरण सिंह की तरह एक आचरण पुस्तिका अपने यहां बना लें, उनके यहां ए०डी० ओ० (एग्रीकल्चलर) आते हैं या वी० एल० डबलू० का चुनाव होता है, उनके यहां ज्यों ही इम्तहान खत्म होता है हर व्यक्ति जो बी० एस-सी० या एम० एस-सी० (ए० जी०) अपनी दरख्वास्त देता है उसका नाम मेरिट के हिसाब से सीरियली लिख लिया जाता है। मैंने चाहा कि देखूं कोई नीचे वाला नाम ऊपर तो नहीं चला गया। पर मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला। इसलिये योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर लोग लिये जायं तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी और सबको संतोष होगा कि उनके साथ न्याय किया गया। जिस तरह का आचरण आप सरकारी अधिकारियों से चाहते हैं पहले आप वैसा खुद करें और अगर ऐसा करेंगे तो यह दिक्कत नहीं होगी।

प्रैक्टिकली मैंने देखा तो नहीं, क्योंकि मुझे विदेश जाने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन किताबों में पढ़ा है। स्वीडन की हालत जिस वक्त वे किसी सरकारी काम से जाते हैं उसी वक्त वे सरकारी मोटर का प्रयोग करते हैं और जब वे किसी प्राइवेट काम से जाते हैं तो वे रिक्शा पर बैठ कर जाते हैं। पर हम देखते हैं और बराबर चिल्लाते हैं कि सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल गलत ढंग से होता है। ब्लाक में देखा जाता है कि सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग होता है। अभी-अभी एक एम० एल० सी० के चुनाव में सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल हुई हैं। अतः हर आदमी के लिये यह प्रतिबन्ध या मुमानियत हो जाये, चाहे वह मिनिस्टर हो चाहे कोई सदस्य हो या कोई कर्मचारी हो, कि सरकारी गाड़ी का प्रयोग निजी काम के लिये न किया जाय और ये गलत बातें न हों। इन सब बातों को सोच कर यह जरूरी हो जाता है कि जो संकल्प माननीय मुकुट बिहारी लाल जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि हम इसे कार्यान्वित करें ताकि जो कटाक्ष हमारे ऊपर, मंत्रियों के ऊपर या अधिकारियों के ऊपर होते हैं उन चीजों से हम उनकी रक्षा कर सकें और जिससे देश की रहनुमाई हो सके।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मुकुटबिहारी लाल जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि विधान परिषद् में ४ दिन की छुट्टी घोषित हुई है, तो क्या इस सदन की भी ४ दिन के लिये छुट्टी होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी उपनेता सदन ने विचार व्यक्त किये हैं कि उन्हें भी कोई एतराज नहीं है। अतः अब हम दूसरी तारीख को ही मिलेंगे।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो प्रस्ताव श्री मुकुटबिहारी लाल जी ने उपस्थित किया है उसकी भावनाओं का मैं आदर करती हूं, यद्यपि मैं इस तरफ बैठी हुई हूं, लकिन मैं इस

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

प्रस्ताव का स्वागत करती हूं और वह इसलिये कि यह प्रस्ताव हमारी पार्टी के जो सिद्धान्त हैं उनके अनुकूल है। इसलिये भी मैं इसका स्वागत करती हूं। अभी जिन भावनाओं को इस प्रस्ताव के अन्तर्गत रखा गया है कि राज्य के मंत्रि-परिषद् के सभी सदस्य इस पद पर नियुक्त होते समय, अपनी जो संपत्ति है उसका लेखा-जोखा दें, उनके जो रिश्तेदार हैं उनकी भी संपूर्ण चल तथा अचल संपत्ति का लेखा-जोखा वे दें। तो यह बात कांग्रेस पार्टी जो हमारी है, उसकी जो वर्किंग कमेटी है उसके जो नेतागण हैं वे भी इस बात की सूचना मांगते हैं। हमारे पास भी इस प्रकार का सरक्युलर आता है और आया हुआ है कि हम अपने एसेट्स को और जो हमारी आमदनी हैं वह हम बतायें और इसकी सूचना ए० आई० सी० सी० के पास भेजते हैं। मैं समझती हूं कि हमने उन्हें इन एसेट्स की सूची भेज दी है। जिन्होंने नहीं भेजी है उनको रिमांइन्डर करने के लिये परिपत्र भी आ चुके हैं। तो यह कोई नयी बात नहीं है कि हम इसका विरोध करें। पर इस प्रकार जनमत तैयार करने के लिये अगर विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य प्रस्तुत संकल्प लायें तो यह अच्छी बात नहीं है।

यह सही है कि प्रजातंत्र में जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनका चरित्र इतना ऊंचा होना चाहिये और उनके व्यवहार में, उनके व्यक्तिगत जीवन में इतना ऊंचा होना चाहिये कि जनता के सामने वे हर प्रश्न का जवाब दे सकें। आज जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि सिद्धान्त के आधार पर इस मनोवृत्ति की निन्दा करें जहां पर धन एकत्रित करते हैं, धन जमा करने की होड़ मची हुई है। हमारा देश गरीब है और यदि हम गरीब जनता की आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि समाजवाद आये तो जो डिसपैरिटी है वह खत्म हो। एक तरफ तो लाखों रुपये कमाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ कम रुपया कमाने वाले लोग हैं तो इनमें अन्तर कम होना चाहिये, विषमता कम होनी चाहिये और गरीबों को भी ऊपर उठाना है। जन प्रतिनिधियों को भी यह मनोवृत्ति बदलनी होगी कि हम धन इकट्ठा करें और जब लेखा-जोखा जनता के सामने देना है तो जन प्रतिनिधि भी इस प्रतिबंध में रहकर ऐसा आचरण करना सीख जायेंगे। यही नहीं कि केवल मंत्रियों को ही अपना लेखा-जोखा देना होगा बल्कि जितने भी जनता के चुने हुये प्रतिनिधि हैं, चाहे वे ब्लाक लेविल पर हों, चाहे पंचायत लेविल पर हों या किसी भी पार्टी के हों, उनको यह मनोवृत्ति बदलनी होगी कि अधिकार में आने के बाद धन इकट्ठा किया जाय और इसको खत्म करने के लिये हर स्थिति के लोगों पर रोक लगा दी जाय। हम इसके खिलाफ हैं कि थोड़े से लोगों के हाथ में धन इकट्ठा हो जाय। अगर अधिकार में आकर लोगों की यह इच्छा बढ़े कि धन इकट्ठा करें और छिपाने की भावना हो तो उसकी घोर निन्दा होनी चाहिये। हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य इस बात को समझते हैं क्योंकि हमारी ऐसी ट्रेनिंग हुई है और हमारी पार्टी की घोषित नीति है कि समाज के अन्दर से विषमता दूर हो। हम आशा करते हैं कि मंत्री जी ऐसा आचरण नहीं करेंगे। अगर कोई करता है तो गलत काम करता है और हमें खुशी है कि हमारे महान् नेता जवाहरलाल जी ऐसी परम्परा डाल गये हैं कि अगर कोई व्यक्ति चाहे वह कितने ही उच्च पद पर क्यों न हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह ऐसे काम करता है जो जनतंत्र के लिये शोभनीय नहीं है तो उसे सजा मिलनी चाहिये और इसके उदाहरण पंजाब के मुख्य मंत्री कैरो साहब हैं। अभी उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने चैलेंज स्वीकार किया है। हमें इस प्रस्ताव से घबराहट नहीं है क्योंकि हम तो खुले रूप से जनता के सामने हैं। हमने जनतंत्र की नींव जनता के सामने डाली है और तीन इलेक्शन्स में हम जनता के सामने आये हैं और ढाई साल के बाद हम फिर जनता के सामने दूसरे इलेक्शन में आयेंगे और हम देखेंगे कि जनता हमारी नीति को कहां तक पसन्द करती है। यह कसौटी हमारी ईमानदारी और सच्चाई की है।

पिछले इलेक्शन्स इस बात के उदाहरण हैं कि विरोधी दल के नेतागण जो हारे हैं उनकी संख्या का परसेंटेज क्या है और कांग्रेस के नेता जो हारे हैं उनका परसेंटेज क्या है। इन सब बातों में न जाकर मैं मूल बात पर आना चाहती हूं। जो धन या संपत्ति है वह कहां से अर्जित की गई

इसका भी ब्योरा देना चाहिये । यह अच्छी चीज है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों से आशा रखती है कि वे ईमानदारी से काम करें । मैं समझती हूं कि इस प्रस्ताव को अगर हम स्वीकार न भी कर सकें लेकिन जो इसकी भावना है उसका आदर करते हुये हमारा नैतिक समर्थन इस प्रस्ताव के साथ होना ही चाहिये ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

(श्री श्यामलाल का नाम पुकारे जाने पर) श्रीमन्, हमें मौका मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके दल के तीन सदस्य बोल चुके हैं ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

उससे क्या हुआ । हमें तो मौका मिलना ही चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले हर पार्टी के एक एक सदस्य को मौका दे दें तब आपको देखा जायगा ।

*श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प माननीय मुकुटबिहारीलाल जी की ओर से आया है जो इस बारे में है कि मंत्रि परिषद् के सदस्य अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण दें । अगर यह संकल्प किसी सोशलिस्ट द्वारा लाया गया होता तो मैं तहेदिल से उसका समर्थन करता लेकिन जनसंघ द्वारा यह प्रस्ताव आवे जो समाजवाद के विरोधी जनतंत्र के विरोधी हैं । हमारे मित्र माफ करें उनका सिद्धान्त है कड़ुवा-कड़वा थू और मीठा-मीठा गप्प । जहां मतलब की बात हो वहां जनतंत्र के हामी बन जाते हैं, वहां समाजवाद के समर्थक हो जाते हैं यद्यपि उनका दल समाजवाद के पक्ष में होने की घोषणा नहीं करता । श्रीमन्, आज हमारे देश में जनतंत्र का बोलबाला है । इस की सबसे बड़ी विशेषता व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की है । चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी इसके लिये लड़ते हैं, यह जनसंघ पार्टी भी खूब लड़ती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिये और इनके नेता अटलबिहारी बाजपेयी जी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिये लड़ते फिरते हैं ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

आज आप सटाइरिस्ट हो रहे हैं ।

श्री श्यामलाल--

यह तो समझने की बात है । तो जब सभी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को स्थापित करने के लिये प्रयत्न करते हैं तो फिर यह बन्धन कैसा ? क्यों चाहते हैं कि यह रोक हो ?

श्रीमन्, आज यू० पी० में कांग्रेस मोस्ट पावरफुल आर्गेनाइजेशन है, सत्तारूढ़ है। उनसे नीचे वह दल है जो इस प्रस्ताव को लाया है और जो जरा उनसे कम पावरफुल है, वह है जनसंघ । उससे कम पावरफुल एस०एस०पी० है, उससे कम इंडियन कम्युनिस्ट्स हैं । यद्यपि मैं इनकी सख्त आलोचना करता हूं क्योंकि यह भी जातीयता के पुजारी हैं । हम तो ख्रुश्चेव साहब की तारीफ करते हैं और कभी कभी चाऊ एन लाई की तारीफ करते हैं क्योंकि वे शोषित सर्वहारा वर्ग के आदमी हैं, लेकिन इंडियन कम्युनिस्ट की जातीयता के पोषक होने से उसकी आलोचना करता हूं । खैर, उसके बाद स्वतंत्र पार्टी और सब से कम पावरफुल है हमारी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी । उसके कुल ७ या ८ सदस्य हैं जो यहां हैं । मैं कहता हूं कि जो पार्टी जितना ही पावर रखती है वह दल या

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्यामलाल]

वह संस्था उतना ही ज्यादा रुपया कमाती है। ठीक है, आज सत्तारूढ़ दल के मंत्री लोग मालामाल हो रहे हैं क्योंकि वे सब से ज्यादा पावरफुल हैं। इसके बाद जो उससे कम पावरफुल जनसंघ है वह खूब कमाती है। अभी आलोचना हुई कि बलरामपुर और गोंडा में क्या-क्या इन्होंने किया? उसके बाद एस० एस० पी० का नम्बर आता है और उसके बाद हमारा नम्बर आता है। मतलब यह है कि हम सब से ज्यादा कमजोर हैं सदन में और बाहर भी। इसलिये यह हो सकता है कि हमारा ब्रेन उतना ज्यादा एप्लाई नहीं होता कि हम ज्यादा पैसा कमा लें।

यह जो संकल्प आप लायें हैं यह संकल्प केवल मंत्रियों के लिये न लाकर सब के लिये लाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। जो संशोधन लाया गया है कि वह विधायकों के लिये है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि जितने कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीवादी हैं, पूंजीवादी वर्ग के लोग हैं सब पर यह रोक लगाई जाय। सब के ऊपर यह कंट्रोल लगाया जाय तभी समाजवाद आयेगा। हम कांग्रेसी लोगों की भी कड़ी आलोचना करते हैं। यह कभी-कभी डेमोक्रेट बन जाते हैं और कभी-कभी सोशलिस्ट बन जाते हैं। आज एक नई थ्योरी आ गई। यह कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में विश्वास करते हैं। ये न पक्के डेमोक्रेट और न पक्के सोशलिस्ट हैं। यह इनकी खिचड़ी है। इसके लिये मैंने पहले भी उपमा दी है और आज फिर देता हूं कि कांग्रेसी, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में विश्वास करते हैं वह उस अजगर की तरह से विषैले हैं जिसके पूंछ में भी विष हैं और जिसके मुंह में भी विष है। वह इधर से भी काटता है और उधर से भी काटता है। हम जब सोशलिज्म की बात करते हैं तो आप डेमोक्रेट बन जाते हैं और जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आप सोशलिस्ट बन जाते हैं.....

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

जिसके दो मुंह होते हैं उसके जहर नहीं होता है।

श्री श्यामलाल—

यह सोशलिज्म अधूरा है। अगर मुकुटबिहारीलाल जी जनसंघ की ओर से इस तरह का संकल्प रखते हैं तो सोशलिज्म थ्योरी का प्रचार करें। इस थ्योरी को अगर आप चाहते हैं तो पूंजी पर कंट्रोल होना जरूरी है। असल सोशलिज्म में जातिपांति का खंडन होता है। हम भी जाति-पांति में विश्वास नहीं करते। हम चाहते हैं कि वर्गहीन समाज की रचना हो, लेकिन जो सोशलिज्म में विश्वास करते हैं वह भीतर से बड़े सच्चे दिखाई पड़ते हैं, पर अन्दर से बड़े बेईमान हैं। हम जाति विहीन समाज की रचना करना चाहते हैं, लेकिन जातीयता की जड़ में जल डालते हैं ताकि वह मजबूत हो। हम ऐसे सोशलिज्म के विरुद्ध हैं। हमने बतलाया कि हम सब से कम पावरफुल पार्टी के आदमी हैं। हम गरीब हैं और गरीब क्लास से ही आते हैं लेकिन इस तरह की बात को नहीं मानते। जब बड़े बड़े पूंजीपतियों पर यह रोक लगाई जायगी तभी यह करप्शन दूर होगा और यह तभी हो सकता है कि जब हर वर्ष ये बड़े लोग अपनी अचल और चल संपत्ति का लेखा-जोखा दिया करें। जब इस तरह से होगा तभी सच्चा समाज आयेगा और समाज में सच्चा वितरण होगा। आज समाज में सच्चा वितरण नहीं है। आज जो उपज हो रही है उसका वितरण नीचे के समाज में नहीं हो पाता है। जनता के ऊपर तमाम दुनिया भर की परेशानी है। जब इस डाक्टरिन में लोग विश्वास करेंगे तो हमारी पार्टी के लोग भी इसका तहेदिल से स्वागत करने के लिये तैयार हैं।

अंत में निवेदन यह है, जैसा कि कमलासिंह यादव जी ने कहा कि मंत्रिगण कारों का दुरुपयोग करते हैं उन्होंने यह भी कहा कि ब्लाक में बी० डी० ओज कारों का दुरुपयोग करते हैं और गलत भत्ता बनाते हैं। चूंकि कांग्रेस वह सारे काम कर रही है इसलिये सब क्षम्य है। जिस दिन दरअसल समाजवाद लागू हो जाय, उस समय न तो मंत्री ही कारों

का दुरुपयोग कर सकेंगे और न वे बी० डी० ओज ही दुरुपयोग कर सकेंगे। मैं तो अपने जनसंघ के भाइयों से निवेदन करूंगा कि यह आपका प्रस्ताव लाना गलत है। अगर यह प्रस्ताव हमारे द्वारा प्रस्तुत हुआ होता और आप इसका समर्थन करते तो ठीक होता।

मैं अपने कांग्रेस के भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि यह संकल्प बिलकुल सही है। इसमें मैं यह संशोधन जोड़ना चाहता हूं कि न केवल मंत्रिगण ही इस बातकी सूचना दिया करें कि उन के पास कितनी चल और अचल संपत्ति है, वरन् साथ में हमारे विधायक भी और प्रदेश के जितने बड़े आदमी, पूंजीपति हैं, उन सब की संपत्ति का भी पूरा लेखा-जोखा होना चाहिये तभी हम समझेंगे कि सच्चा समाजवाद आया।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, जो प्रस्ताव प्रस्तुत है उसके लिये मैं कहूंगा कि जितने पोलिटिकल कार्यकर्ता हैं इधर के या उधर के उन्हें यह जरूर महसूस होने लगा है कि आज जनता में उन के प्रति अच्छी भावना नहीं है और जनता यह समझती है कि अगर लखपति बनना है तो मिनिस्टर बन जाइये और अगर हजार पति बनना है तो एम०एल०ए० बन जाइये। यह बाद की बात है कि अपोजीशन वाले या कांग्रेस वाले बाद में कैसे अपनी सफाई दें कि यह फारमूला उन पर अप्लाई नहीं करता। जनता समझती है कि आज पोलिटिकल कार्यकर्ता ही अपने व्यक्तिगत फायदे के लिये सारी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह मैं जरूर चाहता था कि अगर इस रेजोल्यूशन पर किसी बन्द कमरे में विवाद होता तो ज्यादा अच्छा था। अगर आपस में एक दूसरे को गाली ही देना था, जिसकी शुरुआत श्री मिश्र ने करदी है, तो यहां कम से कम विजिटर्स को नहीं रहना चाहिये था। जनसंघ के सदस्यों से मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर वह इस तरह का संकल्प यहां लाये थे तो कोरम पूरा रखने की जिम्मेदारी भी उनकी थी। उनके दल के ही ५० सदस्य हैं, लेकिन इस समय भी कोरम की कमी में सारा विवाद चल रहा है।

सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों हुई? आखिर हम लोग इसका समर्थन क्यों करते हैं? इसकी वजह सिर्फ एक है। आजादी के बाद जनता का विश्वास जम्हूरियत से उठता जा रहा है दिन ब दिन।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जरा ठहर जाइये। कोरम की कमी है।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रियासत हुसैन—

तो मैं यह कह रहा था कि आज ज्यों-ज्यों जम्हूरियत में से जनता का भरोसा उठता चला जा रहा है उस की वजह क्या है? उसकी वजह यह हो गयी कि जो भी कार्य करते हैं देश के लिये उनमें से देश की आजादी के बाद वह भी पार्टी के हों उनमें से समाज की भावना कम होती जा रही है और वह दिन-ब-दिन व्यक्तिगत फायदे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस की जिम्मेदारी इसलिये ज्यादा है कि आज उनकी सरकार है और उनके पास इस किस्म के साधन हैं कि अगर वह उसी तरीके से जिस तरह से आजादी के पहले जनता में जाकर मिसनरी स्पिरिट से काम करते थे, अब भी जम्हूरियत को बरकरार रखने के लिये जनता में जाते और कहते कि जहां जनता अपने हकूक को रखती है उसके कुछ फरायज भी हैं, तो आज डिमोक्रेसी में से इतनी जल्दी जनता का विश्वास न उठता। वैसे तो रेजोल्यूशन का मकसद मंत्रियों तक सीमित है और संशोधन के जरिये सारे एम० एल०एज को जोड़ दिया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी इसलिये बढ़ जाती है कि वह पार्टी इन पावर है और किसी भी पार्टी के करेक्टिव मैजारिटी के कैरेक्टरस्टिक से उस पार्टी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

के मेम्बरों का कैरेक्टर डिफाइन किया जा सकता है । आज मुझे यह कहने में कोई शक या शिशक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के ८० फीसदी आदमी अपने व्यक्तिगत फायदे को सबसे पहले सोचते हैं और उसी लाइन पर काम करते हैं। जितने भी कांग्रेस के पोलिटिकल कार्यकर्ता थे वह अब कार्यकर्ता नहीं रहे, बल्कि नेता कहलाने लगे और उनका काम सिर्फ सीमेंट और टिन के परमिट दिलाने का, लखनऊ में सिफारिश करने का, थाने में सिफारिशें करने का रह गया है । मैं अब भी मानकर चलता हूं कि २० फीसदी आदमी उनकी पार्टी में आज भी अच्छे हैं, लेकिन वह माइनारिटी में हैं। उसी तरह से अपोजीशन में भी खराब हो सकते हैं, लेकिन वह माइनारिटी में हैं, मैजारिटी में अच्छे हैं। इसलिये अपोजीशन का कैरेक्टरिस्टिक उसी पैमाने से नापने लगेगा जिस पैमाने में उनकी मैजारिटी का कैरेक्टर होगा । इसलिये मैं आज भी यह कह सकता हूं कि अपोजीशन पार्टीज का कैरेक्टर इन कम्परीजन टु कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा है ।

करप्शन क्यों होता ? जब आप किसी को कम वेतन देते हैं तो उसे अपना खर्चा पूरा करने के लिये किसी तरह पैसा पैदा करना होता है । मेरा कहने का मतलब यह है कि करप्शन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिनिस्टरों और डिप्टी मिनिस्टरों आदि पर है । अपने जिले मुरादाबाद की बात मैं कहता हूं । मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब आयेगा तो मैं पूछूंगा । मेरे यहां जब भी मिनिस्टर साहब जाते हैं, उनके इतना कहने पर कि मुरादाबाद के बर्तन अच्छे होते हैं, बस एक दो पेटी बर्तनों की उनको पेश कर दी जाती है। करप्शन काइन्ड में भी होता है और कैश में भी होता है । तो जब मिनिस्टर लोग ऐसा करेंगे तो फिर सेक्रेटरी अथवा और दूसरे लोगों का क्या होगा । मिनिस्टर लेविल से तो ऐसा काम होना चाहिये जिससे कि कोई उनके ऊपर आंख न उठा सके । आपको तो भगवान कृष्ण की जिन्दगी से, मोहम्मद साहब की जिन्दगी से, ईसा मसीह की जिन्दगी से, महात्मा गांधी की जिन्दगी से सबक लेना चाहिये । मिनिस्टर लोगों को किस तरह की जिन्दगी बसर करना चाहिये उसके लिये मैं इस्लामिक हिस्ट्री से कुछ पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । यह वह जमाना था जब कि तमाम दुनिया में उनका झंडा ऊंचा था आज दुनिया के अन्दर मुसलमान जरूर हैं मगर उस शान के साथ नहीं हैं जो उस वक्त में थे । मैं आपको ७वीं सदी की हिस्ट्री से कुछ सुनाना चाहता हूं । मेरे पास यह पुस्तक है—"मुकम्मल तारीख इस्लाम" इससे आपको पता चलेगा कि उस समय में किस तरह की जिन्दगी बसर की जाती थी । इसमें लिखा है—

"आपका अहदे 'हुकूमत हुकूमत इलाहिया' का सच्चा नमूना था । इसका तमाम तर दस्तूर किताब अल्लाह और सुन्नते रसूलअल्लाह की रोशनी में मुरत्तब किया गया था । आपने सरमायादारी और जागीरदारी को खत्म करके पूरी मुमलकियत इस्लामिया को बागे अरम बना दिया था जिसमें कि हर फर्द बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत पूरे सकून, पूरे इत्मिनान और पूरे आराम के साथ जिन्दगी बसर कर रहा था ।"

आगे इसमें है कि "चुनांचे आपने खुरासान के गवर्नर यजीद बिन मोहलब को इस बिना पर कैद कर लिया था कि वह रियाया पर जुल्म करता था और सरकारी खजाने का रुपया उसने गबन कर लिया था। मोहलब की तरह दूसरे कई बड़े-बड़े आमिलों को आपने सख्त सजा दी थी ।"

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको भी इसी तरह से काम करना चाहिये । सरकारी अफसरों के खिलाफ आपको जांच करानी चाहिये । इसमें आगे और भी लिखा है—

"हजरत उमर बिन अब्दुलअजीज बैत उल माल से इस कदर कलील रकम लेते थे कि उसमें आपका और आपके अहल व अयाल का मुश्किल से गुजारा होता था । बाज औकात फाकों तक की नौबत आ जाती थी । अफलास और तंग दस्ती की वजह से आपने एक रोज अपनी बीबी फातमा को जो सुल्तान अब्दुल मलिक की बेटी थी, काबिला देखा तो फरमाया कि 'अगर फकीरी

की जिन्दगी गुजारनी है तो मेरे साथ रहो वरना तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है।"

तो इनकी जिन्दगी से, इनके कार्यों से सबक लीजिये। यही रास्ता महात्मा गांधी, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध आदि सबने हमें सिखाया है, जिनके जरिये से डेमोक्रेसी चली है, जम्हूरियत चली है, सोशलिज्म चला है। इसके आगे लिखा है--

"आपकी बीबी को उनके बाप सुल्तान मलिक ने एक बेशकीमती हीरा दिया था, आपने उनके पास यह हीरा देखा तो कहा कि इसे बेतउल-माल में दाखिल कर दो या मुझे छोड़ने के लिये तैयार हो जाओ। बीबी ने उसी उक्त हीरा बैत-उल-माल में दाखिल कर दिया।"

"आपकी प्यारी बेटी आमां का कुर्ता फट गया जब उसने बाप से कुर्ते के कपड़े के लिये कहा तो आपने बीबी से फरमाया कि कपड़ा तो हमारे पास है नहीं फर्श फाड़कर उसका कुर्ता बना लो। आपकी बहन को जब इस वाके का इल्म हुआ तो उन्होंने बच्ची के कुर्ते के लिये एक थान भिजवा दिया।"

लेकिन आज हम सरकारी रुपये को अपने ऊपर खर्च करने में तनिक भी एतराज नहीं करते हैं। जैसा कि अभी कमलासिंह जी ने बताया जब कार मिल गई तो दूर होने लगा नहीं तो कोई बात नहीं थी। और अभी इसके आगे देखें--

"उमर साहब जब मर्ज-उल-मौत में मुतालिबा हुये तो निहायत ही मैली कमीज पहने हुये थे। आपकी बीबी से जब कहा गया कि लोग अयादत के लिये आ रहे हैं, यह कमीज बदलवा दो तो आपने जवाब दिया कि कहां से बदलवाऊं बस उनके पास यही एक कमीज है।"

ऐसी ही बहुत ही मिसालें महात्मा बुद्ध, श्री कृष्ण और महात्मा गांधी की जिन्दगी से भी दी जाती हैं। हम समझते हैं कि वह लोग ठीक हैं, लेकिन वैसा हम अपनी जिन्दगी में करते नहीं हैं। आज इस बात को सोचना पड़ेगा कि यह विचार, यह प्रस्ताव सिर्फ एम० एल० ए० और मिनिस्टर्स इत्यादि तक ही सीमित न रहे, बल्कि अपनी अपनी पार्टी की जिम्मेदारी है कि वह अपने-अपने कार्यकर्ता से यह बात कहे कि वह कार्यकर्ता भी अपनी आमदनी का हिसाब दें, अपनी जायदाद का हिसाब दें। पार्टी देखे कि जब से वह उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हुये हैं, परमिटों से लाइसेन्सों तथा सिफारिशों से किस तरह का फायदा उठाया है अथवा नहीं। यह बात छिपाने और पर्दा डालने की नहीं है। इसी प्रकार का झगड़ा आजकल सब जगह चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में बहुत है और दूसरी पार्टियों में भी हैं। अभी यू० पी० सी० सी० के चुनाव हुये उसमें भी कोटा परमिट वालों का झगड़ा पड़ा हुआ है, यही मामला पड़ा हुआ है कि किसने कोटा परमिट के जरिये कितनी संपत्ति इकट्ठा की। एक दूसरे पर आरोप होते हैं, इन्होंने इतना इकट्ठा किया, इन्होंने इतना। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। जो लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका अफसरों के ऊपर दबाव पड़ सकता उनकी जांच अवश्य होनी चाहिये। अभी एक कांग्रेसी भाई ने कहा कि आपको हमारी क्या है, चिन्ता है? आप अपनी चिन्ता कीजिये। तो मेरा कहना है मुझे आपकी चिन्ता बिलकुल नहीं है मुझे अपनी भी चिन्ता नहीं है, मुझे केवल देश में डेमोक्रेसी के कायम रखने की चिन्ता है, क्योंकि यदि हमारे और आपके इस तरह के कार्यों से जनता का हमारे ऊपर से भरोसा उठता चला गया, तो देश की डेमोक्रेसी जिसको इतनी मेहनत से प्राप्त किया गया है, वह रुकने वाली नहीं है। उसे आप और कोई बचा नहीं सकेगा।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में कुछ बोलना पहले तो नहीं चाहता था लेकिन कुछ बातें अभी आई हैं, जिसकी वजह से सोचा कि थोड़ा-सा निवेदन कर दूं। सबसे पहली बात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे मन्त्री लोग अनायास इस बात से परेशान हैं कि यह संकल्प आया क्यों ? उन्हें तो धन्यवाद देना चाहिये हमारे श्री मुकुटबिहारीलाल जी को कि जो ऐसा संकल्प सामने लाये, जिसकी आड़ में मिनिस्टर लोग अपने को बचा सकते हैं। क्योंकि आज जहां जाइये, यही सुनने में आता है कि उसका इतना ले लिया, इसका उतना ले लिया। सब मिनिस्टर करप्ट हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ जरूर हैं, यह भी उसके साथ सही है। अब उन कुछ के साथ बहुत कुछ उसके साथ लिपट जाता है। तो हमारे मंत्री लोग अगर इसको मान लेते हैं और पूरा नक्शा जनता के सामने रख देते हैं, तो जनता समझ जायेगी कि वस्तु स्थिति क्या है। यह प्रायः देखा जाता है कि जिनके पास पहले ज्यादा रकम थी वह कम हो गई है क्योंकि उनको अपना पेशा करने का मौका नहीं मिलता। किन्तु कुछ ऐसे भी निकलेंगे जो इस वक्त लखपती बने बैठे हैं, जबकि वे मिनिस्टर नहीं थे तो ऐसा नहीं था। तो यह तो बहुत भारी काम किया है श्री मुकुटबिहारी लाल जी ने और सरकार को इसको मान लेना चाहिये।

इसमें जो संशोधन एम० एल० एज० के लिये हैं, वह भी बहुत ही उम्दा हैं और जो मूल प्रस्ताव से भी अधिक महत्व के हैं, क्योंकि उसमें बहुत परसेंट आयेगा, कई परसेंट उसमें निकलेगा।

अब आप यह समझिये कि बहुत से लोग जो आज लांछन लगाते घूमते हैं, जैसा कि अभी अभी एक माननीय सदस्य ने लांछन लगा दिया कि जन संघ में सब राजा महाराजा हैं। पता नहीं कौन राजा महाराजा हैं ? जब से भारत स्वतंत्र हुआ, न कोई राजा है, न महाराजा। मगर देखा जाय, जैसा कि संशोधन में है, तो एम० एल० एज की आमदनी, अगर हिसाब लगाया जाय, तो माननीय सदस्यों की ही आमदनी बढ़ी है। एक चीज मैं, श्रीमन्, और निवेदन कर दूं, यहां माइक पर खड़े होकर आपकी छत्र-छाया में दूसरों को सुनाना हो तो बड़े आराम से, चाहे जो बात हो, कह जाये कोई आदमी, लेकिन जब अपनी तरफ गौर करें तो पता चलेगा कि कितने गहरे पानी में है। मैं दूर नहीं जाऊंगा। अभी दो दिन पहले की बात करता हूं। अभी जो आपका विरोधी पक्ष सदन का परित्याग करके बाहर था, उस वक्त कुछ चरित्रवान लोग यहां बैठे हुए थे .....

श्री श्यामलाल—

आपने अंग्रेजी का विरोध किया था .. ..

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय श्यामलाल जी, आप बैठ जाइये। माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी आप बोलिये।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मैं किसी का नाम तो ले नहीं रहा हूं। श्रीमन्, कुछ लोगों में ऐसी चीज है कि जब इलेक्शन आया तो इलेक्शन लड़ने के लिये, उसमें मिल जाते हैं। पार्टी ने अपने पास से पैसा खर्च किया, दौड़ी और चुनाव जीता। जीतन के बाद जो आये तो दूसरी पार्टी में चले गये। और वे लोग जब दूसरों के ऊपर आक्षेप करते हैं तो हंसी छूटती है। बात यह है, श्रीमन्, कि जब किसी के ऊपर गलत आक्षेप किया जाय तो हंसी छूटती है, रंज नहीं होता। रंज तो जब होता है कि जब आक्षेप सही हो। तो जब आक्षेप सही होगा तो उसको जरा सा भी छू दिया जायेगा तो उसको रंज हो जायेगा। यह संशोधन और यह प्रस्ताव, दोनों ही अपनी जगह पर इतने सही हैं, इतने उम्दा है कि इससे हर एक आदमी जो भला आदमी है वह भला बन जायगा और जो बुरा है वह बुरा बन जायगा। इसलिये मैं तो यह कहूंगा कि यह बहुत ही अच्छा संशोधन है।

रहा यह कि सब मन्त्रियों के ही ऊपर काहे को यह सब लांछन आते हैं ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्य सत्ता जो है मामूली चीज नहीं है। वह कांटों का ताज है। जहां उसमें कुछ खूबियां है वहां बहुत सी बुराइयां भी हैं। राज्य सत्ता सम्हालने वाले के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह आती है कि वह अपने को इस किस्म का बनावे कि राज्य का हर एक व्यक्ति उसको अपना आदर्श समझ कर उस पर चलने का प्रयास करे। वह आदर्श बनाने के लिये राज्य सत्ता सम्हालने वाले को अपनी बहुत सारी प्रिय चीजों को और ऐसी चीजों को जिनको कि वह जानता है कि उसमें नहीं है, मगर फिर भी जनहिताय उसे उसकी सफाई करनी पड़ती है। भगवान रामचन्द्र की मिसाल लीजिये। सीता जैसी साध्वी स्त्री, उसके बाद फिर अग्नि परीक्षा भी हुई और अग्नि परीक्षा में स्वयं भगवान राम रहें हों, ऐसी बात नहीं, तमाम संसार के प्रतिष्ठित लोग उसमें मौजूद थे, परन्तु अयोध्या में आने के बाद केवल एक आदमी ने लांछन लगाया, केवल मात्र इतना कहा अपने घर में अपनी स्त्री से कि मैं रामचन्द्र नहीं हूं कि दूसरे के घर रही हुई स्त्री को अपने घर में रख लूं, केवल इतनी सी बात के ऊपर अपनी उस सती साध्वी स्त्री को छोड़ना पड़ा और आजीवन कुशासन पर लेट कर एक ब्रह्मचारी का जीवन बिताना पड़ा। किस लिए ? केवल जनता के सामने एक प्रमाण रखने के लिये। उससे यह नहीं सिद्ध होता है कि सीता जी के ऊपर उन्हें अविश्वास था। बल्कि यह है कि जनता के सामने एक प्रमाण होना चाहिये। हर एक आदमी उस आदमी को देखता है जो ऊपर होता है। आप कभी भी चलेंगे, कहीं भी चले जायं आप अनुकरण करने के लिये उस आदमी की तरफ देखेंगे जो अनुकरणीय होगा। मिनिस्टर बन जाना बहुत आसान बात है। तिकड़मबाजी से भी लोग मिनिस्टर बन जाते है, तरकीबें लड़ा कर भी मिनिस्टर बन जाते हैं।

एक कांग्रेसी सज्जन तो यहां तक कह गये कि प्रदेश का मुख्य मंत्री बनने के लिये डेढ़ करोड़ रुपया चाहिये और भारतवर्ष का प्रधान मंत्री बनने के लिये ४ करोड़ रुपया चाहिये। बस इतने में ही सब कुछ हो जायगा। तो मिनिस्टर बनना तो एक आसान बात है। मगर केवल मिनिस्टर बनने से काम नहीं चलेगा। यह भारतवर्ष है, यह भोग भूमि नहीं है, यह कर्म भूमि है। इसमें कभी भी भोग की प्रधानता नहीं रही है। इसमें कर्म की प्रधानता रही है। इसके प्रमाण के लिये बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। सामने बठन वाल लोग कर्म भूमि में जब तक थे उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप राज्य भोग रहे हैं। जेलों में गये थे, डंडे खाये थे, गालिया सुनी थीं, सब कर्म हुये थे, तब आज वहां बैठे हुये है। कर्म भूमि में फिर हैं, इनको कर्म करना चाहिये, भोग नहीं करना है। जिस दिन से उस सिद्धान्त को छोड़ा है उस सिद्धान्त को छोड़ने का परिणाम यह हो रहा है कि वही मिनिस्टर जिनकी चरण धूलि लेने के लिये लोग दौड़ते थे, उन्हीं को देख कर लोग मुंह घुमा लेते हैं। कारण क्या है ? कारण वही है कि उन्होंने कर्मभूमि में पैदा होने वाले अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया और भोग भूमि में होने वाले कर्त्तव्य का पालन किया। मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रस्ताव के द्वारा एक बड़ा भारी अवसर उन्हें दिया गया है कि वह अपने बारे में सच्ची बात को सामने रखे और सच्ची बात रख कर के अगर गलत भावना है जनता के अन्दर, अगर गलत सोचते हैं सब लोग कि मिनिस्टरों की आमदनी बढ़ गई है पहले से तो उसे साफ करने का एक अच्छा मौका यह है, उसको उनके सामने रख कर अपने उस सफेद दामन को फिर से सफेद कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से एम० एल० एज के बारे में भी है। है कुछ जरूर, मगर कुछ ऐसे भी है जिनको एम० एल० ए०—गीरी करने का शौक नहीं है वे जनता की सेवा करने के लिये आये हैं, उनको भी मौका मिलेगा और वे भी अपना नक्शा रख देंगे। इतना गलत रास्ते पर ले जाने के बाद भी भारत की जनता अभी इतना पहचानती है कि कौन त्यागी है और कौन ठग है। मैं आपके द्वारा उधर के बैठने वाले, पहले के त्यागी और अब के भोगी, लोगों से निवेदन करूंगा कि वे राम राज्य से आदर्शच्युत होकर कामराज तक आ गये हैं। राम राज्य में आपका आदर्श त्याग था, लेकिन काम राज में क्या आदर्श है वह तो उसका अर्थ ही आपको बता देगा। अतः आप अब पुनः पीछे खिसकिये। अगर आप आगे जायेंगे तो हिमालय की चोटी से नीचे

[कुंवर श्रीपालसिंह]

गिरेंगे और जम राज्य में पहुंच जायेंगे और अगर पीछे गये तो फिर राम राज्य में पहुंच जायेंगे। तब आप माननीय मुकुट बिहारी लाल जी को धन्यवाद देंगे। अगर पूज्य बापू की सीख को आपने नहीं माना तो फिर आप किसी भी हालत में ऊंचे नहीं चढ़ सकते।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो प्रस्ताव है जिसमें माननीय मंत्रिगणों को हिसाब देने की व्यवस्था की गयी है, मैं समझता हूं कि उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह भी सही है कि चिराग के नीचे अंधेरा होता है। अगर सही तरीके से गौर किया जाय तो इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। सवाल यह होता है कि चुनाव लड़ने के बाद किसी पार्टी पर यह लांछन क्यों लगाया जाता है। अगर हम अपने दिल पर हाथ रख कर देखेंगे तो हमको उसका कारण अवश्य देखना पड़ेगा। ६२ के चुनावों की ताजी कहानी को ही ले लीजिये। चुनाव के जमाने में प्रत्येक माननीय सदस्य को ९ हजार तक चुनाव में खर्च करने का कानूनी अधिकार है। यह भी सही है कि इस सदन के समक्ष जब माननीय सदस्य आते हैं तो ईश्वर का साक्षी देकर उनको शपथ दिलायी जाती है कि वे राष्ट्र के प्रति बफादार रहेंगे। इस प्रकार यह आवश्यक हो जाता है कि हम सदन के अन्दर कोई गलत काम नहीं करेंगे और सच्ची बात को छिपायेंगे नहीं। इसके विरुद्ध करना अपराध है जो किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं किये जा सकते हैं। चुनाव में भी बेईमानी करने और ९ हजार से अधिक खर्च करने को कानूनी और सामाजिक छूट नहीं है। लेकिन यह भी सही है कि चुनाव के अन्दर कोई तरीका ऐसा नहीं है जो इस्तेमाल न किया जाता हो। यह भी सही है कि लोग ३०-४० हजार रुपया तक खर्च कर देते हैं लेकिन हिसाब ९ हजार के अन्दर का ही दे देते हैं ताकि कानून की गिरफ्त से बच जायं। कमजोर नींव पर खड़ी की गयी इमारत ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती। इस प्रकार से श्रीमन्, आज जो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं और जिनके हाथ में आज प्रदेश की सत्ता है अगर उन्हीं से इस सवाल को पूछा जाय कि ईश्वर व खुदा को सामने रख कर जनता आपसे हिसाब चाहती है कि कितने पैसे से आप चुनाव लड़ कर यहां आये हैं, तो मेरा खयाल है कि बहुत कम मंत्री लोग हैं जो ईश्वर को सामने रख कर ईमानदारी से सदन के सामने कह सकें कि वे कानून के दायरे में ही चुनाव लड़े और पैसे खर्च करने की जो कानूनी सहूलियत थी उतने ही पैसे उन्होंने खर्च किये है और कोई बेईमानी नहीं की। छोटे और बड़े तजुर्बे हमें भी दुनिया में देखने को मिले है और हमने देखा है कि चुनाव के अन्दर लाखों रुपये तक खर्च किये जाते हैं। मैं किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने पहले ही उपाध्यक्ष महोदय से इस बात का विरोध किया था लेकिन उन्होंने कहा कि जब एक तरफ से इस तरह की कोई बात कही जाती है तो दूसरी तरफ से भी कही ही जायगी। मैं आपको बतलाऊं कि मौदहा में जब चुनाव हुआ तो उस समय वहां बहुत से कांग्रेसी सदस्य व मंत्री लोग भी मौजूद थे। विरोधी पक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार थीं वे कहने के लिये रानी थीं, त्याग व तपस्या में रानी जरूर थीं, जनता की मुहब्बत में रानी थी, लेकिन पैसे के मामले में वे निर्धन थीं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने वहां यहां तक देखा कि पनचक्की से आटा मांग-मांग कर आता था और उसकी कच्ची रोटिया ही लोगों को खाने को मिलती थीं जिसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से लोगों को डायरिया हो गया और वे बीमार तक हो गये वहां आपोजीशन के नेता माननीय त्रिलोकीसिंह, माननीय फरीदी व दूसरे लोग भी थे। वे सब वही कच्ची-पक्की रोटियां व चने खाकर काम करते थे।

एक बात मैं वहां की और कह दूं जो बड़ी दिलचस्प भी है। जब लोगों का भूख के मारे बुरा हाल हो गया तो यहां तक देखा गया कि आपोजीशन की तरफ काम करने वाले कुछ लोग गुप्ता जी के कैम्प में जाकर खाना खा आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनमें से जब एक आदमी खाना खाकर उठने लगा तो संयोगवश उसकी टोपी गिर गयी, इस पर बड़ा हल्ला हुआ कि विरोधी दल के लोग भी कांग्रेस कैम्प में आकर खाना खा जाते है इसलिये आयन्दा से इसका

ध्यान रखा जाय। यह सोचने की बात है कि जो आदमी चुनाव में ५०-५० हजार या लाखों रुपये खर्च करके आता है अगर वह किसी मिल मालिक से रुपया लेकर चुनाव लड़ता है तो यह स्वाभाविक है कि उसके सामने उसका सर झुक जायगा और उससे मिल मालिक जो भी गलत-सलत काम कराना होगा करा ही लेगा। अगर कोई आदमी अपना पैसा ही खर्च करके आता है तो उसके मां-बाप, बीबी-बच्चे जिनका पैसा उस चुनाव पर खर्च हुआ रहता है, उससे हिसाब मांगते हैं और चुनाव के बाद जब उसका नशा उतरता है तब वह सोचता है कि इसकी पूर्ति कैसे की जाय। उनके पास जब आम गरीब जनता पहुंचती है तो वह यही जबाव देता है कि मुझे फुर्सत नहीं है, इसका कारण यही है कि जो वह ३०-४० हजार रुपया खर्च करके आता है तो उसको पूरा करने के लिये तरह-तरह के उपाय निकालता है।

श्रीमन्, सोचने की बात है कि अगर किसी शहर वाले का कोई काम यहां हो तो उसके किसी सदस्य के साथ आने की क्या जरूरत थी? होता यह है कि सदस्यों को सरकार की तरफ से आने जाने का भत्ता तो मिलता है लेकिन वे जिसका काम कराने का वायदा होता है उसके साथ आते हैं, उससे ही सफर का पैसा वसूल करते हैं। अगर पता लगाया जाय, तो लखनऊ के बड़े-बड़े होटलों में वे खाना खाते हैं, लेकिन वहां भी उनकी गांठ का पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि दूसरे लोगों का ही पैसा खर्च होता है। तो मेरा कहना यह है कि आज यह चुनाव का जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा और उसमें सुधार करना पड़ेगा। अगर इस तरह का कानून बन जाय कि चुनाव में जो बेईमानी करेगा उसे कोड़े की सजा मिलेगी, चाहे वह विधान सभा का चुनाव हो, चाहे विधान परिषद् का चुनाव हो, चाहे टाउन एरिया व नोटीफाइड एरिया का चुनाव हो, तो मैं समझता हूं कि इस तरह की बेईमानी नहीं हो सकेगी। लेकिन आज जो चुनाव पद्धति है उसमें तो ईमानदारी का चलना बहुत ही मुश्किल है और मजबूर होकर जो आदमी ५० हजार चुनाव में खर्च करके आता है वह खर्च हुआ पैसा तथा अगले चुनाव का नशा सवार रहने पर उसके लिये भी पैसा इकट्ठा करने की बात सोचता रहता है और उसके लिये गलत काम करने पर मजबूर होता है। मैं आप से यह भी अर्ज कर दूं कि अगर चुनाव पेटीशन होता है तो बहुत से चुनाव पेटीशन चलते रहते है और अगर हार भी जायें तो मेम्बरशिप समाप्त हो जाती है। तो आपका जो चुनाव सम्बन्धी कानून है उसमें बहुत सी खामियां हैं उनको दूर करना बहुत आवश्यक है वरना इससे कोई मतलब सही सिद्ध होने वाला नहीं है। अधिक से अधिक छः साल व दो दो साल के लिये वह डिबार हो सकते हैं, लेकिन अगर उसमें ऐसा संशोधन कर दिया जाय कि बेईमानी साबित होने पर ऐसे सदस्य को हमेशा के लिये समाज में निकम्मा और नालायक समझा जायगा तब इस चीज को रोका जा सकता है। लेकिन आज हालत यह है कि जिन्होंने ईमानदारी से त्याग किया और कुरबानी की और तरह-तरह के बलिदान किये चाहे वह कांग्रेस दल के हों या दूसरी ओर के हों उनके यहां आज खाने को नहीं है, जिन्होंने भारत की आजादी के लिये फांसी के तख्तों को खुशी से चूमा, जिन्होंने अपने बच्चों को हंसते-हंसते देश पर न्योछावर कर दिया वह आज रोटी के लिये मोहताज हैं दाने-दाने को तरसते हैं। लेकिन सन् ४७ में आजादी मिलने के बाद सत्ता हासिल की और जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने में अमन सभा में प्रेसीडेन्टी की उस के मेम्बर रहे, जिन्होंने उस वक्त देश भक्तों पर गोलिया चलवाई हैं और हन्टर लगवाये वह आज मिनिस्टरों की गोद में परवरिश पा रहे हैं और वह आज हर तरह से मजा कर रहे हैं, वह उनके कदमों में आराम कर रहे हैं और उनकी लिस्ट में हैं। जब वह आप के पास जाते है तो वह आप को बेईमानी के लिये प्रेरित करते है और आप उनकी बात मानते हैं और सत्ताधारी लोग और बड़े से बड़े आदमी उस गलत रास्ते पर चलने के लिये मजबूर हो जाते हैं। काफी संख्या में रोज सिफारिश करने वाले भारी संख्या में उन के कमरों में जाते हैं, लेकिन अगर मंत्री जी ईमानदार हैं तो उनका फर्ज है कि चाहे वह सदस्य किसी दल के हों उनको सही चीज से उनके कहने पर हटना न चाहिये, क्योंकि देश बड़ा है और पार्टी छोटी है अगर देश चला जायगा तो फिर पार्टी भी खत्म हो जायगी चाहे कुछ दिन वह भले ही चल जाय, लेकिन अगर देश कायम रहता है तभी पार्टी भी कायम रह सकती

[श्री लखपतराम शर्मा]

है। अगर कोई बड़े से बड़ा आदमी पकड़ा जाता है तो मंत्री जी के कमरे में बीसों सदस्यों की भीड़ लगती है और दरबार जमता है, मैं किसी की व्यक्तिगत बात नहीं करता, न किसी का नाम लेता हूं मैं केवल यह कह रह था कि बड़े से बड़े जुर्म में किस तरह से अपने लोगों को परिश्रय दिया जाता है और बचाया जाता है। एक मंत्री जी ने किस्सा पूछा कि किस तरह से रिश्वत की बात हुई तो कहा गया कि इन्होंने नोट दूर फेंक दिये थे, इस प्रकार अब उसको बचाया जा सकता है। इस तरह से यहां आने के बाद माननीय सदस्य मान जाते हैं और इस तरह से मंत्री जी से सिफारिश करते हैं ऐसे लोगों की बात मंत्री जी मान जाते हैं। उस दिन मैंने सोचा कि देश बचेगा या नहीं। मैंने अपने कानों से सुना कि मंत्री जी ने पार्टी के नाम पर उसके लिये विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी को फोन किया कि जहां तक मुमकिन हो इस आदमी की मदद की जाय और बच जाय तो अच्छा है। यह हालत है कि बेईमान आदमी के लिये सदस्यगण सिफारिश कर सकते हैं और मंत्री जी विभाग को फोन कर सकते है तो देश कितने दिन चल सकता है इस तरह से। वह नहीं चल सकता आप की पार्टी कुछ दिन भले ही चल जाय लेकिन जब देश नहीं रहेगा तो आप का दल भी नहीं रहेगा। देश तभी चल सकेगा कि इस तरह की सिफारिश लेकर अगर कोई जाय तो फौरन उस को भी डी० आई० आर० के अन्तर्गत पुलिस बुला कर बन्द करा दें और किसी मंत्री को अधिकार नहीं कि वह ऐसे मामलों में सिफारिश करें। आज पार्टी को जिन्दा रखने में वह लगे हैं, देश का कोई खयाल नहीं। एक मंत्री के खिलाफ और कई मंत्रियों के खिलाफ जब भी भ्रष्टाचार के अभियोग आये तो उन को स्वयं ही खुले दिल से आफर करना चाहिये अगर वह सच्चे थे कि हमारे खिलाफ कमीशन मुकर्रर करके इन्क्वायरी कराई जाय और अगर हम दोषी पाये जायं तो हम देश से मुंह काला करके कहीं और चले जायेंगे और यहां मुंह नहीं दिखायेंगे और कभी सदन के सामने नहीं आयेंगे। अगर उनके खिलाफ इल्जाम थे तो उनका यह फर्ज था लेकिन वह खामोश बैठे रहे और कोई सफाई नहीं दी गई। अगर ऐसे अभियोगों की ठीक से जांच न हो और दोषी लोग सही मार्ग पर न लाये जायं तो वह देश के हित में नहीं है।

आज उनके हाथ में सत्ता है जाहिर है कि पुलिस और गुप्त विभाग भी उनके खिलाफ चार्ज लगाने में और उनको गिरफ्तार करने में डरते हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ाने में और ऐसे लोगों को परिश्रय देने में सत्ताधारी दल का हाथ रहता है और वही इस के लिये जिम्मेदार है। आज अगर सब से ज्यादा सुखी कोई है तो वह सत्ताधारी दल के लोग हैं, यह मंत्री हैं कि जो तिकड़म बाजी से आज इन कुर्सियों पर आकर अपने को सुरक्षित समझते हैं। जिस तरह से फिल्म स्टारों के यहां तलाशी ली गई अगर इन मंत्रियों के यहां भी धोखे से तलाशी ली जाय तो लाखों रुपया मिल सकता है और उधर के कई सदस्यों के यहां से भी एक-एक के यहां आठ गुना माल पुलिस बरामद कर सकती है। लेकिन अभी तो यह होता है कि अगर कोई सही रिपोर्ट भी दी जाती है तो मामला खत्म कर दिया जाता है। आज़ पार्टी के नाम पर अयोग्य लोगों को पदों पर बिठाया जाता है। एक सेक्रेटरी से मैंने कहा कि विधान सभा में जब बोलने का मौका मिलेगा तो कहूंगा कि इस प्रदेश में जिस तरह से हर विभाग में बड़े-बड़े जो अधिकारी है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसी तरह से मंत्रियों को भी ट्रेनिंग कम से कम दो-तीन साल की दी जाय तब वे जाकर इन कुर्सियों पर बैठें। एक बार का किस्सा है कि कुएं बनाने का सवाल था। कुएं पहाड़ के नीचे बनने थे पर हमारे माननीय मंत्री ने नक्शे में पहाड़ के ऊपर निशान लगा दिये। फिर जब अधिकारी उनसे मिले कि आपने तो पहाड़ के ऊपर निशान लगा दिये हैं जब कि कुएं नीचे बनने थे। तो माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि अरे किसी ने बताया ही नहीं था। तो ऐसे-ऐसे मंत्री कुर्सियों पर बैठे हैं। वास्तव में उसी आदमी को उस विभाग में रखना चाहिये जिसे उस विभाग का अनुभव हो। बड़े-बड़े इल्जाम लगाये जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने जो हिन्दुस्तान में कांग्रेस का जलसा हुआ था उसने मंडप की कई हजार दरें जो थीं वे भी बेच दीं। तो अगर ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो जाते हैं तो यह बताइये कि ऐसी दशा में देश क्या उम्मीद कर सकता है ?

आप कहते है कि हम तो हिसाब देते हैं तो जिनको आप हिसाब देते हैं तो वे तो आपके ही हैं। अंग्रेजों की हुकूमत नहीं है जिसको हिसाब नहीं देंगे। अगर समाज को मजबूत करना है, देश को ऊपर उठाना है तो माननीय मंत्रियों को अपने-अपने हिसाब-किताब का ब्योरा देना चाहिये और अगर वे देंगे तो माननीय सदस्यों की हिम्मत नहीं हो सकती कि वे न दें। विदेशों में जैसे अमरीका आदि में ऐसा देखा गया है कि अगर रात में भी कोई आदमी सोचता है कि इन्कम टैक्स का इतना पैसा गलती से रह गया है तो वह सुबह ही जाता है और कहता है कि हमारे पास इतना रुपया बाकी है। असल में जरूरत है देश में ईमान की। देश को मजबूत करने के लिये ईमान की जरूरत है अगर हमने ईमान को खो दिया तो आप ध्यान रखिये कि आप मजबूत नहीं होंगे और देश उन्नति नहीं कर सकेगा। आपकी ईमानदारी में हमारा हर कदम आपके साथ होगा।

*श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, यह जो नौन-आफिशियल रैजोल्यूशन आया है कि मंत्रि-मंडल अपना हिसाब-किताब दे, तो क्या ही सुन्दर होता कि जिसने यह रेजोल्यूशन रखा है वे इसमें एम० एल० एज को भी साथ में लेते और सरकारी आदमियों को भी साथ लेते, तब तो यह बड़ा सुन्दर था, लेकिन केवल मंत्रि परिषद् के सदस्यों को लेकर ऐसा मालूम होता है कि उस महाशय के दिल के अन्दर क्या आयना जाहिर करता है कि इसमें दिल का बुग्ज निकाला है या दुश्मनी की तरह से रखा गया है। चाहिये तो यह था कि एम० एल० ए० और जो भी सरकार के अधिकारी हैं वे भी बीच में आ जाते तो अच्छा था। बाइबिल में क्राईस्ट ने कहा है कि "ऐ इल्जाम लगाने वाले पहले तू अपनी आंख का शहतीर निकाल फिर तू दूसरों की आंख का तिनका निकाल सकता है।" जो श्रीमन्, इस रैजोल्यूशन को लाये हैं मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता। इस डेमोक्रेसी में ऐसी बातें आती हैं, कि हर मुल्क में, हर सूबे में, हर शहर में और हर जिले में और हर गांव में कहीं-कहीं बेईमान आदमी मिलेंगे। सारी खिल्कत ईमानदार नहीं होती। यह मुत्तफिका एक फसला है। मैं चाहूंगा कि जो किसी के ऊपर किसी वजह से, बदनामी या किसी को गिराने की वजह से, ऐसा रिजोल्यूशन लाते हैं पहले उनको अपनी बगलें झांकनी चाहिये। जनसंघ जो देश में नई-नई पैदा हुई है इस देश की बेहतरी के लिये वह समझती है कि जो उसकी आइडियालाजी है वह बेहतरी के लिये है। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितनी कम्युनिलिज्म जनसंघ इस देश में लायी है उतना और कोई जमाअत नहीं लायी। अभी मेरे दोस्त कुंवर श्रीपालसिंह जी खड़े होकर सब बातें कह रहे थे, कहना आसान है और कहा कि मिनिस्टर बनना भी आसान है। मैं कहता हूं कि मंत्री बनना आसान नहीं है। हो सकता है कि जनसंघ के जमाने में श्रीपाल सिंह जी मिनिस्टर हो जांय, लेकिन कांग्रेस के अन्दर मिनिस्टर वही बनता है जो लायक हो, तजुर्बेकार हो, ईमानदार हो। १०० में से अगर १० आदमी भी ईमानदार हैं तो उनको तो ईमानदार कहिये। हम एकाउन्ट देने के लिये तैयार हैं, लेकिन आप भी तो दीजिये, सब एम० एल० ए० दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल—

इस संकल्प में एक संशोधन आया है जिसमें एम० एल० एज के बारे में भी कहा गया है कि ५ साल बाद अपना लेखा-जोखा दें। तो क्या माननीय सदस्य दोनों बातें मानने के लिये तैयार हैं?

श्री एस० जी० दत्त—

मैं भी तो वही कह रहा हूं। इसमें अगर अधिकारियों और एम० एल एज को शामिल किया जाता तो अच्छा रहता। लेकिन इसको देखने से मालूम यही होता है कि महज बुग्ज निकालने के लिये ही यह प्रस्ताव आया है। मैं अपनी खसलत और आपकी खसलत सब पेश कर रहा हूं। आपने कौन सा ऐसा खेल खेला इस डेमोक्रेसी के अन्दर जिससे भारत की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री एस० जी० दत्त]

जनता ऊपर उठी ? सिवाय यह कहने के कि कांग्रेस बड़ी बुरी जमात है, बेईमानों की जमात है, चोरों और डाकुओं की जमात है। क्या आप ही ऐसे साधू महात्मा हैं जो दूध के धुले हैं ? इसलिये मैंने क्राइस्ट वाली बात कही थी कि पहले अपनी आंख का शहतीर निकालो तब दूसरे की आंख का तिनका निकाल सकोगे। जरूर है कि अगर कोई शख्स गलती करता है, माना कि कमजोरियों की वजह से गलत है, लेकिन उसके भले काम भी तो देखो। यहां माननीय राजनारायण जी बड़े बोलने वाले थे और पुलिस ग्राण्ट पर बोल रहे थे तो मैंने कहा कि कोई हुकूमत या इन्सान ऐसा नहीं है जिसमें कमजोरी न हो। लेकिन अगर पुलिस का महकमा कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ भी तो करो, इंकरेज करो और अगर गलती की है तो सुझाव दो कि जिससे वह गलती आइन्दा न हो सके। यही हमारा रवैया होना चाहिये। आपका रवैया है कि जनसंघ लाठी ले कर हमको कूट रहा है और कहते हैं हम बेईमान हैं। मैं कहता हूं कि जनता को बेईमान कहते हुए आप खुद बेईमान हो। माफ कीजियेगा। इस डेमोक्रेसी में, लिबरल डेमोक्रेसी भी कांग्रेस ने इस देश को दी है। कोई हमारा परपज नहीं था कि हम बादशाहत हासिल करें। हमारे नेहरू जी देश के डिक्टेटर होते, लेकिन उन्होंने आम जनता को अधिकार दे दिये जो जनसंघ नहीं दे सकता था। जनसंघ तो लट्ठ लता और सारे अधिकार ले लेता। आज हम आपकी बात सुनते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में जो चाहे कहा जा सकता है। यह मिनिस्टर मुगल बादशाहों के खान्दान के नहीं हैं। राजा साहब, आप हुकूमत कर चुके हैं आपकी भी रियासत थी। लेकिन आज आप अपने कर्मों की वजह से धक्के खा रहे हैं। हम कुर्सी पर बैठे हैं क्योंकि हमारे कर्म अच्छे हैं। अब आप ही देखिये कि हमारे कर्म अच्छे हैं या आपके ? जिस समय खाद्य समस्या भीषण थी और गरीबों को खाने को नहीं मिल रहा था उस समय जिनके बड़े-बड़े फार्म थे उन्होंने ३५/४० रु० मन गल्ला ब्लैक में बेचा और यहां ईमानदारी जाहिर करते हैं कि कांग्रेसी सरकार ने सत्यानाश कर दिया। खुद ये लोग ब्लैक करें और सोना बना कर कहें कि तुम बेईमान हो और खुद ईमानदार बन। यह हालत इनकी है। आपको चाहिये था कि आप कोआपरेट करके प्रदेश की सरकार को चलाते हमारा फर्ज यह है कि जो पिछड़े हुये लोग हैं, जो गरीब हैं उनको ऊपर उठायें।

मैं कहता हूं कि आप अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं ? इसलिये कि वे आपकी मदद करते हैं। अंग्रेजी सरकार के जमाने में बड़े-बड़े सेक्रेटरी तक के पास कार नहीं थी, लेकिन आजकल ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० जैसे छोटे-छोटे अधिकारियों तक को मिल गई है। अगर हम बेईमान हैं तो महकमे के अधिकारी कौन-सा नेकनामी का काम कर रहे हैं। दिल पर हाथ रख कर कहें कि हमें कौम का दर्द है और हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम गरीब एम० एल० ए० हैं, पार्टी वालों से पैसा मांगते हैं और जब नहीं मिलता तो चन्दा करके इलेक्शन लड़ते हैं। इसलिये लड़ते हैं कि जनता हमारे पीछे है। अगर हम बेईमान होते तो जनता हमें न आने देती। आपने जाति-पांति का भेद भाव खड़ा कर दिया है। मैं ईसाई धर्म का हूं फिर भी मुझे सबका सपोर्ट मिलता है। जनसंघ वाले अपना उम्मेदवार खड़ा करते हैं तो कहते हैं कि दत्ता साहब ईसाई है। गौ मांस खाता है। ऐसी बात कहते हैं। हालांकि मैंने कभी गौ मांस नहीं खाया। मैं परमात्मा की कसम खाता हूं। आप सरकार को बदनाम करते हैं। जिसने यह प्रस्ताव पेश किया है वे बड़े ईमानदार मालूम होते हैं। ऐसी चीप पापूलेरिटी से देश की उन्नति नहीं हो सकती है। जाति-पांति को खत्म करके देश की तरक्की का खयाल करो। अगर दत्ता कमजोर है तो उसको उठाने की कोशिश करो। ऐबजोरी मत करो। ऐसा न हो कि तुम्हारी भी ऐबजोरी की जाय। यह रवैया बड़ा गलत है कि दूसरों को बेईमान कहो और अपने को ईमानदार समझो। हम सब को यहां एक मिसाल के तौर पर रहना चाहिये जिससे जनता पर असर पड़े कि वाकई जिन लोगों को हमने भेजा था वह अच्छा काम करते हैं। लेकिन खुद तो दूसरों को जूतों की ठोकर से मारते हैं, यहां स्पीकर महोदय से कहते हैं कि हम तुमसे ज्यादा काबिल हैं, हम यहां नहीं बैठेंगे और हमें ईमानदारी और दयानतदारी का पाठ पढ़ाते हैं। पहले अपने को संभालो तब हमसे बातें करो।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुकुटबिहारीलाल जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह है कि "राज्य के मन्त्रि परिषद् के सभी सदस्य इस पद पर नियुक्त होते समय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन अपनी तथा अपने परिवार के सभी सदस्यों की सम्पूर्ण चल तथा अचल सम्पत्ति की घोषणा अनिवार्य रूप से किया करें तथा बताया करें कि उक्त सम्पत्ति उन्हें कैसे प्राप्त हुई।" इस संबंध में उधर से मिश्र जी और अन्य माननीय सदस्यों ने जो कहा, उस पर न जाकर कुछ सिद्धान्तों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उपनिषद् में एक वाक्य आया है "त्यक्तेन भुंजो था" अगर दुनियां में जिन्दगी का मजा लेना चाहते हो तो त्याग करो। हमारे राजा अशोक प्रियदर्शी ने अपने राज्यकोष पर ठोकर लगाई, महात्मा बुद्ध ने क्यों राज्य-काज त्याग दिया? सिर्फ दुनिया का मजा लेने के लिये। तो इस दुनियां में, यूरोपीय देशों की कोई बात हो या न हो, लेकिन इस हिन्दुस्तान की यह परम्परा रही है कि यहां पर त्याग और उदारता के गीत गाये गये हैं और त्याग से उन्होंने दुनियां के मजे लिये हैं। वह जितना उपदेश मिला है वह किसी महलों से नहीं, बल्कि जंगलों से मिला है। इस पर राधाकृष्णन के लेख निकले हैं वह आपने देखे होंगे और पढ़े होंगे। श्रीमन्, अजी जहीर साहब, ठाकुर हुकुमसिंह, जयराम वर्मा जी से अगर मैं यह कहूं कि आपकी सम्पत्ति जब मंत्री आप नहीं थे तब क्या थी और अब आज मंत्री होने पर क्या है, तो कोई बुरी बात नहीं है। तब मकान नहीं थे आज उनके पास कोठी बन गई है। उग्रसेन से भी वह पूछा जाय और माधो प्रसाद जी त्रिपाठी से भी पूछा जाय। तब आपको पता लगेगा कि कितनी सम्पत्ति आपकी बढ़ गई।

एक भाई कह रहे थे कि इसमें सदस्यों को भी जोड़ दिया जाय। बड़ी अच्छी बात है। जनसंघ और दूसरी पार्टी के विधायकों को भी इसमें जोड़ दिया जाय। मैं समझता हूं कि प्रस्तावक को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि अगर एक बात चल जायगी तो फिर सब के ऊपर उसका असर पड़ेगा। अभी आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि भारत सरकार के इन्कम टैक्स विभाग ने सिनेमा के अभिनेताओं के घरों की तलाशी ली तो पता चला कि वह कितने रुपये की चोरी करते हैं। सरकार ने उनके लाकरों की तलाशी ली तो मालूम हुआ कि कितना रुपया उन्होंने बन्द करके रखा है। तब सब की छानबीन करने के लिये धावा बोल दिया और आर० के० स्टूडियो को, राजकपूर को, शंकर को और बहुत से दूसरों की तलाशी ली तो बहुत सा रुपया निकला। राजकपूर को मैं बचपन से जानता हूं। वह मेरी बगल में रहते थे। मैं उनके घर भी जाता था। वह आवारा किस्म के थे। छपी हुई कमीज पहनते थे। जय प्रकाश जी को एक केस में रुपया दिया था। मैंने भी उनको देखा है वह अच्छा पार्ट करते थे। अब वह चन्द दिनों के अन्दर करोड़पति हो गये। करोड़ों रुपया उन्होंने अपने लाकर में जमा करके रखा है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का रुपया लाकरों में जमा करके रखा है। यह बात उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी अच्छी लगती होगी।

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की सूचना किसी गलत आधार पर नहीं है। मेरी पूरी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्री अपना सोना और रुपया बैंकों के लाकरों में ले जाकर रखे हुये हैं। अब हम यह पता लगा रहे हैं कि वे लाकर हिन्दुस्तान में हैं या बाहर के मुल्कों में हैं। हमें मालूम है कि कुछ भारत सरकार के मंत्री स्वीटजरलैंड में अपना हिसाब-किताब रखते हैं। मैं जानता हूं कि भारत सरकार के एक मंत्री थे वह अपना रुपया पैसा जमा करके स्वीटजरलैंड में रखते थे। वहां पर कुछ ऐसा हिसाब-किताब होता है कि उसको हर एक आदमी जान नहीं पाता है। वहां पर कुछ नम्बर वगैरह रखते हैं बस उससे ही काम हो जाता है। इसी प्रकार के उत्तर प्रदेश के मंत्री भी अपना रुपया और सोना रखते हैं। मैं यह भी समझता हूं कि विरोधी दल इससे इत्तफाक करेगा कि हम सब विरोधी दल के लोग इस बात का पता लगायें कि वह कहां पर रखे हुये हैं। अगर इन लाकर रखने वालों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उग्रसेन]

फांसी दे दी जाय तो उग्रसेन को भी फांसी दे दी जाय तो बड़ा अच्छा होगा। लोग कहेंगे कि अच्छा हुआ मर गया। मगर हमको यह सन्तोष होगा कि हम मरे तो सही, लेकिन चार मंत्रियों को साथ में ले मरे।

इसी प्रकार से चौधरी गिरधारीलाल के मकानों का हिसाब लगाया जाय कि उनके लखनऊ में कितने मकान हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया किसी का नाम न लें तो अच्छा है।

श्री उग्रसेन—

मैं तो केवल उदाहरण दे रहा हूं कि डाक्टर सीताराम की, विकास मंत्री रामूमूर्ति जी को भी देखिये कि इनके कितने मकान थे और अब कितने मकान हो गये हैं। मंत्री बनने के बाद इनके मकानों का हिसाब लगाया जाय तो पता लगेगा कि उन्होंने कितनी सम्पत्ति बनाई है। इसी तरह से मुजफ्फर हसन साहब के पास भी लाखों रुपया हो गया है। कितने परमिट और लाइसेन्स का उन्होंने लाभ उठाया है। वाराणसी और जबलपुर मार्ग पर उन्होंने ७०० रुपया रोजाना पैदा किया है।

श्री राममूर्ति—

मेरे मकान को आप ले लीजिये तो बहुत अच्छा हो।

श्री उग्रसेन—

मैंने बरेली के मकानों का कांग्रेस के लोगों से पता लगाया है। उन्होंने बताया है कि जमीन तो इनके नाम से है, लेकिन उस पर मकान इनके साढ़ भाई के नाम से है।

श्री राममूर्ति—

हमारी जमीन तो वैसी ही पड़ी है जैसी पहले थी।

श्री उग्रसेन—

तो मेरा प्रस्ताव है कि सरकार हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनावे और उसके जिम्मे सभी नेता, विरोधी दलों और सभी वरिष्ठ मंत्रियों की संपत्ति की जांच का काम हो। छोटे मंत्रियों की जांच का काम जरूरी नहीं है। वह कमेटी देखे कि एम० एल० ए० होने के पहले उनकी हैसियत क्या थी और अब क्या है और उसकी रिपोर्ट पर यहां खुल कर बहस हो। एक बार यह सवाल उठा था सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में कि यहां के चीफ सेक्रेटरी ने गौतम पल्ली में बड़ा भारी मकान बनवा लिया। उनको धन कमाने का अधिकार है, लेकिन वह इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गयी? इस पर नियंत्रण होना चाहिये। जनतंत्र में यदि नियंत्रण न हो तो जनतंत्र रहता नहीं, वह समाप्त हो जाता है। गंगा का पानी बह रहा है, लेकिन अगर उससे शारदा कैनाल निकालनी है तो उस पानी को बांधना पड़ेगा। एक बार हमारे स्वर्गीय पं० नेहरू ने कहा था लोक सभा में कि पहली योजना में हमारी १० प्रतिशत आमदनी बढ़ी, दूसरी और तीसरी योजना में भी आमदनी बढ़ी है, लेकिन आय बढ़ने के बाद भी यह धन गया कहां? बड़ी भारी शंका हमारे प्रधान मंत्री ने उपस्थित की थी। हम लोगों ने उस पर बड़ा वाद विवाद किया। एक बात हमारे दिमाग में भी आयी कि १५ अगस्त, १९४७ को बिरला की कुल हैसियत ५०, ६० करोड़ की रही होगी, लेकिन आज १९६४ में उसकी हैसियत ४००, ५०० करोड़ की है। हमारा पूर्वी जिलों में रहने वाला किसान, उसकी आमदनी पहले सालाना २१२ रुपया थी, वह घट कर १९३ ही रह गयी और अब हम केवल ३ आने वाले हैं। तो गरीबों की आमदनी घटती गयी और बड़े आदमियों की आमदनी बढ़ती गयी। इसका मतलब क्या निकला?

आज सेठ भी दो प्रकार के हैं। एक तो कलकत्ता बम्बई में बैठे टेलीफोन से बात करते हैं और अपने रुपये लगा कर उस पर सूद लेते हैं या मुनाफा कमाते हैं, लेकिन दूसरी तरह के सेठ लखनऊ और दिल्ली में रहते हैं और अपनी नेतागीरी भुनाते हैं। यह सेठ बिना कुछ लागत लगाये ही मुनाफा उठाता है, खाता है। सरकार को इसलिये हमारे इस प्रस्ताव को मान लेना चाहिये इसलिये कि संभव है कल सोशलिस्ट पार्टी की ही सरकार आ जाय। बैसे तो राजनीति में भविष्यवाणी नहीं की जाती, भविष्यवाणी करने वाला मूर्ख समझा जाता है और आप भले ही मुझे कुछ भी समझ लें, लेकिन यह निश्चित है कि जिन्होंने गगन-चुम्बी अट्टालिकायें बना रखी हैं, जिनका धन लाकरों में जमा है, हिन्दुस्तान में वह दिन दूर नहीं है कि वह सब पकड़े जायेंगे और जनता उन से एक-एक का हिसाब लेगी, यहां के चौराहों पर और फिर उनकी उन अट्टालिकाओं में मजदूर यूनियनों के दफ्तर होंगे। रूस में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, चीन में हुआ है, बर्मा में हुआ है। वहां जाकर मैंने देखा है। एक दिन में बर्मा के बड़े-बड़े भूमिपति, जमींदार बेघर होकर रंगून शहर में घूमते थे। लोगों की दूकानें तक ले ली गयीं। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कीजिये। समाजवाद के माने यह नहीं हैं कि पांचों उंगली काट दीजिये। हमारा नारा है "सौ से कम न हजार से ज्यादा सोशलिस्टों का यही तकाजा"। सौ से कम नहीं मिलना चाहिये। विधान सभा का माली और चौकीदार सौ से कम न पाये और चीफ सेक्रेटरी ३,५०० न पायें। यहां का प्रेसीडेंट भी १,००० से ज्यादा न पाये। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री पर मैंने हिसाब लगाया है तो करीब ६००० रुपया माहवारी खर्च आता है। हम वैसे तो कहने को १,२०० तनख्वाह देते हैं, लेकिन रख-रखाव पर, सुख-सुविधा पर कितना खर्च होता है। अगर मंत्री जी को दिल्ली जाना है तो कूपे फर्स्ट क्लास का कम्पार्टमेंट पटना से खाली आयेगा। हवाई जहाज से जाना है तो जिस हवाई जहाज में ४–५ आदमी बैठ सकते हैं उसमें मंत्री जी अकेले जायेंगे। एक मंत्री जी का किस्सा बताऊं, नाम नहीं लूंगा, जब उनको कार दिल्ली में मिल गयी तो उन्होंने कहा कि कार देहरादून से दिल्ली पहुंचा दीजिये और फिर कार नैनीताल चली गयी। केशवसिंह के मामले में यहां से कार नैनीताल गयी और उसमें एक अफसर नैनीताल से बम्बई गये। आज यह हो रहा है। यह पैसा जायगा कहां?

तो अब मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रस्ताव को मान लोगे तो इसमें कोई खतरा नहीं है, आपका भला ही होगा, आपके बाल-बच्चों का भला होगा। मंत्री भले ही छूट जांय, लेकिन उनके बच्चे एक दिन सेंट्रल जेल में रहेंगे, इसका बड़ा भारी खतरा है। जन-जागरण पूर्वी एशिया में फैल रहा है। बगावत की आग से आप नहीं बच सकते। जहीर साहब तो इंडोनेशिया के राजदूत होने जा रहे थे, लेकिन वह भी नहीं बचे। शीशे के महल में रहकर आप ढेले मारें और आप पर असर न हो तो यह नहीं हो सकता। आज जन-जागरण के समय नंगे लोग, भूखे और मजलूम लोग चुपचाप बैठ नहीं सकते हैं, यह नहीं देख सकते हैं कि आपके बच्चे ३०० रुपये फीस देकर लारेटो में पढ़ें और हमारे बच्चे दो आना, तीन आना म्युनिसिपैलिटी के स्कूल की फीस देकर पढ़ें और घर से बोरा लेकर जांय। यह स्थिति बरदाश्त करने लायक नहीं है। इसलिये यह प्रस्ताव आपके ही हित में है, आपको बुद्धि देने के लिये और जनता के सामने आदर्श उपस्थित करने के लिये यह मुकुटबिहारीलाल जी ने पेश किया है, आप इसको मानिये। आज हमारे सामने बरमा के प्रधान मंत्री था किन नू का आदर्श उपस्थित है। आज वह एशिया के जन-जागरण का नेता जेल के अन्दर बन्द है, यह हमारा दुर्भाग्य है। बरमा की पार्लियामेंट में जब वह राज-काज छोड़ने लगे और उन्होंने जिस समय मोशिए नेविन को राज भार सौंपा तो उन्होंने ये शब्द कहे कि मैं तो गरीबी लिये आया था और मैं गरीबी लिये जा रहा हूं। उन्होंने अपने असेट्स रंगून के पत्र "नेशन" को दे दिये। हमारे सामने आज बाबा राघवदास, सूर, तुलसी, का आदर्श है। यहीं बुद्ध ने निर्वाण लिया। यह राम का प्रदेश है जो गरीब होकर बन को चले गये। आज हमारे यहां यह आदर्श उपस्थित हो रहे हैं कि करोड़ों रुपये लाकर्स में रख कर धर्म निर्पेक्ष राज की बात कहीं जाती है, समाजवाद

[श्री उग्रसेन]

की बातें कही जाती हैं। बाप-दादा गधे पर नहीं बैठे और आज वायुयान में सैर करते हैं। उस गरीब को भूल गये जिसको ६-६ रोज खाना नहीं मिलता। आज उनको देश की भुखमरी पुकार रही है कि अब भी चेत जाओ। अब भी समय है, अपनी जायदाद और पूंजी का ब्योरा वित्त मंत्री के पास भेजो वरना राजकपूर, वैजयन्तीमाला और मालासिन्हा की तरह से पकड़ जाओगे।

इन शब्दों के साथ में प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

श्रीमन्, यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है उस पर कुछ भाषणों को छोड़ कर अधिकांश लोगों ने एक दूसरे पर टीका टिप्पणी ही की और असली विषय को छोड़ कर इधर उधर की बातें ही की हैं। कुछ सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने विषय पर अपने विचार प्रकट किये हैं। श्रीमन्, इस प्रस्ताव को देख कर तो प्रत्येक माननीय सदस्य को खुशी होनी चाहिये थी। यह एक ऐसा संकल्प है जिसके ऊपर हम प्रदेश की सारी जनता को, समाज को, विश्वास में ले सकते थे और आज जो सारा समाज हमको इंगित करता है वह करने का अवसर उसको न मिल पाता। आज जनता में यह धारणा है कि सारे मिनिस्टर बेईमान हो रहे हैं। अगर आज इस संकल्प को स्वीकृत कर लिया जाता तो इस तरह के आरोप लगाने का अवसर किसी को न मिलता। आज तरह-तरह के आरोप लगाये जाते हैं। मैं नहीं समझता कि इस संकल्प में कौन सी बुराई है? इससे समाज को या प्रदेश को क्या हानि होगी? अभी एक माननीय सदस्य ने यह एतराज किया कि इसमें एम० एल० एज को नहीं रखा गया है। श्रीमन्, उसके लिये भी तो संशोधन आ गया है, उनको भी शामिल कर लिया जाये। एक सज्जन ने आरोप लगाया कि जनसंघ में पूंजीपति लोग हैं, किसी ने कहा कि जनसंघ कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, इस तरह की बातों से काम नहीं चलने वाला है। आज वास्तविक विषय पर हमको विचार प्रकट करने चाहिये थे।

मैं अब तक यह नहीं समझ पाया कि आखिर किस आधार पर इस प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। हमें तो बड़े हर्ष के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिये था। वास्तव में इस प्रस्ताव को तो कांग्रेस की तरफ से आना चाहिये था और अगर ऐसा होता तो प्रदेश की जनता में आपके प्रति विश्वास की भावना बढ़ती और चूंकि बहुमत आपका है यह प्रस्ताव पास भी हो जाता। आज जनता की यह धारणा बढ़ती जा रही है कि मिनिस्टरों के पास बड़ा पैसा है। अगर आज हम इस संकल्प को मान लें तो हम अपने को निर्दोष साबित कर सकते हैं। जो लोग हमें चुनकर भेजते हैं उन्हें हमें अपने बारे में विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम सब बड़े ईमानदार हैं और ईमानदारी से हमने काम किया है। मुझे पता नहीं कि ऐसे अच्छे संकल्प के विरोध में जो बातें कही जाती हैं वे क्यों की जाती हैं। अगर आज हम अपनी सम्पत्ति की घोषणा कर दें तो उससे क्या हानि होगी? परेशानी उनको जरूर होगी जिन्होंने अनेकों प्रकार से पैसा इकट्ठा कर रखा है। देश के विभिन्न प्रांतों में भी चीफ मिनिस्टरों आदि के खिलाफ ऐसे आरोप लगे हैं और उन पर जांच के लिये कमीशन भी बिठाये गये हैं। आरोप सही भी सिद्ध हुये हैं। यहां भी हाउस में अक्सर ऐसी बातें होती हैं। ऐसा ही विभिन्न प्रांतों में और विभिन्न मंत्रियों इत्यादि पर आरोप होते हैं, जो सही देखे जाते हैं। तो जनता की इस प्रकार की भावना सुदृढ़ हो जाती है। ऐसे समय में हमारी सबकी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जनता को विश्वास में लायें और वह देख सकें कि मिनिस्टर्स ईमानदारी से काम करते हैं। सारे लोग सचाई और ईमानदारी से काम करते हैं। जनता की यह भावना बने कि उनके बारे में जो आम विचार है वह गलत है। इसलिये आवश्यक हो जाता है कि जब लोग बड़े-बड़े पदों पर पहुंचते हैं तो अपनी सारी सम्पत्ति घोषित करें, अपनी सम्पत्ति का ब्योरा दें, अपने निकट संबंधियों का ब्योरा दें कि उनके पास कितनी-कितनी सम्पत्ति है। इसके साथ ही साथ समय-समय पर अथवा उनके पद से अलग होने पर उनकी सम्पत्ति का हिसाब होना चाहिये जिससे कि उनकी

ईमानदारी और सच्चाई को जाना जा सके। अगर ऐसी बात हुई तो मैं समझता हूं कि देश का जो बहुत सा भ्रष्टाचार है, जो ऊपर के वर्ग में व्याप्त हैं, जो ऐसे लोगों में है जिनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है जो ऐसे लोगों में से है जो सबके हाथों से दूर हैं, जो पकड़े नहीं जा सकते हैं, और जिनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, वह दूर हो जायेगा। आज भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है, इस प्रकार के दोषारोपण एक दूसरे पर किये जाते हैं। आज समाज द्वारा उन पर दोषारोपण होता है। आज समाज बड़ी अजीब स्थिति में पड़ा हुआ है,उनको पता है कि उनके जन-प्रतिनिधि ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे समय में हमारे ऊपर बड़ा उत्तर-दायित्व आ जाता है। अगर हम गम्भीरता से इस प्रस्ताव को देखें और उस पर विचार करें तो हम देखेंगे कि यह सारे का सारा संकल्प हमारे सबके हित में है और इस प्रदेश के हित में है और इसके द्वारा हम प्रदेश और देश की जनता के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे और पार्टी के लोगों और मिनिस्टरों आदि के प्रति जो भ्रम फैला हुआ है वह दूर हो सकेगा जनता अपने प्रतिनिधियों पर विश्वास कर सकेगी। इस संकल्प के द्वारा समाज में फैली हुई धारणा दूर हो सकेगी। इसके द्वारा ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी जिससे समाज और सरकार तथा मिनिस्टर्स और आम लोगों के बीच की खाई भी पट सकेगी।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि ईमानदारी से और गम्भीरता पूर्वक हम इस संकल्प पर विचार करें तो हम देखेंगे कि यह पूरे का पूरा संकल्प हमारे हित में है, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, यह सबके हित में होगा। मेरा विश्वास है कि हाउस के सभी लोग इस पर विचार विनिमय करके इस संकल्प की महत्ता को समझेंगे और इस बिल के पक्ष में अपना मत देंगे।

*श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है और इस प्रस्ताव पर जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उस संबंध में माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं। हमको यह विचार करना होगा कि यह प्रस्ताव किस भूमिका में आया है। अगर हम उस पृष्ठभूमि को समझ लेंगे तो इस प्रस्ताव की महत्ता उत्तरोत्तर बढ़ती जायेगी। इसकी पृष्ठभूमि में यह शंका उत्पन्न की गई कि जब से कांग्रेस का शासन देश के अन्दर आया है, उस समय से मंत्रियों ने मनमाने ढंग से पैसा पैदा करके अपने कोष में जमा किया है। जब जनता में यह शंका पैदा हो गई तो जनता के प्रतिनिधियों का यह कर्त्तव्य है कि मंत्रियों का स्पष्टीकरण जनता के सामने दिलायें और इस पृष्ठभूमि को लेकर यह विधेयक इस सदन के समक्ष रखा गया है अगर आप देखें और पूरे देश तथा विभिन्न प्रांतों में फैले हुए कांग्रेस के शासन और उनके मंत्रियों के बारे में विचार करें तो देखेंगे कि कांग्रेस के ही बड़े लोगों ने यह विचार प्रकट किया है कि कभी जब स्वतंत्रता का युद्ध चला था, उस समय बहुत ही कम हैसियत के लोग कांग्रेस को और देश की सेवा किया करते थे। वह जबसे शासनारूढ़ हुए तबसे उनकी हैसियत बढ़ गई यह एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता द्वारा वक्तव्य दिया गया था। उसके बाद कई प्रदेशों में, पंजाब, बिहार, आसाम आदि प्रांतों के मुख्य मंत्रियों के बारे में इस प्रकार की घोषणायें की गई कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति हो गई है और अभी दास कमीशन की रिपोर्ट से यह सिद्ध हो गया कि प्रतापसिंह कैरों के पास कितनी संपत्ति है। तो जब इस प्रकार का भ्रम सत्य का रूप धारण कर रहा है तो यह आवश्यक हो जाता है कि समाज की इस धारणा को बदलने के लिये कुछ किया जाय। आज हरेक माननीय सदस्य ने इस बात की मांग की कि जब तक देश के अन्दर हम एक आदर्श भाव उपस्थिति नहीं करेंगे तब तक यह जो धारणा और गिरावट पैदा होती चली जा रही है समाज में, वह नीचे तक बढ़ती चली जायेगी और दूर न हो सकेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बिपिनबिहारी तिवारी]

इस देश के अन्दर जब कभी भी त्याग और बलिदान का प्रश्न उपस्थित हुआ है तो किसी साधारण आदमी से नहीं हुआ है । वह साधारण आदमी की इच्छा के परे की बात है । त्याग और बलिदान के लिये ही बहुत से प्रभावशाली आदमी समाज के सामने आये और जब उन्होंने समाज के दुख और दैन्य को देखा तो महान् दुख हुआ और उन्होंने त्याग किया । महात्मा बुद्ध का उदाहरण हमारे सामने है । उन्होंने समाज के दुख दैन्य को देखा । जब उनके अन्दर ग्लानि उत्पन्न हुई, तो उन्होंने राजवंश में उत्पन्न होने के बाद भी संसार का त्राण करने के लिये उसे छोड़ दिया । उनके त्याग और बलिदान के कारण ही सारा भारतवर्ष उनका अनुयायी बन गया था । केवल भारत में ही नहीं, सारे संसार में उनके अनुयायी पैदा हो गये थे । हम देखें तो हमारे इतिहास के अन्दर ऐसे बहुत से नाम मौजूद हैं जिन्होंने देश के दुख और दैन्य को दूर करने के लिये त्याग का आदर्श उपस्थित किया है और जिससे समाज प्रभावित हुआ है । आज जब हमारा कांग्रेसी शासन है, सत्ता उनके हाथ में है, तो सत्तारूढ़ दल के लिये यह आवश्यक है कि वह समाज के सामने ऐसा आदर्श उपस्थित करे जिससे कि समाज के अन्दर जो खराबियां हैं, जो भ्रष्टाचार और बेईमानी की धारणा पैदा होती चली जा रही है, वह रुके । लेकिन देखने में यह आ रहा है कि गांव-गांव के अन्दर इतना महान् संकट पैदा हुआ है और गांव-गांव के अन्दर से यह आवाज आ रही है कि आज यह शासन जनता का गला घोट रहा है ।

क्या आपने कभी कल्पना की थी कि १७ साल के शासन के बाद इस देश में एक दिन वह आवेगा जब जनता भूखों मरने लगेगी ? पंचवर्षीय योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में वसूल किया गया मगर उत्पादन नहीं बढ़ा और आज देश में गांव-गांव में जनता भूखों मरने लगी है । यह इसलिये हुआ कि रुपया तो इकट्ठा कर लिया गया लेकिन चरित्रहीनता की वजह से, राष्ट्रीय कैरेक्टर न होने के कारण, सारा पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में चला गया, इंजीनियरों के हाथ में चला गया, क्लर्कों के हाथ में चला गया, पूंजीपतियों के हाथ में चला गया । इस प्रकार सारा पैसा २० फीसदी लोगों के पास चला गया और ८० फीसदी जनता भूख से कराह रही है । किसान ने खेत में मेहनत करके गन्ना पैदा किया, वह मिल में गया, उसकी शकर बनी, उससे शीरा निकला, उससे शराब बनी, पेट्रोल बना और खोई से तख्त बना । इस सारे काम में मिल मालिकों को ही फायदा हुआ और सन् ४७ से पहले जिसके पास १ मिल थी आज उसके पास १० मिलें हो गई हैं । इसी प्रकार से व्यापारियों ने गरीब जनता का शोषण किया । मिनिस्टर से लेकर छोटे कर्मचारी तक जब भी उन्हें अवसर मिला तो सेवा के स्थान पर उन्होंने उसे बेचा और अपने घर भरे । इस प्रकार से इन २० फीसदी लोगों ने मनमाने ढंग से कार्य करके ८० फीसदी जनता के साथ अन्याय किया है । राष्ट्रीय चरित्र भाषणों से और आलोचनाओं से नहीं बन सकता है । जब तक हम भारत माता के चित्र को आंखों के सामने नहीं रखते हैं तब तक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता है । आर्थिक समस्याओं के जाल में फंस कर आज हम माता के स्वरूप की तरफ आंख नहीं करते हैं और ऐसे हम गिर गये हैं कि राष्ट्रीय चरित्र को बिलकुल खोते जा रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह कर्म भूमि है । अगर इसमें बहुत काम करना है तो यह हमारी संस्कृति के अनुसार होना चाहिये । अगर हमें देश का उत्थान करना है तो हमारी संस्कृति ने बताया है कि सहिष्णुता के आधार पर देश के लिये आर्थिक और अध्यात्मिक उन्नति करते हुये अपने को समष्टि में मिला देना है । इसी में भगतसिंह शहीद हो गये । महात्मा गांधी ने भी लंगोटी बांध कर यहां इन्हीं आदर्शों से काम किया और देश में चेतना उत्पन्न की थी । बाबू सम्पूर्णानन्द ने राजस्थान से एक पत्र लिखा जो समाचार-पत्रों में भी छपा । उन्होंने इस बात का संकेत किया था कि जब तक कांग्रेस के जनों में और देश की जनता में सेवा की भावना जाग्रत नहीं होगी, स्नेह भाव जाग्रत नहीं होंगे, भारत माता का चित्र उनके सामने नहीं आवेगा, तब तक न तो गरीबी दूर हो सकती है और न हम किसी प्रकार की समस्या को हल कर सकते हैं ।

अभी परसों यहां हरिजनों के बारे में बातें कही गई थीं । उसमें कहा गया था कि जब तक लोग निहित स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुये हैं तब तक यहां संघर्ष पैदा होता रहेगा लेकिन एकीकरण नहीं हो सकता । एकीकरण करने का एक ही मार्ग है कि हम एक बड़ी चीज को अपने सामने रखें जो हमारा प्रमुख ध्येय है और जिसके लिये हम अपनी सारी शक्ति लगाकर अपने देश को बढ़ता हुआ देखें । तब जाकर इस देश की समस्यायें हल हो सकती हैं । इसलिये जो प्रस्ताव आया है जिसमें इस बात के लिये अपेक्षा की गई है कि हर एक मंत्री और हरएक विधायक अपना हिसाब, अपनी चल और अचल सम्पत्ति का हिसाब यहां पर दे, यह एक बहुत ही सामयिक प्रस्ताव है । यद्यपि यह प्रस्ताव देखने में सीमित है लेकिन व्यवहार में बहुत व्यापक है । यह एक वह औषधि है कि जो मिनिस्टरों के सारे विकारों को निकालकर उसके जीवन को शुद्ध कर देगी । यदि वास्तव में हम इधर के और उधर के बैठने वाले सदस्य, और सम्मिलित रूप से यह सदन, प्रदेश के अन्दर जन-जागृति और राष्ट्रीय चरित्र का संगठन करना चाहते हैं तो हमको यह विचार करना होगा कि हम इस प्रस्ताव को मानकर ईमानदारी के साथ इसके अनुरूप कार्य करें । तभी इस देश का कल्याण हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय गुप्तारसिंह, अब आप अपना व्याख्यान अगले दिन दीजियेगा ।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक १९६४*

सहायक सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४ सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और २ सितम्बर, १९६४, बुधवार को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५९ मिनट पर बुधवार, २ सितम्बर, १९६४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्तल,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
२८ अगस्त, १९६४

*छापा नहीं गया ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर)

तालिका

नाम तहसील	नाम ग्राम	कटाव का क्षेत्रफल एकड़		योग
		खेती योग्य भूमि	आबादी	
सगड़ी	१—देवारा खास राजा ..	३५०	१२	३६२
	२—चक्की गाजीपुर ..	१८०	३	१८३
	३—आराजी अजगरा मशरकी	९	३	१२
	४—बूढ़न पट्टी ..	४५	५	५०
	५—बांका ..	४०	..	४०
	६—शाहडीह ..	२५	..	२५
	७—देवारा कर्तीराम दुबे	१४	६	२०
	८—देवारा राम सरन दुबे	८	३	११
	९—देवारा जै गोपाल नरायन	१२	४	१६
	१०—गार्गेपुर ..	१००	०	१००
घोसी	११—रामपुर घनौली ..	२५.०००	..	२५.०००
	१२—डुहिया डिलिया ..	७०१.४००	१	७०२.४०
	१३—दुबारी ..	१००२.००	..	१००२.००
	१४—भोलनापुर ..	३१००.००	२.००	३१०२.००
	१५—धर्मपुर बिशुनपुर..	११७०.००	६.००	११७६.००
	१६—भूसा डोही ..	३३१३.००	१०.००	३३२३.००
	१७—चक्की भूसाडोही ..	४०५.००	..	४०५.००
	१८—बरोहा ..	६०५	..	६०५
	१९—मित्रपुर ..	५.००	..	५.००
	२०—चवली ..	२.००	..	२.००
	२१—सरहरा जमीन सरहरा	१.२००	..	१.२००
	२२—किरतपुर ..	६.००	..	६.००
	२३—गोधनी ..	.४५०	..	.४५०
	२४—सरवा मु० उसुरी खुर्द	६.००	..	६.००
	योग ..	११,१२५.०५०	५५.००	११,१८०.०५०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर)

तालिका 'क'

क्रम-संख्या	मण्डल का नाम	जिले का नाम		सरकार द्वारा मनोनीत बालक विद्यार्थियों की संख्या	निर्वाचन समिति द्वारा प्राप्त नामों की संख्या
१	नैनीताल	१—पौड़ी	..	९	२९
		२—नैनीताल	..	२०	३०
		३—चमोली	..	१०	१५
		४—पिथौरागढ़	..	१०	१५
		५—टिहरी	..	५	७
		६—अल्मोड़ा	..	१०	१६
		७—उत्तरकाशी	..	—	—
			..	..	..
२	मेरठ	८—देहरादून	..	१०	१३
		९—सहारनपुर	..	१९	४०
		१०—मुजफ्फरनगर	..	३०	४५
		११—मेरठ	..	२६	६०
		१२—बुलन्दशहर	..	२१	३०
			..	—	—
३	लखनऊ	१३—लखनऊ	..	१४	३०
		१४—बाराबंकी	..	२०	३०
		१५—सीतापुर	..	१८	३०
		१६—खेरी	..	१६	३०
		१७—हरदोई	..	२०	३०
		१८—रायबरेली	..	१९	३०
		१९—सुल्तानपुर	..	१८	३०
		२०—प्रतापगढ़	..	१०	१५
		२१—उन्नाव	..	१७	३०
			..	—	—
४	इलाहाबाद	२२—इलाहाबाद	..	२०	३०
		२३—फतहपुर	..	२१	३०
		२४—कानपुर	..	२०	३०
		२५—इटावा	..	१८	३०
		२६—फर्रुखाबाद	..	२०	३०

मण्डल का नाम	जिले का नाम		सरकार द्वारा मनोनीत बालक विद्यार्थियों की संख्या	निर्वाचन समिति द्वारा प्राप्त नामों की संख्या
	२७—झांसी	..	१३	२६
	२८—जालौन	..	१८	३०
	२९—हमीरपुर	..	१७	३०
	३०—बांदा	..	२०	२५
५—बरेली ..	३१—पीलीभीत	..	२०	२०
	३२—बिजनौर	..	२०	२५
	३३—मुरादाबाद	..	२०	२१
	३४—बदायूं	..	९	१४
	३५—बरेली	..	१८	२३
	२६—शाहजहांपुर	..	१३	३०
	३७—रामपुर	..	—	—
६—गोरखपुर ..	३८—गोरखपुर	..	२२	३०
	३९—बस्ती	..	१२	३०
	४०—फैजाबाद	..	१२	१५
	४१—आजमगढ़	..	१७	३०
	४२—देवरिया	..	२०	३०
	४३—गोंडा	..	१९	३०
	४४—बहराइच	..	११	२९
७—आगरा ..	४५—आगरा	..	२०	२०
	४६—मथुरा	..	३०	३०
	४७—मैनपुरी	..	१९	१९
	३८—अलीगढ़	..	१६	१६
	४९—एटा	..	१९	१९
८—वाराणसी ..	५०—वाराणसी	..	११	४७
	५१—जौनपुर	..	२०	३०
	५२—मिर्जापुर	..	५०	३४
	५३—गाजीपुर	..	११	१५
	५४—बलिया	..	—	४४

नोट--निम्न जिलों को छोड़ कर सभी नाम जिले के चुनाव समिति से प्राप्त सूची से ही मनोनीत किये गये:--

जिला	शासन द्वारा कुल मनोनीत संख्या	जिले की चुनाव समिति की सूची से मनोनीति संख्या
शाहजहांपुर	१३	४
वाराणसी	११	--
मिर्जापुर	५०	१
गाजीपुर	११	--
चमोली	१०	३

तालिका (ख)

मण्डल का नाम	जिले का नाम जहां की अभ्यर्थिनियां मनोनीत की गईं			सरकार द्वारा मनोनीत अभ्यर्थिनियों की संख्या
१	२			३
१—वाराणसी ..	१—वाराणसी	..	..	१३
	२—जौनपुर	..	..	३
	३—मिर्जापुर	..	..	४
	४—गाजीपुर	..	..	७
	५—बलिया	..	..	१०
				३७
२—बरेली ..	६—पीलीभीत	..	..	२
	७—बिजनौर	..	..	—
	८—मुरादाबाद	..	..	—
	९—बदायूं	..	..	—
	१०—बरेली	..	..	३
	११—शाहजहांपुर	..	..	१
	१२—रामपुर	..	..	—
				६
	१३—पौड़ी	..	..	—
	१४—नैनीताल	..	..	३
	१५—चमोली	..	..	१
	१६—पिथौरागढ़	..	..	—
	१७—टिहरी	..	..	—
	१८—अल्मोड़ा	..	..	१
	१९—उत्तरकाशी	..	..	—
				५
३—मेरठ ..	२०—देहरादून	..	..	३
	२१—सहारनपुर	..	..	२८
	२२—मुजफ्फरनगर	..	..	—
	२३—मेरठ	..	..	१२
	२४—बुलन्दशहर	..	..	७
				५०

मण्डल का नाम	जिले का नाम जहां की अभ्यर्थिनियां मनोनीति की गईं			सरकार द्वारा मनोनीत अभ्यर्थिनियों की संख्या
१	२			३
४--आगरा ..	२५--आगरा	..	..	७
	२६--मथुरा	..	..	१२
	२७--मनपुरी	..	..	३
	२८--अलीगढ़	..	..	१
	२९--एटा	..	..	--
				२३
५--लखनऊ ..	३०--लखनऊ	..	..	२०
	३१--बाराबंकी	..	..	--
	३२--सीतापुर	..	..	५
	३३--खीरी	..	..	--
	३४--हरदोई	..	..	१
	३५--रायबरेली	..	..	--
	३६--सुल्तानपुर	..	..	१
	३७--प्रतापगढ़	..	..	५
	३८--उन्नाव	..	..	४
				३६
६--गोरखपुर ..	३९--गोरखपुर	..	..	३
	४०--बस्ती	..	..	२
	४१--फैजाबाद	..	..	२
	४२--आजमगढ़	..	..	१५
	४३--देवरिया	..	..	--
	४४--गोंडा	..	..	१
	४५--बहराइच	..	..	--
				२३
७--इलाहाबाद ..	४६--इलाहाबाद	..	..	९
	४७--फतेहपुर	..	..	४
	४८--कानपुर	..	..	३६
	४९--इटावा	..	..	६
	५०--फर्रुखाबाद	..	..	३
	५१--झांसी	..	..	--
	५२--जालौन	..	..	--
	५३--हमीरपुर	..	..	--
	५४--बांदा	..	..	१
				५९
(उत्तर प्रदेश के बाहर) दिल्ली	..	..	..	४

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

मामले जिन पर समिति ने विचार किया	शासन द्वारा की गई कार्यवाही
१--समिति का विचार था कि स्टोर की देखभाल तथा रख-रखाव के लिये बजाय स्टोर क्लर्क के सहायक अभियंताओं की नियुक्ति की जावे। विभाग का कार्य अत्यधिक बढ़ जाने के कारण १०.१५ लाख मूल्य का स्टोर एक स्टोर क्लर्क की सुपुर्दगी में रहना उचित नहीं सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति कर स्टोर में होने वाले नुकसान व अनियमितताओं का रोका जाना सम्भव है।	यह मामला सरकार के विचाराधीन है।
२--ठेकेदारों के बिलों का भुगतान में विलम्ब	इस विषय पर शासन द्वारा आदेश जारी किये गये हैं कि ५००० रु० से कम के बिलों की जांच अधीक्षक अभियन्ता द्वारा स्वयं हर दूसरे माह की जाया करे। तथा ५००० रु० से अधिक के बिल, जिनका निपटारा उनके प्रस्तुत किये जाने के ६ सप्ताह के अन्दर न हुआ हो, उनका विवरण शासन को हर दूसरे माह भेजा जावे। इस विवरण को निगरानी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा जो इसमें शामिल सभी मदों पर अथवा कुछ चुनी मदों पर इस दृष्टि से विचार कर कि उनका भुगतान शीघ्रातिशीघ्र हो सके।
३--ठेकेदारों का वर्गीकरण-समिति का विचार था कि ठेकेदारों का वर्गीकरण न होने के कारण आर्थिक व अनुभव की दृष्टि से कमजोर होने पर भी बहुत से ठेकेदार केवल अपन न्यूनतम निविदा दरों के कारण ठेका पा जाते हैं। जिसका परिणाम होता है कार्य में अकुशलता व विलम्ब अतएव यह आवश्यक समझा गया कि ठेकेदारों का वर्गीकरण किया जाये।	इस सम्बन्ध में शासकीय आदेश जारी किये जा चुके हैं जिसके अनुसार ठेकेदारों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है : (१) वर्ग "क" किसी भी मूल्य के ठेके लेने योग्य। (२) वर्ग "ख" १५ लाख तक के ठेके लेने योग्य। (३) वर्ग "ग" ५ लाख तक के ठेके लेने योग्य। (४) "घ" २ लाख तक ठेके लेने योग्य अन्य सभी ठेकेदार १ लाख तक के ठेके ले सकते हैं। इस संबंध में आवश्यक नियम बनाये जा रहे है।

मामले जिन पर समिति ने विचार किया	शासन द्वारा की गई कार्यवाही
४--जी० पी० डब्लू० फार्म सं० ६ का संशोधन--समिति का विचार था कि यह फार्म काफी पुराना होने के कारण आज की परिस्थितियों के अनुरूप उसमें संशोधन किया जाना आवश्यक था ताकि बहुत सी अनावश्यक बातें इस फार्म से समाप्त की जायें ।	यह मामला अभी शासन के विचाराधीन है ।
५--अधिकारियों को जीप दिया जाना ताकि वे निर्माण कार्यों का अकसर स्थल पर जाकर निरीक्षण-कर सकें ।	शासन द्वारा इस मामले पर विचार हो रहा है । ८ जीप गाड़ियों के खरीद के आदेश दिये जा चुके हैं । १६ अतिरिक्त जीपों का मामला विचाराधीन है ।
६--अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों की बिना पूर्व सूचना के स्थल पर जाकर निरीक्षण करना तथा इस प्रकार किये जाने वाले अतिरिक्त दौरों के लिए यात्रा भत्ते की मद में बढ़ोत्तरी--समिति का विश्वास है कि इस प्रकार के निरीक्षण द्वारा अपव्यय व अकुशलता को रोका जा सकता है ।	यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।
७--ऐसे पुलों के बारे में सूचना एकत्र किया जाना जो अपने बनने के पांच वर्ष के अन्दर अथवा पिछले ५ वर्षों में (१९६३) नष्ट हो गए ताकि उनके नष्ट होने के कारणों व उनको दूर करने के उपायों पर विचार किया जा सके ।	शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९ पर)

वर्ष	बालकों के जूनियर हाई स्कूल	बालिकाओं के जूनियर हाई स्कूल	योग
१९४९	३९	१७	५६
१९५०	७७	१९	९६
१९५१	१०७	१९	१२६
१९५२	११५	१८	१३३
१९६४	९९	२७	१२६

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२ पर)

तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर के लेखपाल जिनका वेतन अभी तक बकाया है, की सूची

क्रम-संख्या	नाम	क्षेत्र	बकाया की अवधि	अदायगी न होने का कारण
१	२	३	४	५
१	श्री मदन लाल	गोला	२१-४-५८ से ३-८-५८	मुअत्तली एवं बहाली का आदेश चकबन्दी विभाग से विलम्ब से प्राप्त हुआ ।
२	श्री विश्वनाथ लाल	काधपुर	२८-७-५८ से २४-८-५८	स्थानापन्न लेखपाल की स्वीकृति विलम्ब से हुई ।
३	श्री नन्हकू राम	खानपुर	१-८-५७ से २१-८-५७	मुअत्तली एवं बहाली का आदेश चकबन्दी विभाग से विलम्ब से प्राप्त हुआ ।
४	श्री भृगुनाथ पांडेय	सोनहरा	२८-८-५८ से ३०-८-५८	अवकाश के स्वीकृति का आदेश विलम्ब से हुआ ।
५	श्री अमरनाथ सिंह	भुवरपुर	१-१-५९ से ८-३-५९	मुअत्तली के समय के वेतन के बारे में आदेश बिलम्ब से हुआ ।
६	श्री रघुनाथ लाल	मिनहारी	१-१-५९ से १०-२-५९	,, ,,
७	श्री गनेश प्रसाद	बघावं	१-१-५९ से १५-१-५९	,, ,,
८	श्री राम लगन सिंह	इब्राहिमपुर	१-१-५९ से २५-२-५९	,, ,,
९	श्री रामराज सिंह	बडहरा	१-१-५९ से ८-३-५९	,, ,,
१०	श्री रामचन्द्र गुप्ता	बासूचक	१-१-५९ से २२-३-५९	,, ,,
११	श्री कैलाश सिंह	नादेपुर	१-१-५९ से २५-२-५९	,, ,,
१२	श्री विन्ध्याचल	टाडा	१०-१-५९ से ३१-१-५९	मुअत्तली से बहाल होने के पश्चात् फर्दचार्ज विलम्ब से प्राप्त हुआ ।

क्रम-संख्या	नाम	क्षेत्र	बकाया की अवधि	अदायगी न होने का कारण
१	२	३	४	५
१३—श्री शिवनाथ सिंह यादव. .		सराय मानिक-राज	१-८-५८ से ८-२-५९ एवं १६-४-५९ से १५-५-५९	फौजदारी के एक अभियोग में लेखपाल मुअत्तल था वेतन सहित बहाली का आदेश विलम्ब से पारित हुआ, एवं अवकाश विलम्ब से स्वीकृत हुआ।
१४—श्री शिवदास राम	..	मंगारी	१-६-५८ से ३१-८-५८	वेतन के बारे में आदेश विलम्ब से पारित हुआ।
१५—श्री गोरखनाथ	..	अनौनी	१-३-५९ से ३१-३-५९	अवकाश विलम्ब से स्वीकृत हुआ।
१६—श्री सत्य नारायण लाल	..	नारीयच देवरा	२१-५-५९से ३१-५-५९	,, ,,
१७—श्री सत्यनारायण लाल	..	अनौनी	१०-२-५९ से २५-२-५९	,, ,,
१८—श्री उमाशंकर लाल	..	बरहपुर	९-५-५९ से १०-५-५९	,, ,,
१९—श्री सत्यदेव लाल	..	बिजहरी	१-१२-५८ से १०-१-५९	स्थानापन्न के बारे में आदेश विलम्ब से पारित हुआ।
२०—श्री उमाशंकर लाल	..	उचौरी	..	५ रुपये अर्थदण्ड के वापसी के बारे में आदेश विलम्ब से पारित हुआ।
२१—श्री नागेश्वर लाल	..	नेवादा	१-५-५८ से २३-१०-५८	अवकाश विलम्ब से स्वीकृत हुआ।
२२—श्री राम औतार लाल	..	यूसुफपुर	१-९-५९ से ३१-१-६०	बढ़ोत्तरी विलम्ब से स्वीकृत हुआ।
२३—श्री विभूति नारायण	..	देवसिहा	१६-११-५९ से ३०-११-५९	नियुक्ति की स्वीकृति विलम्ब से हुई।
२४—श्री मिश्री लाल	..	मंगारी	११-१-६० से १८-१-६०	,, ,,

क्रम-संख्या	नाम	क्षेत्र	बकाया की अवधि	अदायगी न होने का कारण
१	२	३	४	५
२५—श्री सीताराम लाल	..	मनिहारी	१-७-५७ से ३१-७-५७	वेतन के बारे में आदेश विलम्ब से पारित हुआ।
२६—श्री बद्री प्रसाद	..	मंगारी	२६-६-५६ से १८-१२-५६	मुअत्तली के पश्चात् बहाली एवं वेतन देने का आदेश बाद में विलम्ब से पारित हुआ।
२७—श्री गिरजाशंकर	..	धुवार्जुन	४-५-५४ से ३१-५-५४	वेतन मनीआर्डर द्वारा भेजा गया था जो अवितरित लौट आने क कारण राजकीय कोष में जमा कर दिया गया। इसी धन को पुनः बरामद करना है।
२८—श्री मोलई राम	..	मिर्जापुर	१९-६-५९ से ३-७-५९ एवं १२-८-५९ से ४-१०-५९	अवकाश विलम्ब से स्वीकृत हुआ।
२९—श्री शिवपूजन लाल	.. ..		३१-५-५९ से १५-६-५९	,, ,,
३०—श्री वीरेन्द्र नाथ लाल	.. ..		१-५-५९ से ३०-७-६०	,, ,,
३१—श्री विन्ध्याचल लाल	..	सौना	अगस्त, १९६०	प्राविडेन्ट फंड का दोबारा कटा धन बरामद करना है।
३२—श्री जगरनाथ लाल		जलालाबाद	अगस्त, १९६०	,, ,,
३३—श्री विन्ध्याचल	..	पचरासी	१-११-६० से ३०-११-६०	अवकाश विलम्ब से स्वीकृत हुआ एवं फर्द चार्ज देर से प्राप्त हुआ।
३४—श्री धर्मराज पांडेय	..	पटना	नवम्बर, ६० का अर्थ दण्ड	अर्थदण्ड के वापसी का आदेश विलम्ब से पारित हुआ।
३५—श्री बैकुंठ लाल	..	सराय गोविन्द	१-५-६० से १३-५-६०	अवकाश अपील में जिलाधीश द्वारा विलम्ब से स्वीकृत हुआ।

क्रम-संख्या	नाम	क्षेत्र	बकाया की अवधि	अदायगी न होने का कारण
१	२	३	४	५
३६—श्री कमला प्रसाद	..	भीमापार	१–११–५७ से ३१–१२–५७	एक बार बरामद की हुई तनख्वाह न लेने के कारण कोष में वापस की गईजिसे पुनः बरामद करना है।
३७—श्री बिहारी राम	..	तरावं	७–५–६१ से ३०–६–६१	अवकाश देर से स्वीकृत हुआ एवं फर्द चार्ज विलम्ब से प्राप्त हुआ।
३८—श्री सुदेश्वर लाल	..	धुरेहरा	१–५–५७ से ७–७–५७	,, ,,
३९—श्री अमरनाथ लाल	..	देवा	१८–७–५७ से १६–८–५७	अवकाश देर से स्वीकृत हुआ एवं फर्दचार्ज विलम्ब से प्राप्त हुआ।
४०—श्री शिव शंकर लाल	..	इब्राहीमपुर	३–९–६० से ३१–७–६१	बढ़ोत्तरी की स्वीकृति यथेष्ट विलम्ब से हुई।
४१—श्री जगदीश पांडेय	..	खानपुर	१७–९–६१ से ३१–१–६२	,, ,,
४२—श्री विभूति सिंह	..	रामपुर	१६–११–६१ से ३१–१–६२	,, ,,
४३—श्री गिरजा शंकर लाल	..	अमेदा	७–१–६२ से २८–२–६२	,, ,,
४४—श्री शिव मूरत लाल	..	वृन्दावन	१०–२–६२ से २८–२–६२	,, ,,
४५—श्री श्यामनारायण पांडेय	..	मिर्जापुर	१–५–६१ से ४–५–६१	ज्वायनिंग टाइम का वेतन जो बरामद नहीं था, बरामद करना है।
४६—श्री विश्वनाथ लाल	..	जफरपुर	१–११–६२ से ३१–१२–६२	अवकाश विलम्ब से स्वीकृत हुआ।
४७—श्री मारकंडे लाल	..	नसीरपुर	४– ४–६० से ३०–४–६०	बढ़ोत्तरी विलम्ब से स्वीकृत हुआ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१२३ एल० पू०—१९६४—८६०।